ISSN-0971-8397

विकास को समर्पित मासिक

योजना

फरवरी, 2002

मूल्य: 7 रुपये

'कौटिल्य पुरस्कार योजना'

'योजना' से संबंधित विषयों पर हिन्दी में मूल-पुस्तक लेखन को बढ़ावा देने के लिए दिसंबर 2001 में योजना भवन में आयोजित एक समारोह में योजना आयोग की ''**कौटिल्य पुरस्कार योजना**'' के अंतर्गत वर्ष 2000 के लिए पुरस्कार प्रदान किए गए। इस योजना के अंतर्गत पुरस्कार मूल्यांकन समिति की सिफारिशों के आधार पर दिए जाते हैं जो योजना संबंधी विनियमों के अधीन प्रतिवर्ष गठित की जाती है।

18000/- रुपये का **प्रथम पुरस्कार** तथा प्रमाण-पत्र डा. रेणु त्रिपाठी और डा. अपर्णा त्रिपाठी को उनके द्वारा संयुक्त रूप से लिखी पुस्तक ''**भारतीय नियोजन**'' के लिए, 12000/- रुपये का **द्वितीय पुरस्कार** तथा प्रमाण-पत्र डा. ओ.पी. शर्मा को उनकी पुस्तक ''**भारतीय अर्थव्यवस्था : नई शताब्दी में**'' के लिए, एवं, 8000/- रुपये का **तृतीय पुरस्कार** तथा प्रमाण-पत्र श्री विनोद कुमार मिश्र को उनकी पुस्तक ''**विकलांगता : समस्याएं व समाधान**'' के लिए दिया गया।

इसके अलावा सर्वश्री विश्वम्भर प्रसाद ''गुप्त-बंधु'' को वर्ष 1999 में लिखी उनकी पुस्तक ''**बायो-गैस प्लांट या गोबर-धन योजना**'' के लिए प्रथम पुरस्कार तथा श्री रघुनाथ सहाय को उनकी पुस्तक ''**उत्तर भारत दर्शन**'' के लिए द्वितीय पुरस्कार दिया गया।

पुरस्कार विजेताओं को बधाई देते हुए श्री कृष्ण चन्द्र पंत, उपाध्यक्ष, योजना आयोग ने कहा कि देश में हिन्दी का जो स्थान संविधान में है वह चाहे राजभाषा के रूप में देखा जाए, चाहे जनभाषा के रूप में, ऐसा है जिससे देश एकता के सूत्र में बंधता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तकनीकी विषयों पर और अधिक पुस्तकें हिन्दी में लिखी जानी चाहिए ताकि तकनीकी क्षेत्रों में भी हिन्दी के प्रयोग में तेजी आ सके।

कौटिल्य पुरस्कार वितरण समारोह में दाएं से बाएं : श्री अजीत कुमार (सचिव, योजना आयोग), श्री कृष्ण चन्द्र पन्त (उपाध्यक्ष, योजना आयोग) तथा श्री ललित मोहन मेहता (सलाहकार, (राजभाषा), योजना आयोग)।

योजना

वर्ष : 45 अंक 11 फरवरी, 2002 माघ-फाल्गुन, शक-संवत् 1923

प्रधान संपादक
सुभाष सेतिया

कार्यकारी संपादक
अंजनी भूषण

उप संपादक
रेमी कुमारी

संपादकीय कार्यालय
कमरा नं. 538 ए, योजना भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली-110 001
दूरभाष : 3710473, 3717910
3715481/2510, 2508, 2566

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)
डी.एन. गांधी

विज्ञापन एवं वितरण प्रबंधक
प्रकाश चन्द्र आहूजा

आवरण
नवल किशोर

इस अंक में

- **बालुई धरती पर आत्मविश्वास के जमते कदम** — जगमोहन माथुर — 2
- **राजस्थान में स्त्री-अधिकार : जन्म लेने और पढ़ने का हक** — लीना मेहेंदले — 8
- **राजस्थान ने पर्यटन-नीति बनाकर देश में पहल की** — कुसुम मेहता 'प्रियदर्शिनी' — 12
- **राजस्थान में साक्षरता और 'शिक्षा आपके द्वार' योजना** — प्रकाश नारायण नाटाणी — 15
- **दोहा सम्मेलन : कितना सफल, कितना असफल** — वेद प्रकाश अरोड़ा — 19
- **यूरो मुद्रा तथा भारत** — जे.के. टंडन — 23
- **स्वयंसेवी क्षेत्र : नए आयाम** — प्रदीप पंत — 26
- **गांवों के विकास की कीमत पर बचेंगे शहर** — सुभाष — 29
- **गांधी ग्राम योजना : ग्रामीण विकास का अभिनव प्रयोग** — पी.आर. त्रिवेदी — 32
- **भारत की जनांकिकीय प्रवृत्तियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन** — शरदचन्द्र भारद्वाज, जयश्री भारद्वाज — 35
- **स्वास्थ्य-चर्चा—पोलियो से मुक्ति अगले साल तक** — अनंत मित्तल — 39
- **नए प्रकाशन** — — 40
- **राजस्थान का पर्यटन परिदृश्य : तथ्य और चुनौतियां** — ओ.पी. शर्मा — 41
- **वर्ष 2001 में प्रकाशित लेखों की सूची** — — 46

योजना हिन्दी के अतिरिक्त **असमिया, बंगला, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तमिल, उड़िया, पंजाबी, तेलुगू** तथा **उर्दू** भाषाओं में भी प्रकाशित की जाती है। नई सदस्यता, सदस्यता के नवीकरण, पुराने अंकों की प्राप्ति एवं एजेंसी आदि के लिए मनीआर्डर/डिमांड ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर 'निदेशक, प्रकाशन विभाग' के नाम से बनवा कर निम्न पते पर भेजें :-
विज्ञापन एवं प्रसार व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग, ईस्ट ब्लाक IV, लेवल VII, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110 066. टेलीफोन : 6100207, 6105590

चंदे की दरें : वार्षिक : 70 रु.; **द्विवार्षिक** : 135 रु.; **त्रैवार्षिक** 190 रु.; विदेशों में **वार्षिक** दरें : **पड़ोसी देश** : 500 रु.; **यूरोपीय एवं अन्य देश** : 700 रु.

'योजना' में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से सम्बद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो।

बालुई धरती पर आत्मविश्वास के जमते कदम

○ जगमोहन माथुर

राजस्थान उस धरती का नाम है जिसके शौर्य एवं बलिदान की परंपरा और अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर एवं कला के वैभव पर हर भारतीय गर्व करता है। विपुल सांस्कृतिक धरोहर, त्वरित आर्थिक प्रगति और शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के बल पर राजस्थान अब देश के अग्रणी राज्यों में अपना स्थान बना चुका है, ऐसा लेखक का मत है।

राजस्थान बालुई क्षेत्र के अनंत विस्तार का या पिछड़े प्रदेश का नाम नहीं है। राजस्थान उस धरती का नाम है जिसके शौर्य एवं बलिदान की परंपरा और अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर एवं कला के वैभव पर हर भारतीय गर्व करता है। इस भूभाग का इतिहास लाखों वर्ष पुराना है। यहां की बनास व गंभीर नदियों के किनारे प्राचीनतम सभ्यता फली-फूली थी। यहां के गंगानगर, उदयपुर, जयपुर, अलवर एवं भरतपुर जिलों में खुदाई से प्राप्त अवशेष इसकी सहस्रों वर्ष पुरानी सभ्यता की कहानी सुनाते हैं। यहां वैदिक एवं आर्य सभ्यताओं का विकास हुआ तथा जैन और बौद्ध धर्म ही नहीं फले-फूले, ईसाई व इस्लाम धर्मों को भी पनपने का अवसर मिला।

यहां की धरती पर अनेक जातियां आईं और बस गई। कई राजवंश बने और लुप्त हो गए। वे आपस में लड़े और विदेशियों को न्यौता भी दिया पर कुल मिलाकर यहां के लोगों ने आक्रमणकारियों के छक्के छुड़ा दिए और अपनी आन-बान के लिए मर मिटे। यहीं पृथ्वीराज चौहान, राणा कुंभा, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, दुर्गादास, अमरसिंह राठौर, सवाई जय सिंह और राजा सूरज मल ने पराक्रम का नया इतिहास रचा। इसी धरती की संतानों ने स्वाधीन भारत की सीमाओं की रक्षा करते हुए प्राणोत्सर्ग कर मां की कोख को गौरवान्वित किया। 1962 की चीन से हुई लड़ाई में मेजर शैतान सिंह, 1948 में कश्मीर की लड़ाई में मेजर पीरुसिंह और हाल में कारगिल की लड़ाई में 70 से अधिक शूरमाओं ने अपने रक्त से मातृभूमि की चरण वन्दना की।

सांस्कृतिक वैभव

राजस्थान के लोग जहां रणभूमि में अपना अद्भुत पराक्रम दिखाते रहे, वहीं यहां के कलाकार इस धरती को कला से अलंकृत व विभूषित करते रहे। राजाओं की अपनी आवश्यकताओं के लिए भी दुर्गों और महलों का निर्माण हुआ जिसमें आज भी अद्वितीय वास्तुकला एवं मूर्तिकला के दर्शन होते हैं। चित्तौड़ एवं आमेर के किले, बाडोली, दिलवाड़ा एवं रणकपुर के मंदिर, जैसलमेर की झरोखे वाली हवेलियां, जयसमंद व अणा सागर की झीलें अनुपम कला के नमूने हैं और जयपुर शहर का नगर-नियोजन भी सराहने योग्य है।

राजस्थान में राजाओं के प्रश्रय से कवियों और साहित्यकारों को नई-नई रचनाएं रचने का अवसर मिला। संस्कृत, पिंगल, डिंगल, राजस्थानी एवं बृज भाषा में साहित्य का सृजन हुआ। महाकवि सूर्यमल्ल, चन्द्र बरदाई, मीराबाई, संत दादू, महाकवि बिहारी जैसे महान साहित्यकारों की कृतियां यहीं जन्मीं और साहित्य का भंडार बढ़ा।

राजस्थान को चित्रकला के क्षेत्र में भी अनूठा योगदान करने का गौरव प्राप्त है। यहां चित्रकला का उद्भव और विकास 15वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध और 16वीं शताब्दी के पूवार्द्ध में माना जाता है। राजस्थानी चित्रकला की चार प्रमुख शैलियां मानी जाती हैं। मेवाड़ शैली उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़ के आस-पास की है और इसे महाराणा उदयसिंह, महाराणा राजसिंह, महाराणा जयसिंह और अमरसिंह के काल में पनपने का मौका मिला। इस शैली की चित्रकला में सूरसागर, रसिक प्रिया, गीतगोविन्द, राग-रागनियां चित्रित की गई हैं। जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर एवं किशनगढ़ की शैली को 'मारवाड़' शैली कहा जाता है। इसमें किशनगढ़ शैली के चित्र, जिनमें बणी-ठणी

जी प्रमुख हैं, विश्वभर में सराहे गए हैं। इस शैली में राधाकृष्ण की लीलाओं का अधिक चित्रांकन हुआ है। कोटा-बूंदी के आस-पास की चित्रकला को 'हाड़ोती' शैली कहा जाता है। इसमें राजदरबार, कृष्ण-लीला, शिकार, बारहमासा हाथियों की लड़ाई प्रमुख विषय रहे हैं। जयपुर शेखावटी क्षेत्र की शैली 'ढूंढार' शैली है। इसके अंतर्गत मुख्य जोर महलों व हवेलियों में भित्ति चित्रण पर रहा। राजस्थान के राजा-महाराजाओं ने संगीतकारों को पूरा संरक्षण और प्रोत्साहन देकर संगीत को बढ़ावा दिया। विशेषकर जयपुर, टोंक, अलवर, भरतपुर, जोधपुर, बीकानेर में राजाओं ने संगीत के विकास में गहरी रुचि ली। शास्त्रीय संगीत की परंपरा में ध्रुपद गायकी के विकास में राजस्थान का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके फिर कई घराने बन गए। खयाल गायकी की एक शैली जोधपुर में विकसित हुई। राजस्थान का श्रृंगार रसात्मक राग 'माण्ड' जो पहले राजा महाराजाओं की महफिल में गाया जाता था, आजकल भी प्रमुख समारोहों में बहुत लोकप्रिय है।

शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में राजस्थान का विशेष योगदान 'कत्थक' नृत्य के रूप में है जो बहुत पसंद किया जाता है। शास्त्रीय नृत्य के अलावा लोक नृत्यों की भी यहां समृद्ध परंपरा है। होली पर 'गेर' नृत्य में पुरुष डंडे लेकर गोल घेरे में खड़े होकर नाचते हैं जबकि 'घूमर' नृत्य में स्त्रियां रंग-बिरंगे घाघरे व ओढ़नी ओढ़कर मंथर गीत से घूम-घूमकर नृत्य करती हैं।

इस प्रकार राजस्थान सांस्कृतिक वैभव की दृष्टि से अत्यंत सम्पन्न है परंतु कई कारणोंवश आर्थिक दृष्टि से यह अन्य प्रदेशों की तुलना में पिछड़ गया है।

विकास-यात्रा

राजस्थान में विकास यात्रा स्वाधीनता के बाद सभी रजवाड़ों को मिलाकर एक राजनीतिक इकाई बनाने के बाद शुरू हुई। वैसे 30 मार्च 1949 को छोटी-बड़ी 22 रियासतों को मिलाकर राजस्थान राज्य की स्थापना हो गई थी परंतु यह प्रक्रिया फरवरी 1950 में सिरोही तथा नवम्बर 1956 में अजमेर के विलय के साथ पूरी हुई। आज राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है जिसके आधार पर आकार की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है और यह संपूर्ण देश के कुल भूभाग का दसवां हिस्सा है। इसकी जनसंख्या 5 करोड़ 20 लाख है जो देश की कुल आबादी का लगभग बीसवां भाग है।

यहां के लोग कभी-कभी होने वाली वर्षा की एक-एक बूंद को सहेज कर रखते थे। अब स्थिति कुछ बदलने लगी है। केन्द्र और राज्य की विभिन्न पेयजल योजनाओं के अंतर्गत प्रदेश के 222 नगरों, 37586 गांवों तथा 48998 ढाणियों को आंशिक या पूर्ण रूप से पेयजल उपलब्ध कराया जा चुका है। मार्च 1999 तक इस कार्य पर 2500 करोड़ रुपये खर्च किए गए।

विकास का प्रथम चरण पहली पंचवर्षीय योजना के रूप में 1951 में उठाया गया जिसका कुल परिव्यय मात्र 64.50 करोड़ रुपये था। हर पंचवर्षीय योजना में यह परिव्यय बढ़ता रहा और सातवीं योजना तक पहुंचते-पहुंचते यह 3000 करोड़ रुपये हो गया। इसमें से कोई 927 करोड़ रुपये ऊर्जा के लिए एवं 681 करोड़ रुपये सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के लिए रखे गए। आठवीं योजना की कुल राशि 11,500 करोड़ की थी पर खर्च 11,865 करोड़ रुपये हुए। नौवीं पंचवर्षीय योजना में सामाजिक सेवाओं और ऊर्जा विकास को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई। कुल 27,650 करोड़ रुपये के प्रावधान में से 7519.38 करोड़ रुपये की राशि यानी कुल का लगभग 27 प्रतिशत सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं यानी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं जैसे विषयों के लिए रखा गया। इस प्रकार नौ योजनाओं के अंतर्गत पिछले पांच दशक में पिछड़े राजस्थान को अग्रणी प्रदेश बनाने का प्रयास शुरू हुआ।

पानी, चाहे वह पीने के लिए हो या सिंचाई के लिए, यहां की युगयुगों से प्यासी धरती की मुख्य समस्या रहा है। मरुभूमि में महिलाएं मीलों दूर से गिने-चुने, बहुत गहरे कुओं से सिर पर घड़े रखकर पानी लाती थीं। यहां के लोग कभी-कभी होने वाली वर्षा की एक-एक बूंद को सहेज कर रखते थे। अब स्थिति कुछ बदलने लगी है। केन्द्र और राज्य की विभिन्न पेयजल योजनाओं के अंतर्गत प्रदेश के 222 नगरों, 37586 गांवों को तथा 48998 ढाणियों को आंशिक या पूर्ण रूप से पेयजल उपलब्ध कराया जा चुका है। मार्च 1999 तक इस कार्य पर 2500 करोड़ रुपये खर्च किए गए। दिसम्बर 2000 तक 289 और गांवों को पेयजल से लाभान्वित किया गया। राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अंतर्गत जयपुर, सीकर एवं अलवर जिलों के लिए 10,171 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। पिछले 3 वर्षों में 2028 हैंडपम्प एवं 286 नलकूप ग्रामीण क्षेत्र में तथा 300 हैंडपम्प एवं 222 नलकूप शहरी क्षेत्र में लगाए गए हैं। एक अच्छी बात यह है कि राज्य सरकार केवल हैंडपम्प लगाने पर ही नहीं, उनकी मरम्मत एवं रखरखाव पर भी ध्यान दे रही है। राजधानी जयपुर के लिए बीसलपुर बांध से पानी देने की योजना स्वीकृत है जिस पर 1100 करोड़ रुपये खर्च होंगे और 2011 तक 5980 लीटर पानी प्रतिदिन मिल सकेगा। इसके अलावा गहलोत सरकार ने परंपरागत स्रोतों जैसे कुओं, बावड़ियों, तालाबों आदि के संरक्षण और मरम्मत की योजना पर अमल शुरू किया है।

पानी समस्या का स्थाई हल निकालने की दिशा में युगान्तकारी कदम राजस्थान नहर की विशाल परियोजना है जिसका नाम 1984 में 'इंदिरा गांधी नहर' रख दिया गया था। पंजाब में सतुलज और व्यास नदियों के संगम पर बने हरीके बराज से पानी मरुभूमि में लाने वाली इस योजना का निर्माण 1958 में शुरू हुआ था और इस पर 4000 करोड़ रुपये का व्यय होने का अनुमान है। फीडर सहित मुख्य नहर 649 किलोमीटर लंबी है और इसकी 9000 किलोमीटर लंबी वितरिकाएं तथा 7 लिफ्ट योजनाएं होंगी। प्रथम चरण की 204 किलोमीटर फीडर एवं नहर तथा लगभग 7000 कि.मी. वितरिकाओं का निर्माण पूरा हो चुका है तथा द्वितीय चरण की 256 कि.मी. लंबी नहर, 5780 कि.मी. लंबी वितरिकाओं का निर्माण चल रहा है। इस नहर के पानी ने राज्य के गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरु, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर एवं बाड़मेर जिलों की चिर प्यासी मरुभूमि का भौगोलिक एवं आर्थिक परिदृश्य ही बदल डाला है। जहां नाममात्र की खेती होती थी, वहां गेहूं, चना, ज्वार, सरसों की फसलें लहलहाती हैं। यहां प्रतिवर्ष 1600 करोड़ रुपये मूल्य का उत्पादन होने लगा है। इस नहर से पेयजल उपलब्धता भी बढ़ी है। कोई 5 लाख लोगों को नियमित रोजगार भी मिल रहा है। यह मरुभूमि में गंगा के अवतरण जैसा है।

आजादी के समय राज्य की कुल 257 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य थी जबकि सतही जल से केवल 10 लाख एकड़ भूमि में ही सिंचाई सुविधा प्राप्त थी। अब कोई 61 मध्यम आकार की, और 2400 लघु सिंचाई योजनाओं से सिंचाई-क्षमता बढ़कर 28 लाख 20 हजार एकड़ हो गई है। हाल में जुलाई 2001 में पूर्ण हुई अकेली सिद्धमुख-नौहर परियोजना से ही 84 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त क्षमता का सृजन हुआ है।

सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि के फलस्वरूप कृषि क्षेत्र में भी वृद्धि हो रही है। वर्ष 1950 की तुलना में अब अनाज का उत्पादन चार गुना बढ़ गया है। कपास की पैदावार 10 गुनी तथा तिलहन की 30 गुना बढ़ी है। अब राजस्थान सरसों, बाजरा, रागी, ग्वार, जीरा उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर तथा मक्का, खरीफ की दालें, जौ एवं चने के उत्पादन में द्वितीय स्थान पर है।

यह सब किसानों को मिली सुविधाओं और उर्वरक, उन्नत बीज व नई तकनीकों में उनकी बढ़ती रुचि से संभव हुआ है। उन्हें अब भूमि का कानूनन मालिक बना दिया गया है और उनकी जमीन का आवश्यक ब्यौरा उनको उपलब्ध कराई गई 'पासबुक' में रहता है। राज्य के सभी गांवों में सहकारी समितियां हैं। उन्हें आसानी से ऋण मिल जाता है अत: साहूकार के पास जाने की जरूरत नहीं। राज्य के किसान उर्वरक की खपत में सभी राज्यों से आगे हैं। राज्य में विद्युत उत्पादन बढ़ाने की दिशा में तेजी से कार्य हुआ है और कई सुधार लागू करके वितरण व्यवस्था सुचारू बनाई जा रही है। राजस्थान की स्थापना के समय बिजली की कुल स्थापित क्षमता 13.270 मेगावाट थी जो 1998-99 में बढ़कर 4015.65 मेगावाट हो गई। यह कोटा जिले में चम्बल नदी पर तापीय विद्युत परियोजना के अंतर्गत पांच इकाइयां स्थापित कर, बांसवाड़ा जिले में माही जल विद्युत योजना के अंतर्गत दो चरणों में 4 इकाइयां स्थापित कर तथा जैसलमेर जिले में दो गैस तापीय परियोजनाएं तथा कुछ और योजनाएं पूरी करके हासिल किया गया। सूरतगढ़ तापीय बिजलीघर की प्रस्तावित 5 में से तीसरी इकाई 2001 में चालू कर दी गई है। राज्य में 2×220 मेगावाट क. परमाणु बिजलीघर भी है जो केन्द्रीय क्षेत्र में है। अब राज्य के 92 प्रतिशत गांवों में बिजली पहुंच गई है।

राजस्थान ऊर्जा के क्षेत्र में सुधार लागू करने वाला अग्रणी राज्य है। राज्य विद्युत मंडल भंग करके 5 नई कम्पनियां बनाई गई हैं जिन्हें उत्पादन, पारेषण एवं वितरण का अलग-अलग दायित्व सौंपा गया है। जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर के लिए अलग-अलग वितरण निगम बने हैं। इससे विद्युत क्षेत्र की आय बढ़ी है।

हर्ष की बात है कि गैर-परंपरागत स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करने के प्रभावी कदम उठाए गए हैं। जैसलमेर में पवन-ऊर्जा और मथानिया में सौर-ऊर्जा संयंत्र लगाए गए हैं।

औद्योगिक परिदृश्य

राज्य में उद्योगों की संख्या में भी बढ़ोत्तरी हुई है। रजिस्टर्ड लघु उद्योगों की संख्या 5 वर्ष में बढ़कर दो लाख हो गई है। लघु उद्योगों की परिधि में मुख्यत: खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र उद्योग, हथकरघा, हस्तशिल्प, प्लास्टिक, रसायन, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक-आधारित लघु उद्योग एवं दस्तकारी इकाइयां आती हैं। राज्य में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय मात्र 8 मध्यम या वृहद उद्योग थे जबकि 1998-99 में इनकी संख्या 531 हो गई जिनमें 13,740 करोड़ रुपये की पूंजी लगी थी और 1.70 लाख लोगों को रोजगार मिला था। राज्य सरकार प्रदेश में उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा कई प्रकार से दे रही है। राज्य ने औद्योगिक बस्तियों के विकास में मदद के लिए 1969 में राजस्थान औद्योगिक विकास निगम की स्थापना की जो अपने अंग्रेजी नाम 'रीको' से अधिक प्रसिद्ध है। इसने 270 औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जिनमें सर्वाधिक चर्चित भिवाड़ी है जो दारुहेडा से अलवर जाने वाले मार्ग पर स्थित है। पिछले 3 वर्षों में ही 'रीको' ने 21 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए और 2000 से अधिक भूखंड आवंटित किए।

तीव्र औद्योगिक विकास के लिए एक बुनियादी जरूरत अच्छी सड़कों का होना है। इस प्रदेश की स्थापना के समय राज्य में कोई 13,500 किलोमीटर लंबी सड़कें

चित्र-1 ⋀ नक्की झील-माउंट आबू
चित्र-2 ⋁ दीग पैलेस, दीग

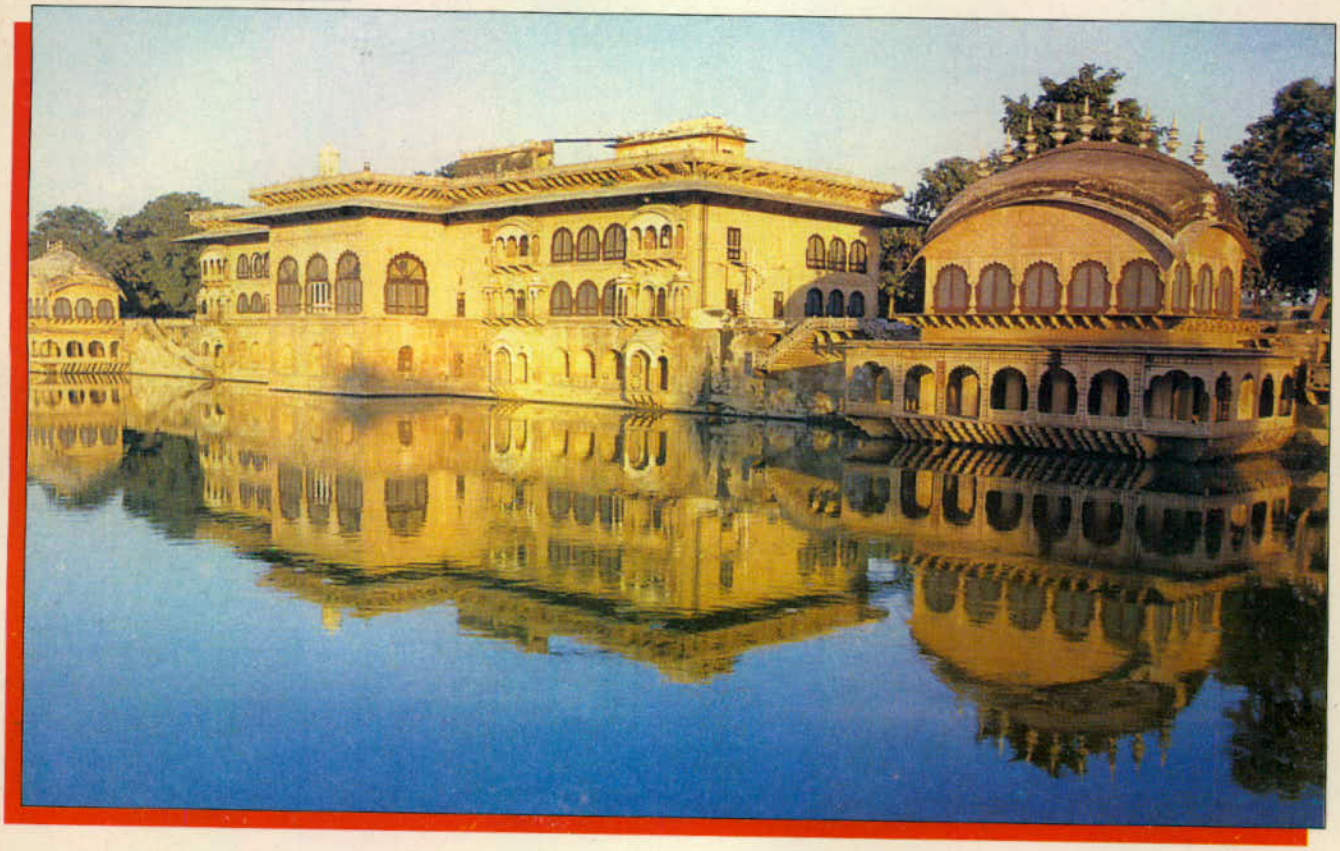

चित्र-1 : सूर्य मंदिर, झालावाड़

चित्र-2 : जग मंदिर पैलेस, कोटा

चित्र-3 : जल महल, जयपुर

थीं जिनमें डामर की तो मात्र 760 किलोमीटर थी। वर्ष 1998 तक राज्य में सड़कों की कुल लंबाई 81,500 कि.मी. हो गई जिनमें 65,400 कि.मी. डामर सड़कें थीं। पिछले 2 वर्षों में 1918 किलोमीटर लंबी डामर सड़कों का निर्माण कर 349 गांवों को सड़कों से जोड़ा गया है। वर्ष 2003 तक 1000 से अधिक आबादी वाले सभी गांव सड़क से जुड़ जाएंगे। दिल्ली-जयपुर राजमार्ग आज देश की सर्वोत्तम सड़कों में से है और दिल्ली से तीन-साढ़े तीन घंटे में कार द्वारा जयपुर पहुंचा जा सकता है। दिल्ली से जयपुर-अजमेर-अहमदाबाद और जोधपुर तक 'ब्राडगेज' हो जाने से यात्री एवं माल का आवागमन सुविधाजनक हो गया है।

भौतिक प्रगति के बाद सामाजिक प्रगति पर नजर डालने से कुछ निराशा होती है। राजस्थान का समाज अभी भी जातियों और उपजातियों में बंटा है। चुनावों में भी लोग जातिगत भावना से वोट देते हैं। दहेज-प्रथा प्रचलित है और आम आदमी के लिए बेटी का ब्याह बहुत खर्चीला है। आखा तीज पर इस नई शताब्दी में भी सैकड़ों बाल-विवाह होते हैं जो कानूनों का मखौल उड़ाते लगते हैं। स्त्रियों को अधिकार देने और उनकी सुरक्षा के कानून तो हैं पर स्त्रियों को सताने की घटनाएं कम नहीं होतीं। सती प्रथा की महिमा बरकरार है। समाज में सुधार लाने और नई चेतना जगाने का मुख्य साधन शिक्षा है।

पिछले 50 वर्षों में प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या कई गुना बढ़ी है, पर कई छात्र गरीबी के कारण पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। वर्तमान शासन ने बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था सुगम बनाने के लिए कोई 20 हजार स्वर्ण जयंती पाठशालाएं खोली हैं। देखना होगा कि इनमें कितने छात्र-छात्रा निरंतर जाते हैं। साक्षरता के क्षेत्र में अच्छी प्रगति हुई है। यहां साक्षरता दर 61.3 प्रतिशत है जो राष्ट्रीय औसत 62 के करीब ही है। महिला साक्षरता में 23.90 प्रतिशत की वृद्धि अच्छा संकेत है। चिकित्सा सुविधाओं की दृष्टि से राज्य सरकार ने हाल में कई सराहनीय कदम उठाए हैं। अब गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले लोगों को मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष से गंभीर रोगों के इलाज के लिए पूरी सहायता मिल सकती है। दिल का आपरेशन, किडनी, क्षय, आदि बीमारियों पर लाख डेढ़ लाख का खर्च बैठता है जिसे गरीब सहन नहीं कर सकता। अब मंहगे से मंहगा इलाज राज्य सरकार की सहायता से कराया जा सकता है। राज्य में पहले प्रति 2400 लोगों पर एक शैय्या उपलब्ध थी। अब 1185 लोगों पर एक शैय्या उपलब्ध है।

राज्य को जनसंख्या नियंत्रक क्षेत्र में कारगर कदम शीघ्र उठाने होंगे क्योंकि यहां 1981-91 के दशक में वृद्धि दर 28.33 रही जबकि राष्ट्रीय दर 21.34 तक गिर गई है। राज्य सरकार ने जनसंख्या नीति के तहत मिशन बनाया है जो राज्य में जन्मदर 31.3 से घटाकर 18.4 करने के समुचित उपाय करेगा।

राजस्थान पंचायती राज स्थापना की दिशा में पहल करने वाला प्रथम राज्य है। यहां 1959 में इस उद्देश्य के लिए कानून बन गया था और जवाहरलाल नेहरू ने सत्ता के विकेन्द्रीकरण के अभिनव प्रयास का उद्घाटन यहीं किया था। 1993 में 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत बने कानून द्वारा यहां देश के अधिकांश राज्यों की तरह त्रिस्तरीय पंचायती राज्य (जिला परिषद् पंचायत समिति ग्राम पंचायत) संस्थाओं को वैधानिक आधार प्रदान किया गया। अब राज्य के 32 जिलों में 237 पंचायत समितियां और 9186 ग्राम पंचायतें हैं। कई पंचायतों में महिलाएं सरपंच एवं पंच हैं। शुरू में महिला सरपंचों के पतियों ने अपनी पत्नी-सरपंचों के अधिकारों का दुरुपयोग किया पर अब स्थिति सुधर रही है। महिला सरपंचों और पंचों में गजब का आत्मविश्वास आ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टन ने मार्च 2000 में अपनी भारत- यात्रा के दौरान जयपुर के पास नैयला गांव का दौरा किया था और महिला सरपंचों के उत्साह एवं कार्य को देखा था।

सूचना प्रौद्योगिकी

राज्य ने सूचना प्रौद्योगिकी और आधुनिक संचार साधन अपनाने की दिशा में भी अद्भुत प्रगति की है। राज्य में अप्रैल 2000 से इस आशय की नीति लागू कर दी गई। इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री और उनका सचिवालय तथा जिलों के कलेक्टर-कार्यालय कम्प्यूटर प्रणाली से जोड़ दिए गए हैं ताकि सूचना का त्वरित आदान-प्रदान हो सके। राज्य के एक-चौथाई माध्यमिक स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षा की व्यवस्था के लिए तथा जिला मुख्यालयों पर एक-एक केन्द्र को इंटरनेट से जोड़ने के लिए आवश्यक धनराशि का प्रावधान कर दिया गया है। लगभग 20 सरकारी विभागों या उपक्रमों के 'वेबसाइट' तैयार हो गए हैं। सभी जिलों को इंटरनेट से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य में दूरसंचार विभाग के अतिरिक्त एक बुनियादी टेलीफोन सेवा तथा दो सेल्यूलर आपरेटर्स शुरू किए जा रहे हैं।

राज्य में पर्यटन विकास की अपार संभावनाएं हैं। पुरानी राजसी हवेलियों को 'हेरिटेज होटल्स' में तब्दील करके विदेशियों को आकर्षित करने का अभिनव प्रयास यद्यपि जारी है परंतु सितम्बर 2000 में अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमलों के बाद विमान सेवाएं लगभग ठप्प हो गई हैं और डर के मारे विदेशी पर्यटक आने बहुत कम हो गए हैं।

परंतु विपुल सांस्कृतिक धरोहर, त्वरित आर्थिक प्रगति और शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के बल पर राजस्थान अब देश के अग्रणी राज्यों में अपना स्थान बना चुका है। ❑

(लेखक एक जाने-माने पत्रकार हैं।)

राजस्थान में स्त्री-अधिकार
जन्म लेने और पढ़ने का हक

○ लीना मेहेंदले

सारे देश में राजस्थान ही एक ऐसा प्रांत है जहां बालिका-हत्या न केवल एक व्यक्ति या एक परिवार की सोच का विषय है, बल्कि एक पूरे समूह की सोच का विषय है। यहां गांव के गांव ऐसे हैं जो किसी के घर में बारात का न आना इज्जत और शान की बात समझते हैं। क्या किसी गांव के कथा-वाचकों को, साधु-संतों को, गांव के मुखियाओं को या महिला सरपंचों को यह बात अभी तक चुभी? क्यों आज तक लोकगीतों में स्त्री अधिकार की कहानियां नहीं रची गईं?

राजस्थान, एक ऐसा प्रदेश जिसका वर्णन कई प्रकार से मन में बैठा होता है, मसलन, शूरवीरों का देश, मरुभूमि का देश, ऊंटों का देश, कम पानी वाला सूखा प्रदेश, अरावली पर्वत का देश, राणा सांगा और राणा प्रताप का देश।

वैसे ही जैसे वह है महारानी कर्णवती का देश, जिसने राणा सांगा की मौत के बाद भी चित्तौड़ की कमान संभाले रखी; या पन्ना धाय का देश, जिसने अपने बेटे का बलिदान देकर राजपुत्र को बचा लिया; या मीरा का देश, जिसके भक्ति-रस ने पूरे भारत को सराबोर कर दिया; या हाड़ा रानी का देश, जिसने पति की युद्ध-विमुखता रोकने के लिए अपना सिर काट दिया; या महारानी पद्मिनी का देश, जिसने खिलजी के हाथों अपनी आबरू बचाने के लिए कई सहेलियों के साथ 'जौहर' किया।

लेकिन ये ही नारी और पुरुष जो घर के बाहर अपनी मिसाल कायम कर सकने योग्य हैं, घर के अंदर न जाने कैसी-कैसी अमानवीय प्रथाओं को पालते हैं। वे तलवार लेकर शत्रु पर तो पिल पड़ते हैं लेकिन दिल एवं दिमाग से विचार करके कुप्रथाओं से नहीं लड़ पाते, उन्हें बंद नहीं करवा पाते।

सारे देश में राजस्थान ही एक ऐसा प्रांत है जहां बालिका-हत्या न केवल एक व्यक्ति या एक परिवार की सोच का विषय है, बल्कि एक पूरे समूह की सोच का विषय है। यहां गांव के गांव ऐसे हैं जो किसी के घर में बारात का न आना इज्जत और शान की बात समझते हैं। किसी के घर बच्ची पैदा हो रही हो तो पूरे गांव को अपनी इज्जत पर ऐसा खतरा महसूस होता है जो किसी भी आर्थिक कारण से नितांत भिन्न है। क्या इन गांवों में आल्हा गाने वाले नहीं होते? क्या वे नहीं सोचते कि उनका गांव कभी किसी मीरा या कर्णवती या पद्मिनी या हाड़ा रानी की जन्मस्थली होने का गौरव प्राप्त नहीं कर सकेगा। क्या किसी गांव के कथा-वाचकों को, साधु-संतों को, गांव के मुखियाओं को या महिला सरपंचों को यह बात अभी तक नहीं चुभी? क्यों आज तक लोकगीतों में स्त्री अधिकार की कहानियां नहीं रची गईं?

स्त्री-अधिकार की बात करने बैठें तो मुख्यत: इन्हें यों गिनाया जा सकता है:-

- पैदा होने का हक और साथ ही अच्छे पोषण तथा स्वास्थ्य का हक। बीमार पड़ने पर इलाज का हक।
- अच्छी शिक्षा का हक, जो एक चिंतनशील, कर्मठ जीवन की नींव बन सके।
- रोजी-रोटी कमाने का हक।
- अपराधों से सुरक्षा का हक।
- संपत्ति जुटाने तथा संपत्ति पर स्वामित्व का हक।
- देश की राजकीय प्रणाली में नेतृत्व का हक।
- देश एवं समाज के विकास में योगदान का हक।
- भ्रमण द्वारा अपना व्यक्तित्व तथा ज्ञान निखारने का हक।
- परिवार बनाने एवं पोसने में बराबरी का हक।

अब देखें कि इन अधिकारों के संदर्भ में राजस्थान की महिलाओं की स्थिति परखने पर क्या चित्र मिलता है। वर्ष 2001 की जनगणना के आंकड़े हाल ही में प्रकाशित हुए हैं। देशभर में स्त्री-पुरुष अनुपात तो पहले से ही चिंता का विषय था, नई जनगणना में उससे भी गंभीर और भयावह चिंता का विषय है बच्चों में लड़की-लड़कों का अनुपात। जहां 1997 की जनगणना में

प्रति हजार पुरुषों के पीछे केवल 927 स्त्रियां थीं, वहीं छह वर्ष से कम आयु के बच्चों में प्रति हजार लड़कों के पीछे 945 लड़कियां थीं जो कि काले बादलों पर सुनहरी किनार का संतोष देती थीं। लेकिन 2001 की जनगणना के बाद वह संतोष भी छिन गया है। अब जहां कुल स्त्री-पुरुष अनुपात 932 है, वहीं छह से कम आयु का बालिका-बालक अनुपात घटकर 927 हो गया है। इससे जाहिर है कि देश भर में शिशु-बालिकाओं की हत्या या स्त्री-भ्रूण हत्याएं तेजी से बढ़ रही हैं और यदि जल्दी ही इस घटनाक्रम को नहीं रोका गया तो यह अनुपात पूरे समाज को बढ़ते अपराध के भंवर में धकेल देगा।

इस पृष्ठभूमि में राजस्थान का योगदान कितना है? शिशु-लिंग-अनुपात का औसत पूरे देश के लिए भले ही 927 हो, लेकिन राजस्थान के विभिन्न जिलों में यह काफी कम है जिसे सारिणी-1 में देखा जा सकता है। कुल 32 जिलों में से 24 जिलों में शिशु-लिंग-अनुपात 927 से कम है। केवल चित्तौड़गढ़, उदयपुर, झालावाड़, राजसमंद, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, पाली और डूंगरपुर में यह थोड़ा अधिक है। सबसे कम अनुपात है 852, जो गंगानगर में है। इसके अलावा हनुमानगढ़, झुनझुंनु, जयपुर, अलवर, सीकर, दौसा, धौलपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर और जैसलमेर में शिशु-लिंग-अनुपात 900 से कम है। यद्यपि यह मानना पड़ेगा कि राजस्थान की सीमा से लगे पंजाब, हरियाणा और गुजरात राज्यों में स्थिति कहीं अधिक विकराल है फिर भी यदि जिला स्तर से नीचे उतरकर तहसील या ग्राम पंचायतों या गांवों के आंकड़े देखे जाएं तो कई ऐसे गांव के गांव मिल जाएंगे जहां यह अनुपात अत्यंत कम है।

स्त्री-शिशु हत्या के लिए कई बार ऐसे जघन्य प्रयोग किए जाते हैं जिनके आगे कंस की दुष्टता भी फीकी पड़ जाए। मसलन-नवजात लड़की के मुंह पर तकिया रखकर या उसे बक्से में बंद कर उसकी सांस रुकवाना, या उसके मुंह में धतूरे के बीज या चावल के कच्चे दाने डालकर अन्न-नलिका तथा श्वास नलिका को बंद कर देना, या उसकी देह पर चारपाई के पांव रखकर उस पर बैठ जाना, इत्यादि। यह काम दाइयों, बड़ी-बूढ़ियों और मांओं द्वारा सबके समक्ष किया जाता है और आने वाली दाई को भारी विदाई भी दी जाती है। आज भी राजस्थान में कई जगह ये कारनामें रुके नहीं हैं। भले ही भारतीय दंड संहिता की धारा 312-318 में ऐसी शिशु हत्या के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है, फिर भी न केवल ऐसी हत्याएं दर्ज नहीं की जाती, उनके लिए किसी को दंडित भी नहीं किया जाता।

स्त्री-शिशु हत्या के लिए कई बार ऐसे जघन्य प्रयोग किए जाते हैं जिनके आगे कंस की दुष्टता भी फीकी पड़ जाए। मसलन-नवजात लड़की के मुंह पर तकिया रखकर या उसे बक्से में बंद कर उसकी सांस रुकवाना, या उसके मुंह में धतूरे के बीज या चावल के कच्चे दाने डालकर अन्न-नलिका तथा श्वास नलिका को बंद कर देना, या उसकी देह पर चारपाई के पांव रखकर उस पर बैठ जाना, इत्यादि।

इस उदाहरण द्वारा जो लोग दुहाई देते हैं कि औरत ही औरत की दुश्मन है, उनका दावा मैं गलत मानती हूं, इसलिए कि घर के अंदर शिशु-हत्या का काम पूरा करने वाली ये तमाम औरतें बाहर बैठे पुरुषों के दबाव और उनके डर के कारण ही यह सब करती हैं। जब भंवरी देवी जैसी कोई औरत औरत-जात को सामाजिक कुरीतियों से बचाना चाहती है तो अन्ततः गांव के पुरुष ही उसे जघन्य 'सजा' देकर उसका विद्रोह कुचलने का कदम उठाते हैं।

स्त्री-शिशु हत्या की परंपरा में एक और कड़ी जुड़ती है स्त्री-भ्रूण हत्या से, जो आज सारे देश पर ही संकट के रूप में छाई है। यहां दो-दो डॉक्टर इस काम को संपन्न करते हैं— एक तो वे जो सोनोग्राफी टेस्ट करते हैं और बता देते हैं कि किसी महिला को गर्भ है या नहीं और गर्भस्थ शिशु 'स्त्री' है या 'पुरुष'। दूसरे वे डॉक्टर जो इस भ्रूण को डॉक्टरी उपायों से, अर्थात् क्यूरेटिंग से निकाल फेंकते हैं।

सरकार के दो नए कानूनों— एम.टी.पी. एक्ट और पी.एन.डी.टी. एक्ट के अंतर्गत प्रावधान है कि प्रत्येक जिले में एक सक्षम अधिकारी की घोषणा की जानी चाहिए जिसके पास ऐसे दोनों तरह के डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन हो। इस रजिस्ट्रेशन का अच्छा उपयोग किया जा सकता है।

जनगणना आयोग की अपनी सीमाएं हैं जिस कारण वे कुछ ही आंकड़े प्रकाशित कर पाते हैं। कुछ तो शायद देखे भी न जाते हों। लेकिन नीति-निर्धारकों, मसलन योजना आयोग या सरकार के महिला विभाग को इन आंकड़ों के प्रति जल्दी ही चेतना होगा। जिलावार आंकड़ों से संतोष कर लेने की बजाय जनगणना आयोग से मांग करनी होगी कि राजस्थान के शिशु-लिंग-अनुपात के आंकड़े गांववार जारी किए जाएं ताकि पता चले कि किन गांवों में सबसे अधिक पहल आवश्यक है। आयोग को भी ऐसे गांवों के नाम प्रकाशित करने चाहिए ताकि देश की प्रबुद्ध जनता और योजनाकारों का ध्यान इस ओर अधिक कारगर रूप में खींचा जा सके। जिन गांवों में ये आंकड़े 700 से कम पाए जाएं वहां के सारे सोनोग्राफी क्लिनिक्स एवं 'गायनोकॉलॉजिस्ट' अस्पतालों तथा दाइयों पर अधिक सतर्कता से निगरानी रखनी होगी। जिन गांवों में स्त्री-शिशु-लिंग अनुपात अत्यंत कम है, वहां सक्षम अधिकारियों द्वारा कुछ

कारगर कदम उठाए जा सकते हैं।

स्त्री-शिक्षा का आकलन करने पर पाया गया है कि पिछले दशक में राजस्थान ने प्रगति की है जिस कारण स्त्री-साक्षरता का औसत प्रमाण बढ़ गया है। फिर भी कई जिले हैं जहां अभी तक यह 30 प्रतिशत से कम है। ये हैं—जालोर, जैसलमेर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, टोंक एवं डूंगरपुर। जालोर और जैसलमेर जिलों में स्त्री-शिक्षा का अनुपात 10 से कम था। वहां के प्रयत्नों की प्रशंसा करनी होगी।

फिर भी यह कहना आवश्यक है कि साक्षर बनाने वाली और चिंतनशील दिमाग देने वाली शिक्षा अलग-अलग है। साथ ही यह भी देखना आवश्यक है कि शिक्षा का प्रमाण बढ़ने पर औरतों को रोजी-रोटी कमाने के कितने अवसर मिल रहे हैं और अवसर का फायदा उठाने लायक माहौल है या नहीं। सही माहौल के लिए 'अपराधों से सुरक्षा' का हक अत्यंत आवश्यक है। अत: इस संबंध में कुछ कहना आवश्यक है।

कुछ अपराध ऐसे हैं जो केवल स्त्री जाति के विरुद्ध ही किए जाते हैं और उनमें सबसे घृणित हैं बलात्कार तथा दहेज हत्याएं। राजस्थान में प्रतिवर्ष करीब 1200 बलात्कार की घटनाएं होती हैं और 500 दहेज हत्या की। सारिणी-1 में इन दोनों अपराधों की दर दी गई है जिसके लिए 1995-99 के दौरान घटे अपराध के आंकड़े और 1996 की जनसंख्या को आधार लिया गया है।

सारिणी से देखा जा सकता है कि झालावाड़ जैसे जिलों में बलात्कार की दर प्रति करोड़ जनसंख्या में 800 से अधिक है। इस मामले में देश के सबसे बुरे पचास जिलों की सूची में झालावाड़, बांसवाड़ा तथा बारन का नाम शामिल है। इसी प्रकार दहेज हत्या की अधिकतम दर के लिए देश भर के पचास जिलों की सूची में धौलपुर का नाम शामिल है।

यहां यह देखना उपयुक्त होगा कि विभिन्न जिलों में स्त्री-पुरुष लिंग अनुपात, स्त्री-

सारिणी-1

जिलावार शिशु-लिंग अनुपात एवं अन्य आंकड़े

जिला	शिशु-लिंग अनुपात	महिला साक्षरता प्रतिशत	बलात्कार की दर (प्रति करोड़)	दहेज-हत्या दर (प्रति करोड़)
अजमेर	923	41	154	53
अलवर	888	36	172	119
बांसवाड़ा	972	22	789	38
बारन	918	34	642	56
बाड़मेर	922	34	89	18
भरतपुर	875	35	282	124
भिलवाड़ा	951	28	293	36
बीकानेर	915	34	222	76
बूंदी	908	31	540	50
चित्तौड़गढ़	927	30	404	37
चुरू	912	44	143	66
दौसा	900	35	175	79
धौलापुर	859	33	234	217
डुंगरपुर	963	25	312	40
गंगानगर	852	44	366	163
हनुमानगढ़	873	44	241	119
जयपुर	897	47	135	78
जैसलमेर	867	25	93	57
जालोर	924	22	73	49
झालावाड़	929	33	832	54
झुनझुंनू	867	50	89	89
जोधपुर	920	32	120	86
करौली	876	36	186	—
कोटा	902	52	483	88
नागौर	920	33	106	43
पाली	927	30	146	54
राजसमंद	935	31	193	44
सवाई माधोपुर	900	29	186	76
सीकर	882	47	71	74
सिरोही	918	30	223	46
टोंक	922	27	234	37
उदयपुर	944	36	232	55

स्रोत : 2001 की जनगणना तथा एन सी आर बी के आंकड़े।

शिक्षा तथा बलात्कार और दहेज-हत्या जैसे अपराधों का क्या संबंध है। चित्र-1 में सभी जिलों में शिशु-लिंग अनुपात के साथ दहेज-हत्या की औसत दर अंकित की गई है। इसमें स्पष्ट देखा जा सकता है कि जिन जिलों में शिशु-लिंग अनुपात अधिक है, वहां दहेज-हत्या की दर कम है। राजस्थान की तमाम महिलाओं और स्वयंसेवी संस्थाओं को तत्काल चेत जाना चाहिए कि जहां स्त्री-भ्रूण-हत्याएं कम होंगी और शिशु-लिंग अनुपात अधिक होगा, वहां दहेज-हत्याएं भी कम होगी। बलात्कार की बाबत भी साधारण चित्र यही है। केवल दक्षिण राजस्थान के चार जिलों— डुंगरपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर और राजसमंद में इसका ठीक उल्टा 'ट्रेंड' है। अत: वहां के कारणों का अलग अध्ययन आवश्यक है।

इसी प्रकार चित्र-2 में सभी जिलों में स्त्री-साक्षरता का दर के साथ बलात्कार के अपराध की दर अंकित की गई है। इसमें भी देखा जा सकता है कि साधारणतया जिस जिले में स्त्री-साक्षरता का प्रमाण है, वहां बलात्कार की औसत दर कम है। केवल कुछ जिले इस 'ट्रेंड' से अलग हैं और वहां बलात्कार की दर अत्यधिक है जैसे, कोटा 483, गंगानगर 366, झालवाड़ 832 या बारन 642।

हालांकि इन दृष्टांतों को किसी ठोस सिद्धांत का स्वरूप नहीं दिया जा सकता क्योंकि हर जिले का भौगोलिक-आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश अलग है, फिर भी ये दो चित्र स्पष्ट रूप से दिशा-निर्देश अवश्य करते हैं कि यदि स्त्री-शिशु या स्त्री-भ्रूण हत्या को रोका जाए और स्त्री-शिक्षा को बढ़ाया जाए तो स्त्रियों के प्रति होने वाले अपराधों को घटाया जा सकता है।

चित्र-3 का अध्ययन विशेष रूप से आवश्यक है क्योंकि यह एक दुश्चिह्न का संकेत देता है। इसमें सभी जिलों के सन 2001 के शिशु-लिंग अनुपात को स्त्री-शिक्षा दर के साथ अंकित किया गया है।

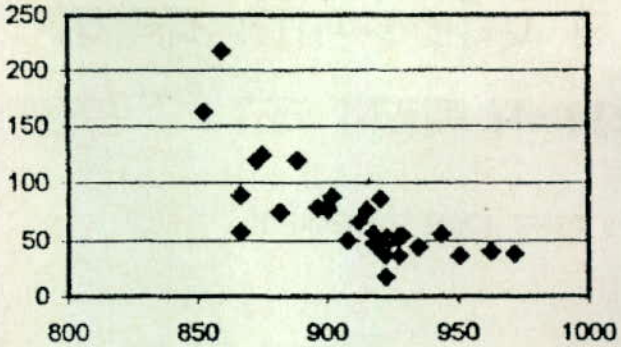

चित्र-1
शिशु लिंग अनुपात बनाम दहेज हत्या दर

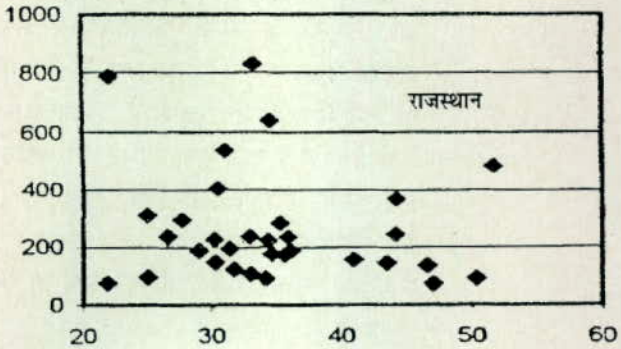

चित्र-2
साक्षरता प्रतिशत बनाम बलात्कार दर

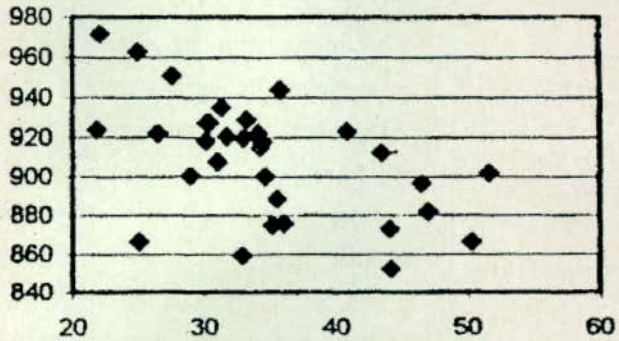

चित्र-3
साक्षरता प्रतिशत बनाम शिशु-लिंग अनुपात

यहां देखा जा सकता है कि जिन जिलों में स्त्री-शिक्षा की दर बढ़ी है वहां शिशु-लिंग अनुपात घटा है अर्थात स्त्री-भ्रूण हत्याएं अधिक हो रही हैं। यह वास्तव में चिंता का विषय है कि एक ओर तो बालिकाओं को पढ़ाई का हक मिल रहा है, दूसरी ओर जन्मने का हक उनसे छिन रहा है। इससे जाहिर है कि हमारी शिक्षा पद्धति और विकास की नीतियां अभी भी हमें असली शिक्षा, असली स्वतंत्रता, असली चरित्र-विकास की ओर नहीं ले जा सकी हैं और यह परिस्थिति साक्षरता के कारण पैदा नहीं हुई है, बल्कि स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं अपने साथ जो नए तरीके लाई हैं, उनके दुरुपयोग के कारण उत्पन्न हुई हैं।

राजस्थान की महिलाओं ने पिछले दो-तीन वर्षों में कई उपलब्धियां हासिल की हैं— सहकारिता आंदोलन चलाया है, पानी बचाने के कार्यक्रम चलाए हैं, शिक्षा अभियान चलाए हैं, यहां तक कि अमेरिकी अध्यक्ष बिल क्लिंटन को भी प्रभावित कर दिखाया है। उनके लिए और हम सभी के लिए यह एक चुनौती है कि उन्हें मिलने वाला हक किसी दूसरे के हक की कीमत पर न हो। ❑

(लेखिका केन्द्र सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग में संयुक्त सचिव हैं।)

राजस्थान ने पर्यटन-नीति बनाकर देश में पहल की

○ कुसुम मेहता 'प्रियदर्शिनी'

राजस्थान देश का न केवल सबसे बड़ा राज्य है किंतु कई क्षेत्रों में उसने पहल कर अन्य राज्यों के समक्ष अनुकरणीय एवं अनुपम उदाहरण भी प्रस्तुत किए हैं जिनमें पूर्व देशी रियासतों का एकीकरण, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण (सत्ता का), हरित एवं श्वेत क्रांतियों का सूत्रपात, आणविक विद्युत-गृहों की स्थापना, परमाणु विस्फोट परीक्षण, सर्वाधिक संख्या में सैनिकों की भर्ती आदि प्रमुख हैं।

इसी संदर्भ में विकास एवं सृजन की गति को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान शासन ने नई पर्यटन नीति की घोषणा की है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने अभी तक ऐसी नीति बनाने पर सक्रियता से विचार नहीं किया है।

रंगीले राजस्थान की रम्य भूमि अपने गौरवपूर्ण इतिहास, समृद्ध संस्कृति, खोजपूर्ण पुरातत्व, अपार खनिज संपदा, रेतीले धोरे, विविध वनस्पतियों, वन्य जीवों, लोक जीवन और न जाने कितने-कितने क्षेत्रों की संपन्नता के लिए विख्यात है। देश के सबसे बड़े इस राज्य में लहराते समुद्र और हिमाच्छादित शिखरों के अतिरिक्त प्रकृति प्रदत्त समस्त सुंदरताएं विद्यमान हैं जिनकी ओर देशी-विदेशी पर्यटक बरबस आकर्षित होते हैं।

यहां के गढ़, कोट और किले, महल, हवेलियां और महलों में चल रहे 'पैलेस होटल' एवं 'हेरिटेज रिसोर्ट्स', इंद्रधनुषी मेले व उत्सव, पश्चिम क्षेत्र का थार मरूस्थल तथा पूर्वी क्षेत्र में जल एवं हरितिमा; बूंदी, किशनगढ़, मेवाड़, मारवाड़ बीकानेर, सिरोही, अलवर और जयपुर की आकर्षक चित्र शैलियां और अनूठा हस्तशिल्प देखते ही बनता है।

प्रकृति ने राजस्थान को विषमता के साथ विविधता प्रदान की है और वह सब कुछ दिया है जो देश के अन्य भागों में सहजता से सुलभ नहीं है। ऐसी स्थिति में यहां के मरूस्थलों, पहाड़ी क्षेत्रों, वनों, झीलों, राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों में साहसिक पर्यटन विकास की विपुल संभावनाएं हैं। यहां बड़ी संख्या में वृहदाकार झीलें हैं जो जल-क्रीड़ाओं के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं। एशियाई खेलकूदों के आयोजन के समय जयपुर की रामगढ़ झील का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय जल-खेलकूद प्रतियोगिताओं के लिए किया गया था और सभी ने इसकी उपयुक्तता की सराहना की थी। जयसमंद विश्व की सबसे बड़ी मानव-निर्मित झील है। राजसमंद, बालसमंद, कैलाना, गढ़ीयर, नक्की आदि झीलें भी हैं।

इसी प्रकार आबू पर्वत तथा जरगा पहाड़ और अनेक पहाड़ियां साहसिक अभियान, ट्रैकिंग एवं पर्वतारोहण की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। थार का रेगिस्तान ऊंटों पर 'सफारी' का व्यापक एवं रोमांचक क्षेत्र है। यहां हवाई-क्रीड़ाओं के विकास की व्यापक संभावनाएं विद्यमान हैं।

राजस्थान की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक परंपरा गौरवशाली रही है। हनुमानगढ़ जिले के कालीबंगा क्षेत्र में उपलब्ध अवशेष सिंधु घाटी से भी प्राचीन सभ्यता के पल्लवित-पुष्पित होने के संकेत देते हैं। इसी प्रकार आबूरोड़ के पास चंद्रावती मंदिर परिसर, जैसलमेर के पास लोडवा मंदिर, बूंदी के पास काकूनी तथा भीलवाड़ा के पास मैनाल एवं बिजौलिया के मंदिर-परिसर भी प्राचीन स्थापत्य के अनुपम केंद्र हैं। राजस्थान के प्राचीन मंदिरों की शृंखला में नाथद्वारा, कैलाशपुरी, हर्षनाथ, राणकपुर, देलवाड़ा, डूंगरपुर का देव सोमनाथ, बांसवाड़ा का अरथूना मंदिर परिसर, उदयपुर का जगत एवं नागदा क्षेत्र, कोटा का बाडौली, बाड़मेर

राजस्थान देश का न केवल सबसे बड़ा राज्य है किंतु कई क्षेत्रों में उसने पहल कर अन्य राज्यों के समक्ष अनुकरणीय उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। विकास एवं सृजन की गति को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान शासन ने जिस नई पर्यटन नीति की घोषणा की है उससे पर्यटन विकास को पर्याप्त बल मिलने की संभावना है।

का किराडू, जोधपुर का ओसिया, झालावाड़ का चंद्रभागा मंदिर और दौसा का आभानेरी मंदिर हमारी इस गौरवशाली परंपरा के ज्वलंत प्रमाण हैं। पुष्कर की गणना बारह धामों में की जाती है।

अजमेर में ख्वाजा साहब एवं गलियाकोर में दर्शनार्थ क्रमश सुन्नी और शिया मुसलमान देश-देशांतर से बड़ी संख्या में शिरकत देने आते हैं।

पर्यटन जगत में राजस्थान एक सांस्कृतिक संधान-स्थल माना जाता है। चित्तौड़गढ़ और जैसलमेर के दुर्ग विश्वविख्यात हैं तो जोधपुर का किला भी पीछे नहीं है। राजस्थान की थर्मापोली 'हल्दीघाटी' से भला कौन अपरिचित है? प्राचीन जलसंग्रह के लिए निर्मित कलात्मक बावड़ियां इस प्रदेश की अनूठी विशेषता हैं। चित्तौड़गढ़ के विजयस्तंभ-कीर्तिस्तंभ कुतुबमीनार से टक्कर लेते हैं। जयपुर की जंतर-मंतर वैधशाला महाराजा जयसिंह की अनुपम देन है।

राजस्थान संभवत: बिहार के बाद सबसे अधिक खनिज-संपन्न राज्य है। यहां चालीस से अधिक खनिज मिलते हैं जिनमें से कुछ पर तो उसका एकाधिकार है। इस खनिज संपदा में सीसा, जस्ता, टंगस्टन, मैंगनीज, तांबा, लोहा, वोलेस्टेनाइट, ग्रेफाइट, बाक्साइट, चांदी, सोना, हीरा, पन्ना, माणिक, नीलम, यूरेनियम, ग्रेनाइट, गार्नेट आदि सम्मिलित हैं।

इस प्रदेश की वनस्पतियों में अश्वगंधा, अशोक, खेजड़ी, पीपल, बरगद, गुलमोहर, अडूसा, बांस, नीम, अमलतास आदि वे प्राय: सभी शामिल हैं जिनसे आयुर्वेदिक, एलौपेथिक एवं घरेलू उपयोग की औषधियां बनती हैं। राजस्थान के रंगीले और हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाए जाने वाले त्यौहारों में गणगौर, तीज, बसंत पंचमी और होली प्रमुख है।

हस्तशिल्प में तो यह प्रदेश जितना समृद्ध एवं संपन्न है उतना संभवत: विश्व का कोई भू-भाग नहीं है। पीतल पर नक्काशी व मीनाकारी, पेपरमेशी, लकड़ी के खिलौने, ब्लू पाटरी, सांगानेर-बाडमेर-बगरू की छपाई, बंधेज का काम, कशीदाकारी, 50 ग्राम तक की रजाइयां, अंगूठी के छिद्र से निकलने वाले मलाई शाल, पत्थर-संगमरमर की जालियां, हल्की-फुल्की जूतियां, कुंदन-मीनाकारी के जड़ाऊ जेवरात आदि अनेक हस्तशिल्प अनूठापन लिए हुए हैं।

राजस्थान के विकास में सबसे बड़े बाधक हैं ऊर्जा एवं जल की कमी, संस्थागत सुविधाओं का अभाव, व्यापक स्तर पर प्रतिभा पलायन, रोड़े अटकाती लालफीताशाही आदि। ऐसी स्थिति में राजस्थान में जिस उद्योग का तीव्रता से विकास किया जा सकता है वह है पर्यटन उद्योग। राज्य के सभी विभागों और निजी उद्यमों तथा गैर-सरकारी संस्थाओं का भरपूर सहयोग लेकर इस क्षेत्र में चरम प्रगति की जा सकती है। इसी तथ्य एवं सत्य को ध्यान में रखकर राज्य शासन ने पर्यटन नीति की घोषणा की है जिसका सर्वत्र स्वागत हुआ है।

नीति के अनुसार राज्य में आने वाले पर्यटकों की वर्तमान संख्या को देखते हुए वर्ष 2005 तक उनके आवास के लिए 20 हजार अतिरिक्त कमरों की आवश्यकता होगी। वर्तमान में राज्य में कुल 1460 पर्यटन इकाइयों में 24514 कमरे उपलब्ध हैं। गत तीन वर्षों के दौरान राज्य में 112 पर्यटन-इकाइयों के माध्यम से 140 करोड़ रुपये से अधिक राशि का निवेश किया गया है।

आधुनिक युग में पर्यटन-विकास बहुत कुछ होटल उद्योग पर निर्भर करता है। यह तथ्य विशेष रूप से विदेशी पर्यटकों पर लागू होता है जो सैर-सपाटे पर घर से निकलते हैं तो अपनी सुविधाओं के प्रति भी गंभीर होते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखकर नई पर्यटन नीति में होटल व्यवसाय की ओर प्रमुखता से ध्यान दिया गया है।

नीति में राज्य में स्थापित नई होटल इकाइयों को शहरी सीमा में भूमि खरीदने पर पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में शत प्रतिशत छूट का प्रावधान किया गया है। पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट का प्रावधान तभी मान्य होगा जब नई इकाई में कम-से-कम एक करोड़ रुपये का निवेश किया जाए और इकाई का संचालन 1 अप्रैल, 2000 से 31 दिसंबर, 2001 के बीच किया गया हो। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित इकाइयों को इन दोनों शर्तों के साथ भूमि एवं भवन-कर में शत-प्रतिशत छूट देय होगी।

इस नीति में पर्यटन-इकाइयों की स्थापना के लिए कृषि-भूमि की आरक्षित दरों के एक-चौथाई दाम पर अधिकतम चार बीघा भूमि के आवंटन का प्रावधान है। पर्यटन इकाई में अकुशल कार्यबल की शत-प्रतिशत भर्ती स्थानीय स्तर पर किए जाने की शर्त भी लागू की गई है। पर्यटन उद्योगों को दी जाने वाली सुविधाओं के तहत नई पर्यटन इकाइयों को पांच वर्ष तक के लिए विलासिता-शुल्क में छूट का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही एक हजार रुपये तक के किराए वाले कमरों पर कोई विलासिता-शुल्क नहीं लेने, और दो हजार रुपये किराए तक के कमरों पर पांच प्रतिशत विलासिता-कर लागू करने का प्रावधान किया गया है। दो हजार रुपये से अधिक किराए वाले कमरों पर शुल्क की दर 10 प्रतिशत होगी। पर्यटन विभाग ने अप्रैल से जुलाई तक के चार महीनों के लिए विलासिता-शुल्क की दरें घटाकर आधा करने का सुझाव दिया था। इसे भी मंत्रिमंडल ने स्वीकार कर लिया है।

नीति के अनुसार राज्य में आने वाले पर्यटकों की वर्तमान संख्या को देखते हुए वर्ष 2005 तक उनके आवास के लिए 20

हजार अतिरिक्त कमरों की आवश्यकता होगी। वर्तमान में राज्य में कुल 1460 पर्यटन इकाइयों में 24514 कमरे उपलब्ध हैं। गत तीन वर्षों के दौरान राज्य में 112 पर्यटन-इकाइयों के माध्यम से 140 करोड़ रुपये से अधिक राशि का निवेश किया गया है।

नई नीति में अमेरिका की त्रासदी का उल्लेख करते हुए पर्यटन-विभाग की रणनीति में बदलाव किया गया है। इसके अंतर्गत विदेशी पर्यटकों की आवक पर बनी निर्भरता को कम करते हुए स्वदेशी पर्यटकों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया है। देशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिहाज से नीति में दूसरे राज्यों में राजस्थान का प्रचार बढ़ाने की बात कही गई है। साथ ही विपणन एवं पर्यटन 'मार्ट' के आयोजन का प्रावधान भी किया गया है।

राज्य में उपलब्ध पर्यटन संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर रोजगार के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य को लेकर तैयार नई पर्यटन-नीति में राज्य की समृद्ध प्राकृतिक, ऐतिहासिक, स्थापत्य कला व सांस्कृतिक विरासत को वैज्ञानिक तरीकों से प्रतिबंधित कर संरक्षित करने की आवश्यकता बताई गई है। पर्यटन को जन-उद्योग का दर्जा देते हुए नीति में कहा गया है कि पर्यटकों को नए उत्पाद उपलब्ध कराते हुए पर्यटन क्षेत्र के नकारात्मक पहलुओं पर नियंत्रण जरूरी है।

राज्य सरकार की भूमिका को उत्प्रेरक, संयुक्त खोजकर्ता, नीति-निर्धारक, व्यावहारिक-नियंत्रक, कानून व्यवस्था की रक्षक और पर्यटन पुलिस उपलब्ध कराने का माध्यम मानते हुए नई नीति के प्रारूप में कहा गया है कि राज्य में मिड-वे रेस्टोरेंट, एथनिक रिजोर्ट्स, अम्यूजमेंट पार्क्स, हैरीटेज होटल एवं 'रोप-वे' पूंजीनिवेश के संभावित प्रमुख क्षेत्र हैं।

इसके अतिरिक्त फिल्म स्टूडियो, फिल्म शूटिंग, टी.वी. धारावाहिकों की शूटिंग, पर्यटकों के लिए ग्रामीण-हाट, हस्तशिल्प व खान-पान के केंद्र, होटल प्रबंध संस्थान, विदेशी भाषा प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना को भी पूंजीनिवेश का संभावित क्षेत्र बताया गया है। नीति में प्रमुख पर्यटक-स्थलों को मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए 'टोल' रोड के क्षेत्र में निवेश की संभावना भी जताई गई है। इन मार्गों में चौमूं-सामोद, खैरवाड़ा-कुमलगढ़, पाली-नारलाई, बांसवाड़ा-अर्धूना, उदयपुर-जगत मार्ग प्रमुख हैं। साथ ही पर्यटक परिवहन, 'हवेली ऑन व्हील्स', मोटर-होम, एयर-टैक्सी, चार्टर-हेलीकाप्टर एवं टैक्सी को बढ़ावा देने की जरूरत भी बताई गई है।

साहसिक पर्यटन, पर्यावरण पर्यटन, ऊंट व घोड़े की सवारी, नदी एवं नहरी नौकायन, शैक्षणिक एवं ग्रामीण पर्यटन को भी नई नीति के उद्देश्यों के रूप में सम्मिलित किया गया है। हाल ही में आयोजित मंत्रीमंडल की बैठक में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ब्याज अनुदान, डी.जी. सैट्स अनुदान, राज्य में फिल्म शूटिंग को प्रोत्साहन, मल्टीप्लेक्स, ड्राइव इन सिनेमा एवं थियेटर विकसित करने की भी मंजूरी दी गई है। इन रियायतों के अंतर्गत 60 लाख रुपये का निवेश पर्यटन-इकाई में किए जाने पर ब्याज में दो प्रतिशत की छूट का प्रावधान है, लेकिन यह छूट तभी देय होगी जब संबंधित पर्यटन-इकाई में कम से कम 50 प्रतिशत स्थानीय अकुशल लोगों को रोजगार दिया जाएगा।

बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित पर्यटन इकाइयों को डी.जी. सैट्स अनुदान देने पर भी सहमति दी गई। नीति में राज्य में फिल्म शूटिंग को बढ़ावा देने की दृष्टि से ऐसी फिल्मों को एक साल तक मनोरंजन-कर से मुक्त रखने का प्रावधान किया गया है जिनकी 75 फीसदी शूटिंग राजस्थान में हुई हो। मनोरंजन-कर में यह छूट केवल 'यू' प्रमाण-पत्र प्राप्त फिल्मों को ही दी जा सकेगी। मल्टीप्लेक्स और 'ड्राइव-इन' सिनेमा-घरों को भी उनके व्यावसायिक संचालन की तारीख से तीन वर्ष तक के लिए मनोरंजन-कर में छूट देने का प्रावधान किया गया है। यह छूट पहले वर्ष 75 प्रतिशत, दूसरे वर्ष 50 प्रतिशत और तीसरे वर्ष 25 प्रतिशत की दर से दी जाएगी।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि राजस्थान की पर्यटन नीति सर्वांगीण एवं संपूर्ण है और इससे राज्य के पर्यटन विकास को बल मिलेगा। अच्छा होता यदि इसमें रत्नाभूषण पर्यटन, वन्य-जीव पर्यटन, पुरातत्व पर्यटन, आदिवासी पर्यटन आदि क्षेत्रों का भी समावेश किया जाता जिसके लिए राजस्थान प्रसिद्ध है। ❑

(लेखिका स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

होटलों की कैटरिंग से जुड़े सेवा-कर समाप्त

संसद भवन पर हुए आतंकवादी हमले पर्यटन उद्योग पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव को समाप्त करने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने होटलों की कैटरिंग से जुड़े सभी सेवा करों को समाप्त करने का फैसला किया है।

आतंकवादी हमले से विदेशों में बनी भारत की एक असुरक्षित क्षेत्र की छवि को साफ करने के लिए वर्ष 2001-2002 में बड़े पैमाने पर विश्व के प्रमुख देशों में अभियान चलाने का भी निर्णय लिया गया है। मंत्रालय ने इसके अभियान के लिए प्रचार राशि 25 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 51 करोड़ रुपये करने का आग्रह किया है जिसे वित्त मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है।

विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 10 करोड़ रुपये की लागत से अजंता-एलोरा की गुफाओं में रोशनी की जाएगी और कुछ दूरी पर एक टी-जंक्शन बनाया जाएगा जहां इन गुफाओं का रंगीन प्रतिरूप दिखाई देगा। गुफाओं की खूबसूरती बनाए रखने के लिए असली गुफाओं के आस-पास से दुकानों को हटाकर उन्हें टी जंक्शन पर जगह दी जाएगी और यात्रियों की सुविधा के लिए टी-जंक्शन से गुफाओं तक बैट्री-चालित बसें चलाई जाएंगी।

राजस्थान में साक्षरता और 'शिक्षा आपके द्वार' योजना

○ प्रकाश नारायण नाटाणी

शिक्षा क्षेत्र में उपलब्धि के लिए प्रशंसा, पुरस्कार आदि मिलने से राज्य सरकार का दायित्व इस दिशा में और बढ़ गया है। राज्य में साक्षरता, विशेष रूप से महिला साक्षरता के क्षेत्र में लंबी छलांग लगाने का संकल्प लिया गया है। सरकार ने 'शिक्षा आपके द्वार' नामक एक महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ की है। योजनान्तर्गत वर्ष 2003 तक जिलों के नौ से चौदह वर्ष की आयु वर्ग के शत-प्रतिशत बच्चों का नामांकन सुनिश्चित किया जाएगा।

राजस्थान ने पिछले दशक 1991-2001 में साक्षरता के क्षेत्र में एक लंबी छलांग भरी है। इस उपलब्धि के फलस्वरूप राजस्थान को 'दशाब्दी साक्षरता उपलब्धि पुरस्कार' से सम्मानित किया गया है। उसे यह पुरस्कार सितंबर 2001 में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया। इसी कड़ी में राज्य के दो जिलों—दौसा एवं जैसलमेर को 'सत्येन मैत्रेय पुरस्कार' द्वारा सम्मानित किया गया। राज्य और जिलों की साक्षरता की स्थिति तालिका-1 में दी गई है।

राज्य की साक्षरता संबंधी तुलनात्मक स्थिति इस प्रकार है:

साक्षरता की तुलनात्मक स्थिति

(प्रतिशत)

साक्षरता	1991	2001
ग्रामीण व्यक्ति	30.37	55.92
नगरीय व्यक्ति	65.33	76.89
ग्रामीण पुरुष	47.64	72.96
नगरीय पुरुष	78.50	87.10
ग्रामीण महिलाएं	11.59	37.74
नगरीय महिलाएं	50.24	65.42

इन आंकड़ों से यह निष्कर्ष निकलता है कि साक्षरता की दौड़ में सबसे अव्वल राजस्थानी महिलाएं रही हैं। यह उनके उज्जवल भविष्य का सांकेतक है।

दौसा व जैसलमेर जिलों में साक्षरता की स्थिति इस प्रकार हैं:

दौसा जिला

(प्रतिशत में)

साक्षरता	1991	2001
ग्रामीण व्यक्ति	33.96	61.02
नगरीय व्यक्ति	60.85	77.13
ग्रामीण पुरुष	54.15	79.19
नगरीय पुरुष	77.13	18.07
ग्रामीण महिलाएं	10.90	40.83
नगरीय महिलाएं	41.02	62.54
जैसलमेर जिला		
ग्रामीण व्यक्ति	23.10	47.02
नगरीय व्यक्ति	66.49	73.99
ग्रामीण पुरुष	37.92	63.09
नगरीय पुरुष	80.89	85.70
ग्रामीण महिलाएं	4.71	27.45
नगरीय महिलाएं	47.21	58.33

इस जानकारी के अनुसार दौसा तथा जैसलमेर दोनों जिलों में भी ग्रामीण महिलाओं ने ही लंबी छलांग लगाई है। जैसलमेर जिले में तो ग्रामीण महिलाओं का 1991 में जो साक्षरता का प्रतिशत 4.71 था वह 6 गुना होकर 2001 में 27.45 प्रतिशत पर पहुंच गया।

साक्षरता के क्रम में प्रतिवर्ष 8 सितम्बर को मनाए जाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर राजस्थान में ग्राम स्तर से लेकर राज्य स्तर तक स्वयंसेवकों, साक्षरता-कर्मियों और जन-प्रतिनिधियों के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्य स्तर पर राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाओं में अध्ययन करने वाले बालक-बालिकाओं के लिए बाल मेला 'उमंग-2001' आयोजित किया गया।

इस मेले में ग्रामीण क्षेत्र से उमड़े बालकों के सैलाब में उनकी प्रतिभा और चेहरे की दमक से इस बात का आश्वासन मिल रहा

तालिका-1

राज्य और जिलों में साक्षरता की स्थिति

क्र. सं.	राज्य/ जिला	योग/ ग्रामीण/ नगरीय	साक्षरता दर: व्यक्ति 1991	व्यक्ति 2001	पुरुष 1991	पुरुष 2001	स्त्रियां 1991	स्त्रियां 2001
	राजस्थान	ग्रामीण	30.37	55.92	47.64	72.96	11.59	37.74
		नगरीय	65.33	76.89	78.50	87.10	50.24	65.42
1.	गंगानगर	ग्रामीण	37.45	60.39	50.79	72.00	23.14	47.27
		नगरीय	66.83	77.60	76.10	85.34	55.77	68.54
2.	हनुमानगढ़	ग्रामीण	33.94	63.65	49.28	75.97	16.84	50.01
		नगरीय	60.09	73.82	71.17	83.00	47.16	63.40
3.	बीकानेर	ग्रामीण	24.07	46.33	37.59	61.92	8.84	28.83
		नगरीय	67.01	76.17	78.70	85.38	53.47	65.62
4.	चुरू	ग्रामीण	26.89	65.29	43.60	78.63	9.31	51.45
		नगरीय	53.89	71.15	69.83	81.71	36.88	59.95
5.	झुंझुनूं	ग्रामीण	44.65	73.24	66.23	86.36	22.04	59.80
		नगरीय	58.79	75.00	76.01	87.51	39.36	61.28
6.	अलवर	ग्रामीण	38.02	58.88	56.76	76.54	16.73	39.16
		नगरीय	72.73	82.27	84.86	91.50	57.89	71.24
7.	भरतपुर	ग्रामीण	37.84	61.44	58.43	79.95	12.48	39.62
		नगरीय	63.37	75.18	77.07	87.08	47.25	61.47
8.	धौलपुर	ग्रामीण	31.01	59.22	47.13	75.29	9.89	39.37
		नगरीय	54.31	67.48	66.64	78.35	39.38	54.87
9.	करौली	ग्रामीण	31.51	63.62	49.92	80.45	9.17	43.84
		नगरीय	54.96	70.22	71.28	83.81	36.30	54.65
10.	सवाई	ग्रामीण	31.09	53.24	49.71	74.13	9.59	29.69
	माधोपुर	नगरीय	64.84	74.23	80.36	87.54	46.63	59.17
11.	दौसा	ग्रामीण	33.96	61.02	54.15	79.19	10.90	40.83
		नगरीय	60.85	77.13	78.07	90.12	41.01	62.54
12.	जयपुर	ग्रामीण	35.05	62.96	55.52	79.96	12.32	44.42
		नगरीय	67.69	78.09	79.23	87.03	54.36	67.89
13.	सीकर	ग्रामीण	39.03	70.39	61.80	84.74	15.42	55.70
		नगरीय	55.40	74.23	72.70	86.91	36.82	60.60
14.	नागौर	ग्रामीण	28.14	55.92	45.76	73.66	9.75	37.58
		नगरीय	51.05	69.37	67.64	83.06	32.54	54.48
15.	जोधपुर	ग्रामीण	26.00	46.88	43.82	66.94	6.49	25.10
		नगरीय	66.33	76.37	78.44	86.12	51.93	65.28
16.	जैसलमेर	ग्रामीण	23.10	47.02	37.92	63.09	4.71	27.45
		नगरीय	66.49	73.99	80.89	85.70	47.21	58.33
17.	बाड़मेर	ग्रामीण	18.79	58.14	31.83	72.15	4.20	42.43
		नगरीय	59.84	77.19	76.96	90.52	39.40	61.54
18.	जालौर	ग्रामीण	21.36	44.81	36.20	63.52	5.85	25.88
		नगरीय	53.86	66.33	72.32	82.61	32.79	47.97
19.	सिरोही	ग्रामीण	23.05	48.59	36.57	65.94	9.23	31.47
		नगरीय	67.33	77.96	82.78	89.76	49.72	64.44
20.	पाली	ग्रामीण	30.13	50.39	48.63	69.39	11.47	31.76
		नगरीय	56.91	71.01	74.27	85.40	37.68	55.27
21.	अजमेर	ग्रामीण	35.10	53.09	54.97	72.60	13.96	32.72
		नगरीय	76.49	81.69	87.56	89.89	64.07	72.58
22.	टोंक	ग्रामीण	28.29	47.77	45.68	68.48	9.48	25.62
		नगरीय	55.78	69.57	70.90	81.65	39.15	56.89
23.	बूंदी	ग्रामीण	26.02	51.59	40.65	68.99	9.39	32.41
		नगरीय	63.87	73.43	78.84	85.53	47.09	60.15
24.	भीलवाड़ा	ग्रामीण	24.31	44.59	38.36	62.85	9.61	26.09
		नगरीय	61.89	75.21	76.13	86.81	45.90	62.29
25.	राजसमंद	ग्रामीण	28.32	51.93	46.00	71.23	10.87	33.22
		नगरीय	67.96	80.58	83.19	91.11	51.42	69.24
26.	उदयपुर	ग्रामीण	24.71	52.52	38.97	69.52	10.08	35.46
		नगरीय	76.01	86.19	86.16	93.35	64.44	78.29
27.	डूंगरपुर	ग्रामीण	27.01	45.69	42.26	64.12	11.92	28.19
		नगरीय	73.91	79.43	85.50	89.25	60.90	69.03
28.	बांसवाड़ा	ग्रामीण	21.46	40.78	33.70	57.49	8.87	23.78
		नगरीय	77.45	84.80	87.09	92.13	66.85	77.03
29	चित्तौड़गढ़	ग्रामीण	27.80	49.11	44.37	67.91	10.55	29.98
		नगरीय	68.88	81.01	82.28	91.06	53.81	70.19
30.	कोटा	ग्रामीण	38.30	67.34	57.74	82.56	16.39	50.60
		नगरीय	71.42	80.39	82.84	89.29	58.14	70.30
31.	बारां	ग्रामीण	31.93	57.43	49.45	74.81	12.25	38.21
		नगरीय	62.09	74.50	77.27	86.77	44.75	61.11
32.	झालावाड़	ग्रामीण	26.32	54.13	41.89	71.46	9.29	35.51
		नगरीय	67.70	80.34	81.19	90.58	52.67	69.09

था कि यदि बच्चों को समुचित अवसर प्रदान किया जाए तो उनकी प्रतिभा निश्चित रूप से उभर सकती है। इसी कड़ी में राज्य की हजारों नवसाक्षर महिलाओं के लिए महिला-मेला 'उत्सव-2001' की मुख्य विशेषता इस बात में झलकती थी कि ग्रामीण महिलाओं ने अपनी प्रतिभा और कौशल के अनेक सांस्कृतिक एवं साहित्यिक कार्यक्रम प्रस्तुत करके दर्शकों को स्तब्ध एवं आनंदित कर दिया।

इस अवसर पर राज्यस्तरीय समारोह में राज्य के चुने हुए 38 अक्षर-मित्रों को सम्मानित किया गया। वस्तुतः यह सम्मान प्रतीकात्मक था। सम्मान परोक्ष रूप से यह उन सभी लाखों कार्यकर्ताओं का भी था जो रोशनी से दूर मौन रूप से राष्ट्रीय उत्थान के इस पावन यज्ञ में राज्य के भीतर शिक्षा की रोशनी का उजाला फैलाने के लिए कार्य कर रहे हैं।

इस उपलब्धि के लिए प्रशंसा, पुरस्कार आदि मिलने से राज्य सरकार का दायित्व इस दिशा में और बढ़ गया है। राज्य में साक्षरता, विशेष रूप से महिला साक्षरता के क्षेत्र में लंबी छलांग लगाने का संकल्प लिया गया है। इस दृष्टि से राज्य सरकार के दिशा-निर्देश में 'राजस्थान राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण' ने सितम्बर, 2001 के बाद के अगले 6 महीनों में राज्य के लगभग ढाई लाख नवसाक्षरों को स्तर 'ए' की परीक्षा दिलाने का कार्य शुरू कर दिया है। मिशन ने विशेषज्ञों की मदद से नवसाक्षरों के लिए गणित, हिन्दी, पर्यावरण अध्ययन और व्यावसायिक शिक्षा की मार्गदर्शिकाएं तैयार कर जिलों में प्रेषित कर दी हैं।

जिला साक्षरता समितियों ने इस सामग्री की सहायता से नवसाक्षरों के पठन-पाठन कौशल को विकसित करना प्रारंभ कर दिया है। अब राज्य के साक्षरता कर्मियों ने साक्षरता अभियान में प्राप्त उपलब्धियों को यथार्थ के धरातल पर उतारने का संकल्प लिया है। यह प्रदेश के लिए शुभ संदेश है। इसी क्रम में जयपुर दूरदर्शन द्वारा 25 अगस्त, 2001 से साक्षरता पत्रिका 'हम होंगे कामयाब' प्रसारित की जा रही है। कार्यक्रम का उद्देश्य साक्षरता और प्रारंभिक शिक्षा के लिए वातावरण सृजित करना है।

'शिक्षा आपके द्वार'

साक्षरता प्रयत्नों की आशातीत सफलता से उत्साहित होकर राज्य सरकार ने 'शिक्षा आपके द्वार' नामक एक महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ की है। यह योजना इंदिरा गांधी जयंती पर 19 नवंबर, 2001 से संपूर्ण प्रदेश में शुरू की गई है। इस योजना द्वारा प्रदेश के 23 लाख निरक्षर बच्चों को शिक्षा से जोड़े जाने का लक्ष्य है। योजनान्तर्गत वर्ष 2003 तक जिलों के नौ से चौदह वर्ष की आयु वर्ग के शत-प्रतिशत बच्चों का नामांकन सुनिश्चित किया जाएगा। योजना संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी इस प्रकार है :

साक्षरता प्रयत्नों की आशातीत सफलता से उत्साहित होकर राज्य सरकार ने 'शिक्षा आपके द्वार' नामक एक महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ की है। यह योजना इंदिरा गांधी जयंती पर 19 नवंबर, 2001 से संपूर्ण प्रदेश में शुरू की गई है। इस योजना द्वारा प्रदेश के 23 लाख निरक्षर बच्चों को शिक्षा से जोड़े जाने का लक्ष्य है।

सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा से जोड़ने के लिए

— 18 लाख ग्रामीण तथा करीब 5 लाख शहरी ऐसे बच्चों को जो प्रारंभिक शिक्षा से जुड़े नहीं हैं, अभियान के दौरान चिह्नित किया जाएगा।

— चिह्नित बच्चों को तीन वर्गों में विभाजित किया जाएगा। प्रथम श्रेणी में वे बच्चे होंगे जिन्हें थोड़े से प्रयास से ही फोरमल सेटअप के साथ जोड़ा जा सकेगा। दूसरे प्रकार के बच्चे वे होंगे जिनके रहने के क्षेत्र में 1 कि.मी. से कम दूरी में विद्यालय नहीं हैं। उन्हें वैकल्पिक विद्यालय खोलकर जोड़ा जाएगा। 15-20 बच्चों पर एक वैकल्पिक विद्यालय होगा। तृतीय श्रेणी में बालिकाएं, कमजोर वर्ग, घुमन्तू, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के परिवारों के बच्चे आएंगे, जिन्हें वैकल्पिक विद्यालय से भी नहीं जोड़ा जा सकता है।

— तृतीय श्रेणी के बच्चों को जोड़ने के लिए शिक्षा गारंटी योजना लागू कर उन्हें जोड़ा जाएगा।

— जहां आवश्यकता होगी वहां औपचारिक विद्यालयों में सायंकालीन विद्यालय की व्यवस्था की जाएगी जिससे कि ऐसे बच्चे जुड़ सकें जो दिन में स्कूलों से नहीं जुड़ पा रहे हों।

— रेगिस्तानी इलाकों में जहां लोग ढाणियों में रहते हैं तथा दूरियां भी अधिक हैं, ऐसे मोबाइल विद्यालय चलाए जा सकते हैं जो ढाणियों में विभिन्न समयों पर जाकर स्कूल चलाएं या फिर चरवाहे के रूप में जाने वाले बच्चों को दिन में खेतों में पढ़ाएं।

— कुछ क्षेत्रों में परिवार आर्थिक कारणों से अल्पावधि के लिए गांव छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे परिवारों के बच्चों को उस अवधि के लिए आवासी-शिविर लगाकर पढ़ाया जा सकेगा।

— बालिका शिक्षा के लिए ग्राम स्तर पर महिला समूह का गठन करके उन्हें

(शेष पृष्ठ 22 पर)

सामान्य अध्ययन की एक सम्पूर्ण पुस्तक

✦ विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों (सामान्य विज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण व प्रदूषण, कृषि एवं पशुपालन, भारतीय इतिहास, राष्ट्रीय आन्दोलन, भारतीय राजव्यवस्था, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य मानसिक योग्यता, खेलकूद, प्रमुख सम्मान तथा पुरस्कार, सामान्य ज्ञान, भारत की सामाजिक व्यवस्था, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की नवीनतम् घटनाएं तथा कौन, क्या, कहां ?) से सम्बन्धित प्रामाणिक एवं अद्यतन जानकारी एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल सहित

✦ भारत में सामाजिक प्रासंगिकता के महत्वपूर्ण विषयों (जैसे, जनसांख्यिकिक एवं मानव संसाधन, समाज कल्याण तथा उनसे सम्बन्धित समस्याएं, मानव अधिकार, शिक्षा, साम्प्रदायिक सद्भाव, आंतरिक सुरक्षा, राष्ट्रीय एकीकरण, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संरक्षण, आदि) से सम्बन्धित अद्यतन सामग्री का समावेश

✦ भारत की जनगणना 2001 का समावेश

✦ विगत 5 वर्षों (1997 से 2001 तक) के परीक्षा प्रश्न–पत्र व्याख्यात्मक हल सहित

✦ नवीन परीक्षा प्रणाली के अनुरूप मानचित्र आधारित प्रश्न, कथन एवं कारण सम्बन्धी प्रश्नों का समावेश

✦ नवीन परीक्षा प्रणाली पर आधारित 5 आदर्श प्रश्न–पत्र व्याख्यात्मक हल सहित

✦ प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों के लिए एक अत्यन्त उपयोगी एवं अपरिहार्य पुस्तक

✦ 1500 चित्र ✦ 10,000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न ✦ 2508 पृष्ठ

VOL. 1 Rs. 330/-

VOL. 2 Rs. 330/-

संघ/राज्य लोक सेवा आयोग (प्रारम्भिक परीक्षा)

859 सामान्य अध्ययन (U.P.P.S.C.)	300/-
842 सामान्य अध्ययन (M.P.P.S.C.)	340/-
760 सामान्य अध्ययन (B.P.S.C.)	300/-
732 राजस्थान सामान्य अध्ययन	300/-
973 राजस्थान सामान्य ज्ञान एवं विज्ञान	250/-
761 सामान्य अध्ययन	280/-
733 ऐतिहासिक मानचित्रावली	50/-
806 भारत का संविधान	100/-
886 भारत का संविधान	30/-
956 संयुक्त राष्ट्र संघ एवं प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय संगठन	25/-
724 सामान्य ज्ञान	280/-
938 सामान्य ज्ञान	80/-
862 उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान	35/-
768 सामान्य ज्ञान (कौन, क्या, कहाँ ?)	25/-
809 सामान्य ज्ञान एवं व्यक्ति परिचय	25/-
962 सामान्य ज्ञान	16/-
424 G.K. & WHO'S WHO	18/-
971 G.K. & CURRENT AFFAIRS	18/-

सामान्य अध्ययन श्रृंखला

853 सामान्य विज्ञान	200/-
847 भारतीय इतिहास	120/-
849 भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान (भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन सहित)	100/-
850 विश्व एवं भारत का भूगोल	90/-
851 भारतीय अर्थव्यवस्था	80/-
852 सामान्य मानसिक योग्यता	70/-
854 सम्मान, पुरस्कार व खेलकूद	40/-
856 समसामयिकी	40/-

भारत की जनगणना, 2001

893 उ.प्र. एवं उत्तरांचल संस्करण	40/-
895 राजस्थान संस्करण	40/-
898 म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ संस्करण	40/-
909 बिहार एवं झारखण्ड संस्करण	40/-

...एक अध्ययन

737 उत्तर प्रदेश	45/-
803 उत्तरांचल	40/-
722 मध्य प्रदेश	40/-
800 छत्तीसगढ़	40/-
734 बिहार	40/-
808 बिहार एवं झारखण्ड	60/-
762 राजस्थान	80/-
845 दिल्ली	40/-
912 कृषि	80/-

वैकल्पिक प्रश्न-पत्र

508 इतिहास/डॉ. ए. के. मित्तल	280/-
452 लोक प्रशासन/बी. एल. फड़िया	280/-
651 समाजशास्त्र/प्रो. गुप्ता एवं शर्मा	240/-
643 राजनीति विज्ञान/बी. एल. फड़िया	240/-
647 अर्थशास्त्र/डॉ. अनुपम अग्रवाल	200/-
665 विधि/पवन बड़ाया	210/-
657 भूगोल/प्रो. दीपक माहेश्वरी	300/-
882 दर्शनशास्त्र/डॉ. एस. सी. मिश्रा	300/-
361 वाणिज्य/पुरोहित, तातेड़ एवं शाह	160/-
912 कृषि	80/-
726 वस्तुनिष्ठ अंकगणित	175/-
957 PUBLIC ADMINISTRATION / Dr. Fadia	350/-

प्रेक्टिस वर्क बुक

781 लोक प्रशासन	120/-
796 इतिहास	80/-
707 समाजशास्त्र	60/-
759 सामान्य अध्ययन	120/-

प्रतियोगिता साहित्य सीरीज

सफलता का स्मार्ट तरीका

HOSPITAL ROAD, AGRA-3 Tel. 351665, 353400 Fax 351568 Email kanhaiya@nsd.vsnl.net.in

दोहा सम्मेलन : कितना सफल, कितना असफल

○ वेद प्रकाश अरोड़ा

खाड़ी के देश कतर की राजधानी दोहा में नौ नवंबर से चौदह नवंबर 2001 तक चला विश्व व्यापार संगठन का चौथा मंत्री-स्तरीय सम्मेलन सख्त सौदेबाजी और मोल-तोल के बाद अंततः विकसित और विकासशील देशों के बीच ले-दे की भावना के कारण दो वर्ष पहले के सीएटल सम्मेलन की तरह असफल नहीं रहा। तथापि यह बात गांठ बांध ली जानी चाहिए कि अगर हमने अपने अर्थतंत्र को तेजी से नहीं सुधारा तो अंतर्राष्ट्रीय गलियारों में और विश्व-मंचों पर हमारी आवाज बेदम और मरियल बनी रहेगी।

खाड़ी के देश कतर की राजधानी दोहा में नौ नवंबर से चौदह नवंबर तक चला विश्व व्यापार संगठन का चौथा मंत्री-स्तरीय सम्मेलन सख्त सौदेबाजी और मोल-तोल के बाद अंततः विकसित और विकासशील देशों के बीच ले-दे की भावना के कारण दो वर्ष पहले के सीएटल सम्मेलन की तरह असफल नहीं रहा। उसने आखिरी दिन, यानी चौदह नवंबर को अंतिम घोषणा स्वीकार की जिसमें कई मुद्दों पर किए गए निर्णय शामिल थे। सम्मेलन में 142 सदस्य देशों, 28 प्रेक्षक देशों और 48 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भाग लिया। चीन और ताइवान को सर्वसम्मति से इसका सदस्य बना लिए जाने के बाद विश्व व्यापार के इस नियामक संगठन के सदस्य देशों की संख्या 144 हो गई है। सीएटल की कहानी न दोहराते हुए भी शुरू में दोहा सम्मेलन में सहमति का अभाव रहा। विरोधी स्वरों के कारण वह आगामी पांचवें मंत्रि-सम्मेलन के आयोजन और उसके विचारणीय विषयों पर दो खेमों में बंटा रहा। विकसित देश, विशेष रूप से यूरोपीय संघ, अमेरिका और जापान चाहते थे कि दोहा सम्मेलन अधिक हील-हुज्जत के बिना बातचीत का नया दौर शुरू करने का अनुमोदन कर दे। परंतु इस नई वार्ता के लिए उनका एजेंडा विविध और व्यापक था। वे इसमें औद्योगिक शुल्कों, व्यापार-सुविधाओं और सरकारी खरीद में पारदर्शिता के अलावा कुछ नए मामले जैसे— बहुपक्षीय पूंजी निवेश, स्पर्धा-नीति और पर्यावरण शामिल करने को उत्सुक थे। इसके विपरीत भारत सहित कई विकासशील देशों का तर्क था कि पहले पिछले फैसले लागू करके गरीब देशों में विश्व व्यापार संगठन के प्रति विश्वास उत्पन्न किया जाए। अगला कदम तभी मजबूती से उठाया जा सकता है जब पहले के कामों की प्रगति का लेखा-जोखा कर लिया जाए, अनसुलझे पहलू सुलझा लिए जाएं और आधे-अधूरे कामों को पूरा कर उन्हें मूर्त्त रूप दे दिया जाए। विश्व व्यापार के सही, सच्चे और सार्थक विकास के लिए कदम-कदम आगे बढ़ना ही हितकर होगा। पहली सीढ़ी चढ़े बिना दूसरी या तीसरी सीढ़ी पर छलांग लगाना समझदारी नहीं होगी। साथ ही मतभेद वाले नए मामलों को एजेंडे में शामिल करने से विवादों का गट्ठड़ उठा पाना और उसे लिए आगे बढ़ना मुश्किल होगा। इससे खींचतान का दायरा बढ़ जाएगा और नई शंकाएं-आशंकाएं तथा कठिनाइयां पैदा होंगी। इसलिए पहले के अधूरे, अधकचरे या अधपके विषयों को छोड़ देने या पीछे धकेल देने का मतलब होगा 'आधी छोड़ सारी को धावे, आधी मिले न सारी पावे'।

1994 में उरुग्वे दौर की बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं में कुछ वचन दिए गए थे; कुछ वायदे और कौल-करार किए गए थे। इन्हें उरुग्वे दौर के समझौतों और विश्व व्यापार संगठन के समझौतों में शामिल तो कर लिया गया लेकिन अमल नगण्य रहा क्योंकि पिछले छह-सात वर्षों में इन समझौतों को लागू करने में कई जटिल समस्याएं सामने आईं। इन समस्याओं, चिंताओं और मुद्दों को तीन वर्गों में बांटा जा सकता है—1) कपड़ा और कृषि समझौते जिनसे अपेक्षित लाभ नहीं मिले; 2) व्यापार से जुड़े बौद्धिक सम्पदा अधिकार-ट्रिप्स और व्यापार से जुड़े पूंजी निवेश उपायों-ट्रिम्स के समझौते तथा सब्सिडियों और डम्पिंग विरोधी समझौते जिनसे कई असंतुलनों और विषमताओं ने

जन्म लिया; 3) प्रभावहीन और कमजोर समझौते जिनके विशिष्ट प्रावधान बाध्यकारी और क्रियात्मक नहीं थे। जहां तक इन समझौतों में असंतुलनों और विषमताओं का संबंध है, भौगोलिकता के आधार पर शराब और स्पिरिट (मद्यसार) को तो अधिक संरक्षण दिया गया लेकिन ट्रिप्स के तहत विकासशील देशों की चीजों जैसे—बासमती चावल और दार्जिलिंग चाय को इतना संरक्षण प्रदान नहीं किया गया। जैव विविधता के समझौतों में प्रभुतासम्पन्न देशों के अपने जैव-संसाधनों पर अधिकार को विशेष रूप से स्वीकारा गया है, लेकिन व्यापारपरक बौद्धिक संपदा अधिकारों 'ट्रिप्स' में पारंपरिक जानकारी की रक्षा के लिए खुद तैयार की गई विभिन्न उत्पादन प्रणालियों को मान्यता नहीं दी गई। उसमें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता देने का भी कोई प्रावधान नहीं है। विश्व व्यापार संगठन के कृषि समझौते के अंतर्गत विकसित देश अपनी कृषि वस्तुओं पर अधिक सब्सिडियां देकर व्यापारिक विकृतियां पैदा करते रहे हैं। अगर सब्सिडियों के रूप में उनका कुल समर्थन खास सीमा से नीचे हो, तो वे उस वस्तु को उस सीमा तक कितनी ही सब्सिडी दे सकते हैं। लेकिन चूंकि अर्द्धविकसित और विकासशील देश ऊंची सब्सिडियां नहीं दे रहे थे, इसलिए वे किसी भी कृषि वस्तु पर निम्नतम सीमा पार नहीं कर सकते थे। विकसित देश विकासशील देशों की निर्यात वस्तुओं जैसे—जूतों, परिधानों और कृषि उत्पादों पर अधिक सीमा-शुल्क लगाते रहे हैं। इतना ही नहीं, वे सफाई-स्वच्छता एसीपीएस के कड़े नियमों के अंतर्गत विभिन्न गैरशुल्कीय अंकुश भी लगाते रहे हैं। विकसित देशों ने कोटा प्रशासन के दायरे में आने वाले वस्त्रों पर भी डम्पिंग-विरोधी कार्रवाई की है। विकसित देशों ने सेवाओं में व्यापार के आम समझौते के अंतर्गत विशेषज्ञों और अन्य लोगों के अपने यहां आने के लिए यथेष्ट वायदे नहीं किए हैं। उल्टे उन्होंने आर्थिक आवश्यकता, सामाजिक सुरक्षा और वेतन को लेकर कई बाधाएं उत्पन्न की हैं। शुल्क दर कोटों को अत्यंत मनमाने तरीके से लागू किया जा रहा है जिससे विकासशील देशों की कृषि वस्तुएं उनके बाजारों में समुचित प्रवेश नहीं पा सकती। इसी तरह व्यापार से जुड़ा पूंजीनिवेश समझौता (ट्रिम्स) विकासशील देशों के विकास-लक्ष्यों की राह में रोड़े अटकाता है क्योंकि यह विदेशी निवेश में देसी पूंजी के विशेष प्रतिशत के निर्धारण को निषिद्ध करता है।

इन असंतुलनों, भेदभावों और एकतरफा कार्यों को दूर न कर सकने के कारण न तो मंत्रि-सम्मेलन का सर्वसम्मत एजेंडा तैयार हो सका और न विश्व व्यापार संगठन के करारों के क्रियान्वयन पर चिंताओं की समीक्षा हो सकी। इस पर विकासशील देशों में तीव्र प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक था। यही कारण है कि विकासशील देशों ने दोहा सम्मेलन के आरंभिक सत्रों में बकाया मुद्दों को निपटाए बिना कार्य सूची में नए मुद्दे शामिल नहीं होने दिए। भारत और ब्राजील के नेतृत्व में विकासशील देशों ने गोलबंद होकर उनकी दाल नहीं गलने दी। मंत्रि-सम्मेलन की घोषणा के मसौदे को अंतिम रूप देते समय भारत ने उसका यह कहकर विरोध किया कि उसमें विकासशील देशों की चिंताओं और असुविधाओं की ओर ध्यान नहीं दिया गया है, इसलिए वह व्यापार वार्ता का नया दौर शुरू करने के विरुद्ध है। उसने उन्नत देशों के असहयोगपूर्ण रवैए से क्षुब्ध होकर चार सिंगापुरी मुद्दों, जैसे, अंतर्राष्ट्रीय पूंजीनिवेश, प्रतियोगिता, सरकारी खरीद में पारदर्शिता और कस्टम जैसे क्षेत्रों में व्यापार सुविधाओं तथा पर्यावरण, श्रम मानकों और औद्योगिक शुल्कों को अंतिम घोषणा में शामिल करने का विरोध ही नहीं किया, बल्कि उन पर विचार-विमर्श तक नहीं होने दिया। कहां तो विकसित देश इन चार विषयों को एजेंडे में शामिल कर अपना वर्चस्व रेखांकित करना चाहते थे और वहां विकासशील देश यथास्थिति बनाए रखकर बदलते हालात का एहसास कराना चाहते थे। इस टकराव में तीसरी दुनिया के देश सफल हुए। अब बहुपक्षीय पूंजीनिवेश, स्पर्धा, सरकारी खरीद में पारदर्शिता और व्यापार-सुविधाओं के मुद्दों पर तभी बातचीत होगी जब दो वर्ष बाद मंत्रि-सम्मेलन में उन पर साफ-साफ आम सहमति बन जाएगी। दूसरे, बातचीत के लिए यह आवश्यक ठहरा दिया गया है कि पहले यह मालूम कर लिया जाए कि इन मुद्दों से अतिरिक्त कार्यों, दायित्वों और अधिकारों का विभिन्न देशों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तीसरे अमेरिका और यूरोपीय संघ कृषि-सब्सिडियों को क्रमिक रूप से हटाने पर सहमति के बाद इस बात पर राजी हो गए कि नई व्यापार वार्ता के एजेंडे से अप्रसन्न भारत और अन्य विकासशील देशों की चिंताओं को अलग घोषणा में शामिल कर लिया जाएगा। अमेरिका और यूरोपीय संघ विकासशील देशों द्वारा उठाए गए 93 मुद्दों में से 41 का हल निकालने पर राजी हो गए। विकासशील देशों के लिए यह बात महत्वपूर्ण है कि विश्व व्यापार संगठन के सभी सदस्य देश उन विषयों पर विचार करने पर सहमत हो गए जिनके संबंध में सीएटल सम्मेलन के बाद कल्पना भी नहीं की जा सकती थी।

जहां तक श्रम मानकों, पर्यावरण और सफाई स्वच्छता के मुद्दों का सवाल है, भारत शुरू से इन्हें व्यापार से जोड़ने के एकदम खिलाफ रहा है। श्रम मानकों के संबंध में भारत ने पश्चिमी देशों को यह मानने के लिए बाध्य कर दिया है कि यह मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कार्यक्षेत्र में आता है और उसे ही इस पर विचार करना चाहिए।

पर्यावरण के मामले में भारत चाहता था कि विश्व व्यापार संगठन की व्यापार और पर्यावरण समिति को वर्तमान निर्दिष्ट आदेश के अंतर्गत ही काम जारी रखना चाहिए

और सदस्य देशों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए कदम उठाते समय घोषणा में ऐसी कोई अंकुशरहित बात या बयान नहीं होना चाहिए जो एकतरफा वाद को बढ़ावा दे, नियमों में उपलब्ध संरक्षण को कमजोर या कम करे या फिर अनिश्चय की स्थिति पैदा करे। लेकिन कृषि क्षेत्र में कुछ अधिक पाने के लिए हम पर्यावरण के क्षेत्र में कुछ पीछे हट गए। वैसे भी पर्यावरण के मामले में यूरोपीय संघ का रवैया कुछ आक्रमक था और वह टस से मस नहीं हो रहा था। कुछ यूरोपीय देशों के लिए यह अधिकारों और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन का मामला नहीं, बल्कि राजनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मामला है। वहां पर्यावरण की समर्थक ग्रीक पार्टियों का काफी प्रभाव है। और वे विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच संतुलन बिगाड़ सकती हैं और चाहें तो उनका प्रभाव बढ़ा सकती हैं। वाणिज्य मंत्री मुरासोली मारन के अनुसार— कृषि समझौते से विकासशील देशों की कृषि समस्याओं के निराकरण में सहायता मिलेगी। यूरोपीय संघ द्वारा कृषि उत्पादों पर सब्सिडी को क्रमिक रूप से हटाते जाना और सीमा शुल्कों में कमी करते जाना विकासशील देशों की एक और विजय कही जा सकती है। एक निर्णय से भारतीय किसानों को यह लाभ होगा कि अंतराष्ट्रीय बाजारों में उनकी पैदावार अधिक स्पर्धात्मक बन जाएगी। इनसे भारतीय कृषि-उत्पादों की बिक्री में जबर्दस्त उछाल आएगा और डालर भंडार भर जाएगा। सम्मेलन में विकासशील देशों की खाद्यान्न सुरक्षा के मामले पर भारत की मांग भी स्वीकार कर ली गई। फिर भी यह देखना होगा कि कृषि उत्पादों के सस्ते आयात से हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था चौपट न हो जाए। इस पर ध्यान देना इसलिए भी आवश्यक है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 70 प्रतिशत जनता कृषि में रोजगार पर लगी है, जबकि पश्चिमी देशों में यह प्रतिशत बहुत कम है। जर्मनी और ब्रिटेन में तीन प्रतिशत, अमेरिका में 4 प्रतिशत, और फ्रांस में छह प्रतिशत लोग कृषि कार्यों में लगे हैं। इतना ही नहीं, विकसित देशों में कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में मात्र दो या तीन प्रतिशत का हिस्सा होता है। इसके बावजूद वहां सब्सिडियों की भरमार है। यूरोपीय संघ में कृषि पर 44 प्रतिशत, जापान में 61 प्रतिशत, कोरिया गणराज्य में 65 प्रतिशत, नार्वे में 66 प्रतिशत, और स्विट्जरलैंड में 70 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। चौका देने वाले इस तथ्य की अनदेखी नहीं की जा सकती कि जहां भारत में कृषि उत्पादन का कुल मूल्य लगभग 90 अरब डालर है, वहीं अमेरिका में कृषि क्षेत्र को दो जा रही सब्सिडियों का मूल्य 325 अरब डालर है। 1948 में संस्थापक सदस्य की हैसियत से जब हमने सामान्य व्यापार और शुल्क समझौते 'गैट' पर हस्ताक्षर किए थे, विकासशील देशों के पक्ष में कोई विशेष प्रावधान नहीं था। भारत ने उस समय यह एक बड़ी जीत हासिल की जब व्यापार से जुड़े बौद्धिक संपदा अधिकारों और जन-स्वास्थ्य के बारे में अंतिम घोषणा स्वीकार कर ली गई। घोषणा में साफ-साफ माना गया कि विकासशील देशों की जन-स्वास्थ्य समस्याएं गंभीर हैं और बौद्धिक संपदा संरक्षण का दवाओं के मूल्यों पर बुरा असर पड़ रहा है। एक तरफ जन-स्वास्थ्य समस्याएं एड्स, तपेदिक, मलेरिया और अन्य महामारियों के कारण गंभीर बनी हुई हैं तो दूसरी तरफ इनकी दवाएं इतनी महंगी हैं कि इलाज कराना टेढ़ी खीर बना हुआ है। घोषणा में कहा गया है कि व्यापार से जुड़ा बौद्धिक अधिकार समझौता जन-स्वास्थ्य रक्षा उपायों में रुकावट नहीं बनना चाहिए। इस घोषणा से जीवन-रक्षक दवाएं आम लोगों को आसानी से और कुछ सस्ती मिलने की उम्मीद बंधी है। साथ ही भारतीय दवा कंपनियों को व्यापक लाभ होने की उम्मीद है क्योंकि विभिन्न देशों की सरकारों के पास शक्तिशाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पेटेंट एकाधिकार को तोड़ने का अधिकार रहेगा। तीसरे अमीर देशों द्वारा दवाओं के पेटेंट की मांग और गरीब देशों के महामारियों से जूझने के लिए सस्ती दवाओं की उपलब्धता के बीच संतुलन कायम करने की कोशिश की गई है। अफगानिस्तान में अलकायदा और तालिबान-विरोधी कार्रवाई के दौरान आतंकवादियों द्वारा एंथ्रेक्स महामारी फैलाने की कोशिशें और उनसे उत्पन्न दहशत ने भी दवाओं के पेटेंट नियमों को नरम बनाने में सहायता दी।

भारत ने उस समय यह एक बड़ी जीत हासिल की जब व्यापार से जुड़े बौद्धिक संपदा अधिकारों और जन-स्वास्थ्य के बारे में अंतिम घोषणा स्वीकार कर ली गई। घोषणा में साफ-साफ माना गया कि विकासशील देशों की जन-स्वास्थ्य समस्याएं गंभीर हैं और बौद्धिक संपदा संरक्षण का दवाओं के मूल्यों पर बुरा असर पड़ रहा है।

जब हम तस्वीर के दूसरे रुख पर नजर डालते हैं तो पाते हैं कि औद्योगिक शुल्कों, डम्पिंग-विरोधी करों, पर्यावरण के कुछ आवश्यक पहलुओं का समाधान न होने से तीसरी दुनिया के देशों को गहरा धक्का लगा है। दोहा सम्मेलन में लाए गए 93 मुद्दों में से 40 से कुछ अधिक मुद्दों का ही समाधान हो पाया और फिर इनके बारे में यह नहीं बताया गया कि ये लागू कब होंगे। और इनमें गरीब देशों की चिंताओं का कितना निवारण होता है। विशेष रूप से कपड़ा-कोटों को जल्द हटाने के लिए भारत के आग्रह पर समुचित ध्यान नहीं दिया गया।

अगली रियायतें हासिल करने और अगली कार्रवाई के लिए कुछ सांस लेने की मोहलत मिलने से हमें आत्मप्रवंचना और आत्मश्लाखा का शिकार नहीं बनना चाहिए। अभी बहुत कुछ करना बाकी है। यह लंबा सफर तभी तय होगा जब हम स्वयं मजबूत हों और अन्य विकासशील देशों को साथ लेकर चलें। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख खिलाड़ी बनने पर ही हम यह भूमिका प्रभावकारी ढंग से निभा सकेंगे। दो वर्ष के इस अंतराल में हमें अपने श्रम कानूनों, वित्तीय क्षेत्र और विशेष आर्थिक क्षेत्रों को सुधार कर आक्रामकता के साथ आगे बढ़ना होगा। तभी विकसित देश हमारी बात गंभीरतापूर्वक सुनेंगे। इस मामले में चीन का उदाहरण सामने और साफ है। तथापि यह बात गांठ बांध ली जानी चाहिए कि अगर हमने अपने अर्थतंत्र को तेजी से नहीं सुधारा तो अंतर्राष्ट्रीय गलियारों में और विश्व-मंचों पर हमारी आवाज़ बेदम और मरियल बनी रहेगी। इसलिए दोहा के बाद भी मंजिल काफी दूर है और राह भी आसान नहीं। सम्मेलन की समाप्ति पर जारी की गई घोषणा में जिस कार्य योजना की चर्चा है, उसमें कृषि, पिछले समझौतों पर अमल के मुद्दे, व्यापार और प्राद्योगिकी हस्तांतरण और संगठन के नियमों में परिवर्तन जैसे मामले शामिल कर भारत के सरोकारों और चिंताओं पर ध्यान तो दिया गया है लेकिन इनका समाधान अभी किया जाना है। सैनिक शब्दावली में अभी तो युद्धविराम हुआ है, अनेक मोर्चों पर जीत बाकी है। इसके लिए जंग कठिन और लंबी चलेगी। विवाद एक दो देशों के बीच नहीं, महाभारत की तरह विश्व के विभिन्न देशों और समूहों के बीच है। 144 देशों को अपने-अपने हितों के बीच सर्वमान्य समाधान निकालना टेढ़ी खीर होगा। तो भी सुचारू विश्व व्यापार के लिए रास्ते तो खोजने ही पड़ेंगे और लक्ष्य तक भी पहुंचना ही होगा। ❑

(लेखक एक स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

(पृष्ठ 17 का शेष)

प्रशिक्षित भी किया जाएगा ताकि यह समूह उस क्षेत्र में बालिका शिक्षा को बढ़ावा दे सके।

कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए

— नि:शुल्क शैक्षिक सामग्री (65/- प्रति बालक) दी जाएगी। इस सामग्री में निशुल्क पाठ्यपुस्तक, वर्क बुक, पेन्सिल, स्लेट, आदि दिए जाएंगे।
— सर्वे अभियान के दौरान परिस्थितियों को देखकर वैकल्पिक, सायंकालीन विद्यालय खोले जाएंगे।
— उपस्थिति-आधारित अनाज वितरण किया जाएगा।
— अल्पावधि शिविर या आवासीय हॉस्टल खोले जाएंगे।

घुमन्तू परिवार के बच्चों के लिए

—अभियान के दौरान किए जाने वाले सर्वे में ये अलग से चिन्हित किए जाएंगे।
— आवासीय/वैकल्पिक विद्यालय खोला जाएगा।
— ऐसे परिवार के बच्चों को एक परिचय-पत्र दिया जाएगा। साथ में यह भी लिखकर दिया जाएगा कि उसने इस विद्यालय में कितनी पढ़ाई कर ली है ताकि अन्य स्थान पर जाने पर किसी भी समय बच्चे को वहां प्रवेश मिल सके।

अल्पसंख्यक बालक/बालिकाओं के लिए शिक्षा व्यवस्था

— समुदाय के साथ जागरूकता पैदा करने के लिए बैठकों का आयोजन किया जाएगा जिससे अल्पसंख्यकों के सभी बच्चे, विशेष तौर पर बालिकाएं शिक्षा से जुड़ सकें। इन बैठकों में समुदाय के गणमान्य व्यक्तियों को अवश्य आमंत्रित किया जाएगा।
— मदरसों का आधुनिकीकरण कर उन्हें सामान्य शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।
— सरकारी विद्यालयों में उर्दू प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जाएगी।

इस प्रकार 'शिक्षा आपके द्वार' नामक इस महत्वाकांक्षी अभिनव योजना से राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति की आशा बलवती हुई है। इस अभियान में राज्य सरकार ने राज्य के घुमन्तू बच्चों तक पहुंच बनाकर उन्हें पाठशाला तक लाने की ठानी है।

अभियान में महत्वपूर्ण योगदान करने वाली संस्थाओं और व्यक्तियों को राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा। इस पुरस्कार योजना के तहत प्रत्येक पंचायत समिति में एक ऐसे विद्यालय को पुरस्कृत किया जाएगा जो 'शिक्षा आपके द्वार' योजना को बेहतर तरीके से लागू करेगा। इस प्रकार के विद्यालय के विकास-कोष में राज्य सरकार के द्वारा एक लाख रुपये दिए जाएंगे।

इसी तरह प्रत्येक पंचायत समिति में एक शिक्षक का चयन करके उसे पांच हजार रुपये नकद दिए जाएंगे। जिले में एक गैर-सरकारी संस्था और एक ग्राम-पंचायत को अभियान में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दो लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत कमजोर और पिछड़े वर्ग के बालक-बालिकाओं, अल्पसंख्यक तथा घुमन्तू परिवारों के लिए आवासीय शिविर, दिन में काम करने वाले बच्चों के लिए सायंकाल शिक्षा व्यवस्था, रेगिस्तानी और कठिन इलाकों में चलते-फिरते विद्यालय स्थापित किए जाएंगे।

अभियान की समीक्षा राज्य के विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति करेगी। अभियान की सफलता के लिए जिला कलेक्टर एवं अन्य जिलास्तरीय अधिकारियों से पूरा सहयोग लिया जाएगा। ❑

(लेखक राजस्थान उच्च न्यायालय में एडवोकेट हैं।)

यूरो मुद्रा तथा भारत

○ जे.के. टण्डन

द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद की अवधि में क्षेत्रीय स्तर पर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के एकीकरण में दिलचस्पी दिखाई दी मगर अनेक मामलों में प्रयास राजनैतिक मतांतरों और अप्रत्याशित राजनैतिक अड़चनों के कारण असफल हो गए। आर्थिक एकीकरण चार प्रकार के आर्थिक समूहीकरण की तरह हो सकता है—जैसे, मुक्त व्यापार क्षेत्र, सीमा-शुल्क संघ, समान बाजार तथा आर्थिक संघ। यूरोपीय संघ इन चारों प्रकार के मानकों को मिलाकर बनाया गया सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। विश्व की अर्थव्यवस्था को कभी भी आज की बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली की बर्बादी से आकार तथा आयाम में खतरा नहीं पहुंचा। यूरोपीय संघ (ई यू), जिसे पहले ई ई सी, ई सी एम या ई सी कहा जाता था, का गठन 1958 में रोम की संधि के अंतर्गत हुआ था। तब से ही इकलौती मुद्रा यूरोपीय संघ का स्वप्न था।

1960 के दशक के आखिर में तथा 1970 के दशक के प्रारंभ में डालर की बार-बार हो रही समस्या के कारण यूरोपीय विनिमय बाजारों पर भारी दबाव पड़ा। इस कारण विनिमय दरों में तेजी से उतार-चढ़ाव हुए। डालर के दो लगातार अवमूल्यनों (1971 तथा 1973) तथा लचीली विनिमय दर को अपनाने से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की समस्या और भी नाजुक हो गई। तब यूरोपीय मुद्रा प्रणाली (ईएमएस) की परिकल्पना की गई जो यूरोपीय मुद्राओं के एकीकरण का रास्ता प्रशस्त करे। ई एम एस ने मार्च, 1979 से काम करना शुरू कर दिया और आपसी मुद्रा सहायता के हिसाब-किताब की इकाई के रूप में यूरोपीय मुद्रा संघ (ई सी यू) का गठन किया गया। इसने वही स्थान हासिल किया जोकि आई एम एफ में स्पेशल ड्राइंग राइट्स (एस डी आर) का था। जनवरी 1, 1999 से ई सी यू का विद्यमान एक-रूप समाप्त हो गया।

1992 में जब 'फार्ट्रेस यूरोप' की स्थापना हुई तब यह कहा गया कि इसमें (क) सदस्य देशों को बांटने वाली सीमाएं समाप्त हो जाएगी, (ख) व्यापार प्रक्रियाएं आसान हो जाएंगी; (ग) एक ही प्रकार के वाणिज्यिक कानून लागू हो जाएंगे; (घ) लोगों को और विकल्प मिल जाएंगे।

जनवरी, 1999 में इकलौती मुद्रा 'यूरो' के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलन को अमेरिकी डालर का मुंहतोड़ जवाब माना जा रहा है। यूरो की शुरुआत 15 सदस्य देशों में से 11 के शामिल (अब सदस्यता 12 हो गई है) होने से हुई। आस्ट्रिया, बेल्जियम, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड्स, पुर्तगाल तथा स्पेन यूरो के मूल सदस्य हैं और यूनान उसमें वर्ष 2001 में शामिल हुआ। ग्रेट ब्रिटेन, डेनमार्क तथा स्वीडन को अभी यूरो क्षेत्र में प्रवेश करना है। ये तीनों देश अपनी ही आर्थिक तथा राजनीतिक मजबूरियों के कारण अभी तक इसमें शामिल नहीं हुए हैं। ये देश अपनी राष्ट्रीय प्रभुसत्ता सर्व-यूरोपीय मुद्रा के समर्पण नहीं करना चाहते। जनवरी, 1999 को यूरो पुस्तक-मुद्रा के रूप में शुरू हुआ। यूरो के वर्णन के रूप में ये राष्ट्रीय मुद्राएं दिसंबर, 2001 तक चलीं और जनवरी, 2002 से यूरो कानूनन धन की मुद्रा के रूप में आ गया।

कुछ अन्य देश भी निकट भविष्य में इस क्षेत्र में शामिल होने के इच्छुक हैं मगर प्रवेश से पहले उन्हें कुछ शर्तों को पूरा करना होगा:

1. इन देशों में मुद्रास्फीति दर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे तीन देशों से 1.5 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए;
2. ब्याज दर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे तीन देशों से 2 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए;

भारत ने उपलब्ध यूरोपीय संघ बाजार का पूरा लाभ नहीं उठाया हालांकि विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं/ उत्पादों के बाजार के रूप में यूरोपीय संघ में बहुत संभावनाएं हैं। इसके लिए भारत में संबंधित औद्योगिक क्षेत्र को समांतर पुनर्गठन करने और निर्यातोन्मुखी बनने की जरूरत है ताकि निर्यात के लिए अतिरिक्त उत्पाद उपलब्ध हो सकें।

3. सरकारी कर्ज सकल घरेलू उत्पाद के 60 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए;
4. ई एम एस मार्जिन के अंतर्गत दो सालों तक विनिमय दर स्थिरता;
5. सालाना सरकारी बजट घाटा 3 प्रतिशत या कम होना चाहिए।

यदि अतिरिक्त 11 देशों (जो आगामी वर्षों में यूरो क्षेत्र में शामिल होने के इच्छुक हैं) को स्वीकृति मिल जाती है तो विस्तृत यूरोपीय संघ के 26 सदस्य हो जाएंगे जिसमें पूर्वी ब्लाक का महत्वपूर्ण भाग भी होगा।

'यूरो' का मुद्रा संघ के रूप में पूरी तरह एकीकरण तीन चरणों में पूरा किया जाना था। तीसरा चरण 1 जनवरी, 2002 से शुरू हुआ है। यूरोपीय मुद्रा संघ (ई एम यू) ने यूरोपीय संघ में 1 जनवरी, 1999 से काम करना शुरू किया। ई एम यू उन यूरोपीय देशों का संघ है जिन्होंने समान मुद्रा (यूरो), समान केंद्रीय बैंक, समान मुद्रा, कर तथा प्रतिस्पर्धा नीतियों को अपनाने का फैसला लिया है। यहां उत्पाद/सेवाओं, पूंजी तथा श्रम के लिए भी समान बाजार है। जुलाई, 1998 में यूरोपीय सेंट्रल बैंक की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय फ्रेंकफर्ट में है तथा यह यूरो क्षेत्र के 12 सदस्य देशों की मुद्रा-नीति तय करता है।

2003 तक ई यू में शामिल होने के इच्छुक छह नए देश हैं— साइप्रस, चैक गणराज्य, इसटोनिया, हंगरी, पोलैंड तथा स्लोविनीया। ई यू में शामिल होने के इच्छुक अगले पांच देश बुल्गारिया, लटाविया, लिथुनिया, रोमानिया तथा स्लोवाकिया हैं।

यूरो का तीसरे चरण का कार्यक्रम 1 जनवरी, 2002 से शुरू हुआ है और 1 जुलाई, 2002 तक इसे पूरा होना है। इस चरण में शामिल होंगे:

1. 1 जनवरी, 2002 से यूरो नोट और सिक्कों का प्रचलन/यूरो एक सौ सेंट में विभाजित होगी।
2. ई एम यू के सभी सदस्य 1 जुलाई, 2002 तक अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं का प्रचलन बंद कर देंगे।
3. सभी परिसंपत्तियों को यूरो में परिवर्तित किया जाना है।

यूरो का मूल्यांकन: 1 जनवरी, 1999 को जब यूरो की शुरुआत हुई, एक यूरो 1.18 अमेरिकी डालर और 142 जापानी येन के बराबर था। सदस्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं की धीमी वृद्धि के कारण यूरो के मूल्य में निरंतर गिरावट हुई। अब एक यूरो सिर्फ 0.88 अमेरिकी डालर तथा 109/110 जापानी येन (6 अगस्त, 2001) दिलवा सकता है। आई एम एफ ने भी पांच मुद्रा आकलन बास्केट में जर्मनी के ड्यूश मार्क और फ्रैंच फ्रैंक की मुद्रा राशि को यूरो के बराबर की राशि से बदल दिया है। इलेक्ट्रॉनिक यूरो, जिसे बड़ी आशाओं के साथ 1 जनवरी, 1999 को शुरू किया गया था, अपना काफी मूल्य खो चुका है।

37.5 करोड़ जनसंख्या और विश्व व्यापार में 18 प्रतिशत हिस्से के साथ यूरोपीय संघ अमेरिका से भी बड़ा बाजार है। अमेरिकी डॉलर की गंभीर प्रतिस्पर्धा के रूप में शुरू किए गए यूरो की साख अभी काफी गिर गई है और जनवरी 1999 से अब तक यह लगभग 35 प्रतिशत कम हो चुका है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले यूरो के अवमूल्यन से भारतीय निर्यातकों को अपना निर्यात बढ़ाने के अवसर प्राप्त हुए हैं। यूरो के इस्तेमाल से यूरोपीय संघ के सदस्यों के साथ व्यापार में हुए खर्चे को कम करने में भारतीय निर्यातकों को मदद मिल रही है। इससे भारतीय निर्यातकों को मुद्रा उतार-चढ़ाव के खतरे कम करने, हैजिंग खर्चे समाप्त करने और बेहतर बैंकिंग सेवाओं में

भारत-ई ई सी व्यापार

(रुपये करोड़ में)

देश	निर्यात				आयात			
	1990-91	1997-98	1998-99	1999-2000	1990-91	1997-98	1998-99	1999-2000
1. यूरोपीय संघ	8951	32840	36361	40663	12680	37719	43274	44736
	(27.5)	(25.2)	(26.0)	(25.1)	(29.4)	(24.5)	(24.3)	(21.9)
2. अमेरिका	4797	25282	30289	36980	5245	13814	15314	15728
	(14.7)	(19.4)	(21.7)	(22.7)	(12.1)	(19.0)	(8.6)	(7.7)
3. जापान	3089	7056	6950	7379	3245	7972	10379	10206
	(5.6)	(5.4)	(5.0)	(4.5)	(7.5)	(5.2)	(5.8)	(5.0)
4. अन्य	15761	54923	56153	77903	22021	94671	108365	133913
	(52.2)	(50.0)	(47.3)	(47.7)	(51.0)	(61.3)	(61.3)	(54.4)
कुल	32553	130101	139753	162925	43196	154176	178332	104583
	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)

स्रोत: भारत सरकार के 2000-2001 के आर्थिक सर्वेक्षण से उद्धृत

मदद मिल रही है। विश्व भर में मंदी के बावजूद यूरो क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद औसत 2.5 प्रतिशत बढ़ा जबकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में बढ़ोत्तरी 4 प्रतिशत की हुई। पिछला वर्ष ई यू सदस्य देशों के लिए खराब वर्ष रहा। इस क्षेत्र में मुद्रास्फीति दर 3.5 प्रतिशत रही जो यूरोपीय सेंट्रल बैंक द्वारा तय 2 प्रतिशत के स्तर से ज्यादा है। बैंक मूल्य स्थिरता के लिए दर में कमी चाहता है। जर्मनी, यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मंदी के कगार पर खड़ी है। अनेक ऐसे पूर्वी यूरोपीय तथा अफ्रीकी देश यूरोपीय संघ में शामिल होने के इच्छुक हैं जिनके भारत के साथ अच्छे आर्थिक संबंध हैं। भारत को यूरोपीय संघ के साथ व्यापार बढ़ाने के मौकों का पूरा लाभ उठाना चाहिए।

भारत के कुल विदेशी व्यापार में यूरोपीय संघ का हिस्सा लगभग एक-चौथाई है। हाल के वर्षों में यूरोपीय देशों से भारत के तुलनात्मक आयात में कमी आई है। 1990-91 में कुल आयात में यूरोपीय संघ का हिस्सा 29.4 प्रतिशत था जो 1999-2000 में गिरकर 21.9 प्रतिशत हो गया। प्रतिशत के तौर पर निर्यात लगभग उतना ही है। भारत का ई यू के साथ व्यापार घाटा इन सभी सालों में लगभग 4,000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष रहा। जैसा तालिका 1 से स्पष्ट है, 1990-91 से 1999-2000 के बीच भारत से यूरोपीय संघ के देशों को निर्यात पांच गुना बढ़ गया जबकि इसी अवधि के दौरान अमेरिका को निर्यात आठ गुना हो गया। इस स्थिति से स्पष्ट है कि भारत ने उपलब्ध ई यू बाजार का पूरा लाभ नहीं उठाया हालांकि विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं/उत्पादों के बाजार के रूप में यूरोपीय संघ में बहुत संभावनाएं हैं। जापान और दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश ई यू बाजार में घुस रहे हैं। यूरोपीय उद्योगों में विलय तथा एक-दूसरे को हासिल करने की हवा चल रही है। प्रतिस्पर्धा में रहने के लिए यूरोपव्यापी कंपनियों के गठन की नीति अपनाई जा रही है। इसके लिए भारत के संबंधित औद्योगिक क्षेत्र को समांतर पुनर्गठन करने और निर्यातोन्मुखी बनने की जरूरत है ताकि निर्यात के लिए अतिरिक्त उत्पाद उपलब्ध हों।

समस्याएं : यूरो क्षेत्र में यूरो नोटों और सिक्कों के प्रचलन के शुरुआती चरण में भारत को दिक्कतें आ सकती हैं मगर भारत को डॉलर के मुकाबले कमजोर यूरो का पूरा लाभ उठाना चाहिए। ऐसा भी विश्वास है कि यूरो के आने से क्षेत्र के स्थानीय तौर पर तेज उतार-चढ़ाव अथवा तुलनात्मक कम व्यापार वाले देशों में भी स्थिरता आ सकती है जिससे भारतीय विदेशी व्यापार में भी स्थिरता आएगी। भारत को यूरो क्षेत्र के विभिन्न उपभोक्ता तथा इंजीनियरिंग उद्योगों में निवेश को बढ़ावा देना चाहिए।

यूरो का भविष्य: 1945 में आई एम एफ की स्थापना से लेकर 1998 (यूरो 1 जनवरी, 1999 से शुरू हुआ) तक की अवधि के दौरान डॉलर विश्व की मुख्य भंडार मुद्रा रही। अमेरिकी डॉलर सबसे ज्यादा स्वीकार्य तथा परिवर्तनीय मुद्रा। 1991 की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा समस्या ने अमेरिकी डॉलर को गहरा झटका दिया। अमेरिकी डॉलर की मुख्य स्थिति की जगह एस डी आर सहित पांच मुद्राओं के कोष ने ले ली। देश परिवर्तनीय विनिमय दरों को अपनाने लगे। 1999 में यूरो के आने के बाद से अनेक पूर्वी यूरोप और अफ्रीकी देशों ने अपनी मुद्राओं का 'यूरो-आइजिंग' शुरू कर दिया जबकि पहले वे 'डॉलराइजिंग' किया करते थे। इस प्रकार ये देश विदेशी निवेशकों को आकृष्ट करना चाहते थे मगर यूरो की अस्थिरता ने इन देशों के अपनी मुद्राओं की यूरो से 'पैगिंग' के प्रयासों को झटका दिया। हालांकि यूरो-क्षेत्र में प्रगति धीमे की है, फिर भी मुद्रास्फीति दर बढ़ रही है और यूरो कमजोर हुआ है। पिछले एक साल में डॉलर 'येन' के मुकाबले 14 प्रतिशत, यूरो के मुकाबले 7.5 प्रतिशत और दक्षिण कोरियाई 'वोन' के मुकाबले 17 प्रतिशत बढ़ा है। अमेरिकी डॉलर की जगह यूरो द्वारा विश्व की मुख्य मुद्रा का दर्जा लेने के दावे पूरे नहीं हो पाए।

निराशात्मक प्रदर्शन

यूरो क्षेत्र के निराशात्मक प्रदर्शन से लगता है कि आर्थिक तथा मौद्रिक संघों ने उस स्तर पर औद्योगिक पुनर्निर्माण और वित्तीय सुधार को बढ़ावा नहीं दिया जिस स्तर पर जरूरत थी। यूरोपीय अर्थव्यवस्था में मंदी का मुख्य कारण यूरो राष्ट्रों में अमरीकी संघ फंड दर के मुकाबले उच्च ब्याज दर का होना है। यूरोपीय अर्थव्यवस्था में मंदी का मुख्य कारण यूरो राष्ट्रों में अमरीकी संघ फंड दर के मुकाबले उच्च ब्याज दर है। यूरोपीय अर्थव्यवस्था में इस परिस्थिति का कारण मौद्रिक नीति के उस पुराने मॉडल को अपनाया जाना है जिसमें मुद्रास्फीति दर तथा धन प्रचलन, दोनों को ही ध्यान में रखा जाता है। ई यू यूरो को वैकल्पिक विश्व मुद्रा के तौर पर लाना चाहता है लेकिन अभी उसे अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिली है। विश्व व्यापार में डॉलर अभी भी मजबूत भूमिका अदा कर रहा है। अमेरिकी डॉलर की मजबूती के पक्ष में एक बात यह है कि अमेरिकी सरकार मजबूत डॉलर नीति अपनाए हुए हैं। और इससे निर्यात मांग पर बुरा असर पड़ रहा है।

1 जनवरी, 2002 से यूरो नोट और सिक्के प्रचलन में आ गए हैं और अब इन्हीं देशों को यूरो की असली दर का पता चलेगा। इसे छह महीने के भीतर लागू किया जाएगा। उस समय तक बैंकों में भी परिवर्तन हो चुका होगा तथा संशोधित भुगतान प्रणाली चालू हो जाएगी। दोहरी मुद्रा को रोक दिया जाएगा और यूरो ही कानूनी मुद्रा रह जाएगी। यह माना जा रहा है कि नई कानूनी मुद्रा से पुनर्गठन और व्यापार विश्वास को बढ़ावा मिलेगा जिससे आर्थिक प्रगति होगी। ऐसा भी अनुमान है कि यूरोप विश्व के आर्थिक इंजन के रूप में उभरेगा।

(शेष पृष्ठ 34 पर)

स्वयंसेवी क्षेत्र : नए आयाम

○ प्रदीप पंत

भारत में स्वयंसेवी प्रयासों की एक लंबी परंपरा रही है परंतु ये प्रयास पारंपरिक ढांचे पर चलते रहे हैं जहां परस्पर संबद्ध कुछ व्यक्ति एक संस्था बनाकर उसके जरिए यदा-कदा गरीबों और बेसहारा व्यक्तियों के लिए अंशकालिक कार्य करते आए हैं। आज जन-सामान्य को प्रभावित करने वाले मुद्दों में इनकी भूमिका में बदलाव अत्यंत महत्वपूर्ण है, ऐसी लेखक की मान्यता है।

किसी भी दौर में सरकार के लिए स्वयं ही सारे कार्य करना संभव नहीं होता। इसी कारण गैर-सरकारी प्रयासों की भूमिका सामने आती है। जहां तक सामाजिक प्रश्नों और समस्याओं का संबंध है, गैर-सरकारी प्रयासों का मतलब है स्वयंसेवी क्षेत्र का सार्थक हस्तक्षेप।

भारत में स्वयंसेवी प्रयासों की एक लंबी और अटूट परंपरा रही है। ये स्वयंसेवी प्रयास कभी व्यक्तिगत होते थे तो कभी संस्थागत। प्राचीनकाल में संपन्न व्यक्ति अपनी-अपनी आर्थिक हैसियत के मुताबिक प्याऊ बनवाते, धर्मशालाएं और सराय निर्मित करते, अनाथालयों, विधवाश्रमों आदि का निर्माण करवाते थे। ऐसा करने के पीछे प्राय: यह धार्मिक भावना निहित होती थी कि पैसा कमाया है तो थोड़ा-बहुत अनाथों, बेसहाराओं के कल्याण के लिए भी खर्च करके पुण्य प्राप्त कर लें। संस्थागत प्रयासों के रूप में गुरुकुल और मदरसों की स्थापना आदि के उदाहरण मिलते हैं। कई बार व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों ही प्रयास मिले-जुले रूप में भी देखने को मिले हैं। 'ब्रह्म समाज' के संस्थापक राजा राममोहन राय और 'आर्य समाज' के संस्थापक स्वामी दयानंद के प्रयास इसी कोटि में आते हैं। लेकिन यह गौरतलब है कि राजा राममोहन राय और स्वामी दयानंद का कद अपने संगठनों से ज्यादा बड़ा था, यानी संगठन इनके नाम से जाने गए। संभवत: इसका कारण यह था कि दोनों ने ही पहली बार छुटपुट 'सामाजिक कार्य' करने के बजाय अन्य बातों के अलावा कुरीतियों के खिलाफ 'समाज सुधार' की दिशा में बड़े मुद्दों को उठाया। कहना न होगा कि उन्नीसवीं शताब्दी के आरंभिक दौर में जब राजा राममोहन राय ने सती प्रथा और स्वामी दयानंद ने बाल-विवाह के विरोध में मुहिम छेड़ी और सफलता प्राप्त की, तब समाज सुधार के ये कार्य सामाजिक वर्जनाओं और रूढ़ियों के विरुद्ध क्रांतिकारी कदम थे और इन्होंने स्वयंसेवी कार्य को 'सामाजिक कल्याण' से आगे बढ़कर 'समाज सुधार' का नया आयाम दे दिया। इन कार्यों के क्रांतिकारी होने का पता इसी तथ्य से चल जाता है कि जब राजा राममोहन राय के संघर्ष और अभियान के फलस्वरूप लॉर्ड विलियम ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त करते हुए उसे कानून की नजरों में अपराध घोषित किया तो कुछ धर्मांध कट्टरपंथियों ने इस कानून को निरस्त करने के लिए 'प्रिवी काउंसिल' में अपील कर डाली, लेकिन राजा राममोहन राय के अनथक प्रयासों के चलते 'प्रिवी काउंसिल' ने इस अपील को ठुकरा दिया। इस कारण एवं समाज सुधार के अन्य क्रांतिकारी प्रयासों की वजह से ही राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का प्रथम पुरुष माना जाता है। इसी प्रकार जब स्वामी दयानंद ने बाल-विवाह के विरुद्ध और विधवा विवाह के पक्ष में अभियान चलाया तो उन्हें अनेक सामाजिक अवरोधों का सामना करना पड़ा। इसी प्रकार बीसवीं सदी के आरंभिक दशकों में मुस्लिम समाज में सुधार के लिए सैयद अहमद खां ने कदम उठाए। यद्यपि कई मामलों में वह विवादास्पद रहे, लेकिन वह शायद पहले मुस्लिम नेता थे जिन्होंने 1935 में अलीगढ़ में न केवल मोहम्डन एंग्लो ओरियंटल कॉलेज (जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी कहलाया) की स्थापना की, बल्कि मुस्लिम महिलाओं में पर्दा-प्रथा की समाप्ति तथा उनमें शिक्षा-प्रसार की मुहिम भी चलाई और समाज सुधार के ये कार्य भी उस समय क्रांतिकारी कार्य ही थे।

बीसवीं सदी इस मायने में सौभाग्यशाली है कि उसे महात्मा गांधी जैसा नेता मिला। वस्तुत: गांधीजी ने समाज सुधार और

सामाजिक परिवर्तन को राजनीतिक लड़ाई से अलग करके नहीं देखा। उनसे पहले के समाज सुधारक दरअसल समाज सुधार या सामाजिक परिवर्तन तक सीमित रहे, जबकि गांधीजी समाज सुधार को अपने व्यापक राजनीतिक संघर्ष का ही एक अंग मानते थे, बल्कि कहना चाहिए कि वह समाज सुधार को राजनीतिक लड़ाई के औजार के रूप में इस्तेमाल करते थे ताकि समाज के दलित-पीड़ित, महिला आदि वर्ग उनसे जुड़ सकें। यह बीसवीं शताब्दी का एक नया दृष्टिकोण था। एक उदाहरण से इस बात को सहज ही समझा जा सकता है। हरिजन, जो आज अनुसूचित जाति के नाम से जाने जाते हैं, सामाजिक वर्जनाओं के शिकार होने के कारण समाज के सबसे निचले तबके के सदस्य माने जाते थे और गंदी बस्तियों में रहने के लिए विवश थे। गांधीजी ने हरिजन बस्तियों की सफाई का अभियान चलाया तो हरिजनों को लगा कि कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो उनकी सुध लेने को तैयार है। परिणामस्वरूप हरिजन बस्तियों की सफाई के अभियान ने हजारों हरिजनों को गांधीजी से जोड़कर उनके राजनीतिक संघर्ष का अंग बना दिया। इसी भांति गांधी ने जब महिला शिक्षा की बात की तो महिलाएं उनकी ओर न केवल आशा भरी दृष्टि से देखने लगीं, बल्कि वे गांधीजी के स्वतंत्रता संग्राम का अंग भी बन गईं और समय-समय पर बड़ी संख्या में जेल गईं। दूसरी गौरतलब बात यह है कि अपने समाज सुधार के अभियान के अंतर्गत गांधीजी ने पूर्ववर्तियों की भांति केवल दो-चार सामाजिक मुद्दों को ही नहीं छुआ बल्कि एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने कुष्ठ रोग निवारण, हरिजनोद्धार, बुनियादी तालीम, महिला शिक्षा, नशाबंदी, ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग विकास जैसे प्रमुख 17-18 सामाजिक-आर्थिक मुद्दों को लिया जिनका उल्लेख उनकी पुस्तक 'रचनात्मक कार्यक्रम' में मिलता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि गांधीजी ऐसे लगभग पहले राजनीतिज्ञ और समाज-सुधारक थे जिन्होंने सुधार को अर्थव्यवस्था से भी जोड़कर देखा। उन्होंने चर्खा, खादी, और कुटीर उद्योग के विकास पर इसीलिए जोर दिया क्योंकि वे जानते थे कि इनका भारत के जनसामान्य से सीधा वास्ता है और ब्रिटिश सरकार कुटीर उद्योगों को जिस प्रकार समाप्त करने पर आमादा है उससे लाखों भारतीय बेरोजगार हो जाएंगे और परिणामस्वरूप उनकी आर्थिक स्थिति ही कमजोर नहीं होगी बल्कि सामाजिक एवं पारिवारिक समस्याएं भी बढ़ जाएंगी।

स्वयंसेवी क्षेत्र के केवल वही मायने नहीं हैं जो परंपरागत अर्थ में हुआ करते थे। राजेन्द्र सिंह अगर आज राजस्थान के कुछ ग्रामांचलों में स्थानीय लोगों के सहयोग से पानी के पोखर बनाने में सफल होते हैं तो यह एक स्वयंसेवी कार्य ही है। गैर-सरकारी प्रयासों तथा सामुदायिक सहभागिता से वे एक ऐसी समस्या को हल कर रहे हैं जो इन ग्रामांचलों के जन सामान्य के जीवन को वर्षों से प्रभावित करती रही हैं।

बहरहाल, स्वाधीनता के पश्चात और महात्मा गांधी के बाद स्वयंसेवी क्षेत्र के रूप-स्वरूप और कार्यविधि में धीरे-धीरे परिवर्तन आते चले गए। यह स्वाभाविक भी था। देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना के लिए जो संविधान बनाया गया उसमें अन्य बातों के अलावा कल्याणकारी राज्य का भी लक्ष्य रखा गया। इसे ध्यान में रखते हुए वंचितों-पीड़ितों, महिलाओं-बच्चों, अनुसूचित जातियों-जनजातियों आदि की स्थिति में सुधार के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने अनेक नए कानून बनाए तथा पुराने कानूनों में संशोधन किए। साथ ही स्वयंसेवी क्षेत्र के लिए सरकारी अनुदान के दरवाजे भी खोले। यही नहीं, सरकार ने अपने कल्याण कार्यक्रम लागू करने के लिए स्वयं तो कदम उठाए ही, अनेक योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए स्वयंसेवी क्षेत्र से भी सहयोग और सहभागिता की अपेक्षा की। सरकारी अनुदान देने की व्यवस्था इसी हेतु की गई। अपने तौर पर कार्य करने के लिए सरकार ने व्यापक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को तरजीह दी। केंद्र में इस हेतु बाकायदा एक मंत्रालय भी बनाया गया जिसके पहले मंत्री एस.के.डे. थे। इसी तरह बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण के अंतर्गत सरकारी कल-कारखानों में फैक्ट्रीज एक्ट के अंतर्गत श्रमिकों तथा महिला श्रमिकों को अनेक सुविधाएं दी गई। यह कानून, जो कि ब्रिटिश समय से चला आ रहा था और जिसमें समय-समय पर संशोधन हुए, निजी कल-कारखानों पर भी लागू हुआ ताकि वहां श्रमिक शोषण से बच सकें। इसी तरह न्यूनतम वेतन कानून आदि भी लागू किए गए। महिला शिक्षा प्रसार का दायित्व भी सरकार ने बड़े पैमाने पर अपने हाथों में लिया। स्वयंसेवी क्षेत्र से जिन कार्यों में सहभागिता की अपेक्षा की गई वे अधिकांशतः गरीब एवं कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए पालनघरों की स्थापना, कुटीर उद्योगों का विकास, महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता, शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा प्रसार, विकलांग कल्याण, वृद्ध कल्याण, कुष्ठ रोग कल्याण। इस प्रकार आजाद भारत में सरकार द्वारा समाजिक-आर्थिक मुद्दों से जुड़े अनेक कार्य अपने स्तर पर करने तथा अनेक कार्य स्वयंसेवी क्षेत्र को आर्थिक मदद देकर उसके माध्यम से कराने के एक नए युग की शुरूआत हुई।

इसी के साथ स्वयंसेवी क्षेत्र में कुछ परिवर्तन भी देखने को मिलने लगे। उदाहरण के लिए विश्वविद्यालय और कॉलेज स्तर

पर समाज कार्य की बाकायदा व्यावसायिक शिक्षा दी जाने लगी जहां से समाज कार्य के अनेक स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त छात्र निकले। समाज कार्य में व्यावसायिक दक्षता का यह एक नया आयाम था। इसके अंतर्गत छात्रों को यह ज्ञान कराया गया कि कैसे व्यक्तिगत काउंसिलिंग की जाती है, सामुदायिक कार्य का क्या मतलब होता है, सामूहिक नेतृत्व के क्या मायने हैं, क्षेत्र-विशेष का ध्यान रखते हुए कैसे योजनाएं-परियोजनाएं बनाई जानी चाहिए आदि। लेकिन देखने में यह आया कि समाज कार्य में स्नातकोत्तर ये छात्र अधिकांशत: कल-कारखानों, खदानों, चाय बागानों, सरकारी और स्वायत्त संगठनों में कल्याण अधिकारी आदि के पदों तक ही पहुंचते रहे। कहने का आशय यह है कि अपने नए व्यावसायिक ज्ञान के सहारे बहुत कम ने स्वयंसेवी क्षेत्र को अपनाया। बहरहाल, स्वयंसेवी क्षेत्र के संदर्भ में यह एक नया आयाम तो था ही। यहां यह भी बता दिया जाए कि उनमें से अधिकांश छात्र रोजगार के बाजार में अवसर न मिल पाने के कारण विवशता से ही यहां आए क्योंकि स्वयंसेवी संगठनों में उन्हें उतना वेतन नहीं मिल पाता जितने की वे अपेक्षा रखते हैं।

सच तो यह है कि हमारे देश में आज भी स्वयंसेवी क्षेत्र और संगठनों का कार्य परंपरागत ढांचे पर ही चल रहा है जहां एक संस्था है जिसकी कार्यकारिणी में चंद परस्पर परिचित लोग हैं जो समाज सेवा को अंशकालिक कार्य समझते हैं, इसलिए फुर्सत के समय में दीन-हीनों, बेसहारों, अनाथों आदि के लिए कुछ कार्य कर देते हैं। कुछ कार्यक्रमों के लिए समाज कार्य की व्यावसायिक दक्षता वालों को नियुक्त किया भी जाता है तो केवल इसलिए कि इन कार्यक्रमों के लिए जो अनुदान मिलता है उसके साथ यह शर्त जुड़ी होती है कि कार्यक्रम लागू करने वाला व्यक्ति समाज-कार्य, समाजशास्त्र आदि में स्नातकोत्तर होना चाहिए। उदाहरणार्थ, दहेज उत्पीड़न, एकल परिवारों के फलस्वरूप पैदा हुए दांपत्य तनावों आदि से निपटने के लिए सरकार ने परिवार परामर्श केन्द्रों की स्थापना की एक योजना चलाई है। इनमें चूंकि समस्या हल करने के लिए काउंसिलिंग की जरूरत होती है, इसलिए सरकार के कार्यक्रम में व्यावसायिक दक्षता वाले समाज कार्य, समाजशास्त्र या फिर मनोविज्ञान की स्नातकोत्तर छात्राओं की अनिवार्य नियुक्ति का प्रावधान है। इस कारण इन व्यावसायिक दक्षता वाल छात्राओं को स्वयंसेवी संगठनों में जगह मिल जाती है।

जो भी हो, आज स्वयंसेवी क्षेत्र के केवल वही मायने नहीं हैं जो परंपरागत अर्थ में हुआ करते थे। राजेन्द्र सिंह अगर आज राजस्थान के कुछ ग्रामांचलों में स्थानीय लोगों के सहयोग से पानी के पोखर बनाने में सफल होते हैं तो यह एक स्वयंसेवी कार्य ही है। गैर-सरकारी प्रयासों तथा सामुदायिक सहभागिता से वे एक ऐसी समस्या को हल कर रहे हैं जो इन ग्रामांचलों के जन सामान्य के जीवन को वर्षों से प्रभावित करती रही हैं। राजेन्द्र सिंह ने यह सिद्ध कर दिखाया कि लाखों रुपये खर्च करके भी इन सूखाग्रस्त इलाकों में सरकारी मशीनरी हरियाली नहीं ला सकी, जबकि स्वयंसेवी प्रयासों से कम समय में तथा बहुत कम लागत से यह सफलता हाथ लग गई। राजस्थान में ही अरुणा राम और उनके साथियों की 'मजदूर-किसान शक्ति संगठन' को लंबे संघर्ष के बाद राज्य में सूचना प्राप्ति के अधिकार का कानून बनवाने और लागू करवाने में जो सफलता मिली वह स्वयंसेवी प्रयासों की एक नई मिसाल है। कहना न होगा कि जन-सामान्य को एक बार यह अधिकार मिल जाए तो प्रशासन में न केवल पारदर्शिता की संभावना पैदा हो जाती है, बल्कि किसी भी क्षेत्र की आम जनता को सरकारी दस्तावेज हासिल करके यह भी पता चल सकता है कि उसके क्षेत्र में सड़कों, नहरों आदि के निर्माण तथा कल्याणकारी कार्यों पर सरकार ने जो पैसा खर्च किया है, उसका सदुपयोग हुआ है या नहीं। सूचना प्राप्ति का ऐसा ही एक बिल संसद के समक्ष विचाराधीन है। इसी भांति उत्तर प्रदेश में गढ़वाल के रैणी ग्राम (अब उत्तरांचल) से उठा 'चिपको आंदोलन' पर्यावरण संरक्षण आदि के क्षेत्र में एक ऐसा स्वयंसेवी प्रयास था जिसकी गूंज प्रदेश और देश की सीमाओं को पार करती हुई विदेशों तक भी पहुंची क्योंकि इस आंदोलन ने स्थानीय सहयोग से स्थानीय मुद्दों को लेकर पैदा होने वाली समस्याओं को हल का एक नया रास्ता दिखाया। ऐसे ही आंदोलन अरक के खिलाफ आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में तथा शराब के खिलाफ मणिपुर में चले। इन आंदोलनों में सामान्य महिलाओं ने बड़े पैमाने पर भागीदारी निभाई। यद्यपि ऐसे आंदोलनों को सीमित सफलता ही मिली। इससे यह तो सिद्ध हुआ ही कि जो काम सरकार कानून बनाकर तथा प्रचार आदि पर भारी खर्च करके भी सफलतापूर्वक नहीं कर सकती, वह कार्य स्वयंसेवी संगठन जन-सामान्य के सहयोग से तथा उनमें चेतना जागृत करके सहजता से सम्पन्न कर सकते हैं। अनेक सामाजिक कुरीतियां ऐसे ही स्वयंसेवी प्रयासों से समाप्त की जा सकता हैं या फिर उनमें कमी तो लाई जा सकती हैं। साथ ही ऐसे प्रयास सरकारी मशीनरी पर अंकुश लगाने में सार्थक भूमिका भी निभा सकते हैं। महिला शिक्षा से जुड़े आंदोलन इसी कोटि में आते हैं और ये सब एक नए रूप में महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों की याद हैं। गांधीजी स्वयं भी केवल नेतृत्व प्रदान करते थे और नशाबंदी, हरिजन बस्तियों की सफाई आदि के काम स्थानीय लोगों पर छोड़ देते थे। वस्तुत: जन-सामान्य से संबद्ध आंदोलनों के जरिए आज हम स्वयंसेवी क्षेत्र को एक नई भूमिका में देख रहे हैं जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। ❑

(लेखक एक स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

गांवों के विकास की कीमत पर बचेंगे शहर

○ सुभाष

देश में जहां 1971 में 3126 शहर थे वहीं 1981 में 4029 तथा 1991 में 4689 शहर बन गए। आज यह आंकड़ा 5000 को पार कर चुका है। 1901 में शहरों में 2.5 करोड़ लोग रहते थे यह संख्या आज लगभग 30 करोड़ हो गई है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि हमारी शिक्षा प्रणाली में कमी है। वह गांवों को अपने साथ नहीं जोड़ पाती। अगर शहरों को बचाना है तो गांवों का विकास करना होगा।

गांव से छोटे कस्बों और छोटे कस्बों से बड़े शहरों की ओर लोगों का लगातार पलायन हो रहा है। रोजगार और आजीविका की खोज में व्यक्ति जिस गति से शहर की ओर पलायन कर रहा है, वह अपने-आप में एक चिंता का विषय है। साल दर साल लाखों की संख्या में लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। आदमी का स्वभाव है कि जिस क्षेत्र में जीवन-यापन मुश्किल हो वहां से वह उस क्षेत्र में पलायन कर जाता है जहां जीवन- यापन के अवसर ज्यादा हों। पलायन स्थाई भी होता है और अस्थाई भी। यह दूरी पर भी निर्भर करता है। पलायन अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्देशीय, क्षेत्रीय, शहर से शहर एवं गांव से शहर में होता है। गांव से शहर की तरफ पलायन में ऊपरी तबका यानी पढ़े-लिखे एवं साधन संपन्न लोग ज्यादा हैं। इसके बाद वे लोग आते हैं जो गांव में भी मजदूरी करके किसी तरह अपनी रोजी-रोटी चलाते हैं। संसाधनों पर बढ़ते दबावों ने इन लोगों के लिए रोजी-रोटी के अवसर भी कम किए हैं इसलिए ये काम की तलाश में सपरिवार पलायन करते हैं। पलायन पर अनेक अध्ययन हुए हैं। जिनमें माना गया है कि पलायन के कुछ कारण कुदरती हैं तो कुछ सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा तकनीकी। तकनीकी रूप से दक्ष लोग भी और ज्यादा अवसरों की तलाश में पलायन करते हैं। ये लोग वाणिज्य केन्द्रों व बड़े शहरों में बड़े उद्योगों के कारण जाते हैं।

कुछ समय पहले रोहतक जिले के गरनावठी गांव पर पलायन को लेकर एक अध्ययन हुआ था। रोहतक शहर से 12 कि.मी. दूर इस गांव से अध्ययन के दौरान चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। इस गांव से लगभग 300 लोग रोजाना शहर की तरफ मजदूरी करने जाते हैं। इसके अलावा 200 के लगभग दुकान एवं रेहड़ी लगाते हैं। 100 के लगभग रोजाना रोहतक, झज्जर, एवं दिल्ली जैसे शहरों में नौकरी करने जाते हैं। पिछले 5 साल में लगभग 20 लोग गांव छोड़कर सपरिवार दिल्ली, रोहतक व झज्जर चले गए हैं।

इसी गांव का जगदीश जब गांव से चला तो अनेकों सपने लेकर चला था। शहर पहुंचते ही इन सपनों की मौत हो गई। अब वह गांव नहीं लौटना चाहता। वह यह मजदूरी करके अपना पेट पालना चाहता है। गांव जाएगा तो बेइज्जती होगी, ताने सहने पड़ेंगे।

73 वर्षीय शांति आज इस गांव में बिल्कुल अकेली रहती है। उसके सारे बेटे गांव से पलायन करके दिल्ली में बस गए हैं। शांति बताती है कि अच्छा हुआ जो शहर में बस गए। अन्यथा गांव में भूखे मरते। वह गांव में इसलिए रहती हैं कि लड़कियां यहीं पर उससे मिलने आ जाती हैं। शांति बताती है कि मेरा बड़ा लड़का ओम प्रकाश कोई 25 साल पहले दिल्ली चला गया था। उसने अपने मामा की टाल पर काम किया। फिर उसके मामा ने उसकी एक दुकान करवा दी। बस उसी से मेहनत कर आज उसने काफी प्रापर्टी बना ली है। उसने अपने छोटे भाईयों को भी एक-एक कर दिल्ली में कारोबार में लगा दिया। आज शांति कहती है कि गांव छोड़ने को मन नहीं करता लेकिन अच्छा हुआ मेरे बेटे बाहर चले गए। गांव के और कितने लोग हैं जो शहर में बस जाना चाहते हैं लेकिन उसके पास इस महंगाई के जमाने में जमीन का एक टुकड़ा खरीदने के लिए पैसे नहीं

है। गांव में जो पुश्तैनी जमीन है वह भी इस लायक नहीं कि परिवार का गुजारा चल सके।

गांव का एक किसान जयपाल है जिसके पास 12 एकड़ जमीन है। वह भी भूखे मरने के कगार पर है। उसकी कुछ जमीन में सेम है तथा बाकी रेही (कल्लर) है। पांच बच्चों के पिता जयपाल के लिए परिवार का खर्च चलाना भी मुश्किल हो रहा है।

इसी गांव के धूप सिंह जो एक किसान है। 1964 में पुलिस में भर्ती हुए। लेकिन चार साल बाद ही बी.एस.एफ. की नौकरी छोड़ दी। क्योंकि उसकी जमीन अच्छी थी और बढ़िया जमींदारी थी। लेकिन आज जमीन उसके बेटों में बंट चुकी है। उसका मानना है कि मैंने नौकरी छोड़कर भारी भूल की। आज मैं यह सोचता हूं कि गांव में खेती, पशु चराने या मजदूरी करने के अलावा कोई काम नहीं है। न यहां शिक्षा है, न रोजगार के साधन। वह शहर जाना चाहते हैं। वह कहते हैं कि शहर का माहौल अच्छा है। वहां पर गांव की तरह पार्टीबाजी नहीं होती। बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दिलवाई जा सकती है। इस गांव में 1400 एकड़ जमीन ऐसी है जिस पर खेती होती है। इसके अलावा 1400 एकड़ जमीन ऐसी है जो रेही, मारू व शामलाती है। इस पर खेती नहीं होती। यह मारू भूमि यदि खेती लायक बन जाए तो काफी हद तक लोगों को रोजगार मिल सकता है।

दूसरी ओर आतंकवाद के कारण भी बड़ी संख्या में आबादियों का पलायन हो रहा है। किसी समय आतंकवाद से पीड़ित रहे पंजाब से लाखों की संख्या में लोगों ने पलायन किया हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों व जम्मू-कश्मीर से भी भारी संख्या में लोगों का पलायन हो रहा है। इन सब में राजनैतिक कारण निहित हैं। उधर बंगाल, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान से भारी संख्या में गरीब आबादी पलायन कर रही है। आज गांवों से शहरों की तरह पलायन एक भयानक समस्या बन चुका है। साल दर साल लाखों की संख्या में लोग ग्रामीणों क्षेत्रों से शहरों की तरफ भाग रहे हैं। इससे शहरों में आवास एवं रोजगार की एक विकट समस्या खड़ी हो गई है तथा शहरी व्यवस्था चरमरा रही है। अध्ययनों के अनुसार ज्यादातर पलायन कम दूरी पर होता है। बहुत दूर पलायन करने वाले कम संख्या में हैं। निम्न तालिका से यह स्पष्ट है:

शहर का नाम	दूरी (कि.मी. में)	पलायन करने वालों की संख्या (प्रतिवर्ष)
ए	15	1000
बी	30	500
सी	45	350
डी	60	250
ई	75	200
एफ	90	175
जी	105	150

आंकड़ों के अनुसार भारत के शहरों में 44 प्रतिशत परिवार 1 कमरे में गुजारा करते हैं और शौचालय की सुविधा सिर्फ 24 प्रतिशत आबादी को उपलब्ध है। 60 प्रतिशत शहरों में रोज निकलने वाले कूड़े को ठिकाने लगाने की व्यवस्था नहीं है तथा यह यों ही गलियों में खुले में सड़ता है। अधिकतर शहरों में बरसात के पानी की भी समुचित निकासी नहीं है। प्रदूषण की समस्या सबसे ज्यादा शहरों में है और गरीब लोग इसकी चपेट में हैं। हमारे शहरों के अनियंत्रित विकास का कारण, कोई सुव्यवस्थित योजना का नहीं होना है। शहरों में कुछ आबादी को तो नागरिक सुविधाएं हैं लेकिन बाकी इससे वंचित है। क्योंकि सुविधाएं उपलब्ध करवाने वाली एजेंसियां स्वत: होते विस्तार के साथ सुविधाओं का विस्तार करने में सक्षम नहीं हैं।

देश में जहां 1971 में 3126 शहर थे वहीं 1981 में 4029 तथा 1991 में 4689 शहर बन गए। आज यह आंकड़ा 5000 को पार कर चुका है। एक सर्वे के अनुसार देश के लगभग 5000 शहरों में लगभग 1850 में नगर पालिका भी नहीं है। 1971-1991 के बीच 20 सालों में 1563 नए शहर बने तथा 1981-1991 के बीच में शहरी आबादी 36.19 प्रतिशत बढ़ी। जहां 1901 में शहरों में 2.5 करोड़ लोग रहते थे वहीं 1951 में यह संख्या 6.2 करोड़ थी। 1971 में यह संख्या बढ़कर 10.91 करोड़ हो गई जबकि 1991 में यह संख्या 21.71 करोड़ तथा आज लगभग 30 करोड़ हो गई है।

ग्रामीण क्षेत्रों के पलायन से जहां गांव खाली हो रहे हैं और कृषि आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, वहीं शहरी ढांचा भी चरमरा रहा है। सवाल उठता है कि यह पलायन क्यों हो रहा है तथा इसे कैसे रोका जा सकता है? हालांकि गांव से पलायन के बाद वहां जो खालीपन पैदा होता है, उसे बिल्कुल पिछड़े इलाकों से आने वाले लोग भर देते हैं। जैसे हरियाणा एवं पंजाब में बिहार एवं उत्तर प्रदेश के मजदूर आ गए हैं। पहले पंजाब में खेती में ज्यादातर बिहारी मजदूर थे। लेकिन अब हरियाणा में भारी संख्या में बिहार व उत्तर प्रदेश से मजदूरों ने आकर गांवों में खेती को संभाल लिया है तथा राज्य के पढ़े-लिखे लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं।

अर्थशास्त्रियों का मानना है कि हमारी शिक्षा प्रणाली में कमी है। वह गांवों को अपने साथ नहीं जोड़ पाती। पढ़ने के बाद लगता है कि गांवों का जीवन नीरस व उबाऊ है। पढ़ने-लिखने के बाद तो शहर में ही रहना होगा। ग्रामीणों को अपने बच्चों को पढ़ाना ही आफत बन गया है। पढ़ने के बाद वे पारिवारिक व्यवसायों में हाथ नहीं बंटाना चाहते। उन्हें वे सारे कार्य अपनी

पोजीशन के खिलाफ लगते हैं। आज ग्रामीण अपने बच्चों को पढ़ाना तो चाहते हैं लेकिन ऐसी शिक्षा नहीं दिलाना चाहते जो उनमें अलगाव पैदा करे। उधर शहर में जाकर कोई भी व्यक्ति झोंपड़ी और गन्दगी में नहीं रहना चाहता। लेकिन गरीबी और बुनियादी सुविधाएं न होने के कारण वह यहां भी नारकीय जीवन जी रहा है। झुग्गियों में रहने वाले गरीब लोग बिजली, पानी एवं शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित हैं। वे बहुत कम पैसे में अमीरों के यहां काम करते हैं। वैसे तो ये लोग जाहिल व गंवार हैं। इन्हें शहर में रहने की तमीज नहीं है। इन्होंने शहरों में भीड़ को बढ़ा दिया है लेकिन अमीरों को इनकी जरूरत भी है क्योंकि इनके बिना उनका गुजारा नहीं। यहीं हमारे शहरी विकास का रूप देखने को मिलता है। एक अनुमान के अनुसार आज लगभग दो-तिहाई आबादी शहरों में अविकसित कॉलोनियों व झोपड़पट्टियों में रहती है।

गांव-जंगल उजाड़कर कारखाने लगाने या खनन करने और बड़े बांधों सरीखी परियोजनाओं के कारण देश में हर साल लगभग 5 लाख लोग शहर आते हैं। गांव उजड़ने का एक बड़ा कारण जमीन पर बढ़ता दबाव भी है। खेती के तौर-तरीके बदल रहे हैं और हाथ का काम छिन रहा है। लोग तेजी से भूमिहीन हो रहे हैं। अभिजात्य वर्ग के लोग इंकम टैक्स से बचने के लिए कृषि से आय दर्शाना चाहता है। इसलिए उसकी नजर खेतों की जमीन पर है। गांव छोड़कर शहर आने वालों से बातचीत करने पर पता चलता है कि मूलभूत सुविधाओं की कमी, आर्थिक एवं धार्मिक कारणों के साथ-साथ आपसी लड़ाई-झगड़ों के कारण वे शहरों की तरफ भाग रहे हैं। यही नहीं, संपन्न परिवार भी बच्चों की बेहतर पढ़ाई के लिए शहरों की तरफ भाग रहे हैं।

उधर नए पंचायती राज कानून बने और इसके तहत ग्राम पंचायतों को ज्यादा अधिकार दिए गए जिनमें ग्राम विकास कार्यों में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना भी एक था। इससे लगने लगा कि शहर की तरफ होने वाले पलायन पर कुछ अंकुश लगेगा। लेकिन यह उसी गति से जारी है। पंचायतें आज गुटबाजी का अखाड़ा बन गई हैं। जो पंचायतें कुछ काम करना चाहती हैं उन्हें अधिकारी काम करने नहीं देते। गांवों के लिए आवंटित धनराशि सरकारी बाबुओं की जेब में चली जाती है। गांव तक आते-आते यह कई विभागों के अधिकारियों को संपन्न बना चुकी होती है। सवाल उठता है कि बापू का यह सपना कि असली भारत गांवों में है, कहां गया? गांवों में बने स्वास्थ्य केंद्रों पर कोई कर्मचारी जाना नहीं चाहता। इसलिए बीमारी होने पर ग्रामीणों को शहर आना पड़ता है। वे सोचते हैं कि जब हर काम के लिए शहर ही जाना पड़ता है तो क्यों न शहर में ही बस जाएं। वहां कोई न कोई रोजगार तो मिल ही जाएगा।

अब सवाल उठता है कि गांवों से होने वाले पलायन को रोका कैसे जाए? इसके लिए ग्राम पंचायतों को जागरूक करना होगा। उन्हें और अधिकार देने होंगे। इस पलायन से जहां शहरों में रोजगार मुश्किल हुआ है वहीं आवास की समस्या भी विकराल रूप धारण कर रही है। आज जरूरत इस बात की है कि गांव के समग्र विकास के लिए अधिकाधिक धनराशि प्रदान कर वहां के लघु एवं कुटीर उद्योगों को पुनर्जीवित किया जाए। वहां जिस वस्तु का कच्चा उत्पादन अधिक मात्रा में होता हो वहां वैसे ही उद्योग छोटी मिलों व फैक्ट्रियों के रूप में विकसित किए जाएं। गांव के दर्जी, सुनार, जुलाहे, मोची, बढ़ई, लुहार, तेली, कुम्हार एवं खाती को उनके पुश्तैनी धंधों को पुनर्जीवित करने के लिए आधुनिकतम प्रशिक्षण के साथ-साथ आर्थिक मदद के साथ सरकार जब तक उनका माल बेचने के लिए बाजार सुनिश्चित नहीं करेगी तब तक स्थिति ऐसी ही रहेगी। ऐसा हुआ तो उनके बच्चे भी अपने पुश्तैनी धंधों से जुड़े रह सकेंगे। इससे रोजगार की तलाश में शहर की तरफ शुरू हुई दौड़ पर काफी हद तक अंकुश लगाया जा सकेगा। इस कार्य में स्वयंसेवी संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

साथ ही ग्रामीण विकास योजनाओं पर खर्च किया जाने वाला धन सीधे स्थानीय पंचायतों को मिलना चाहिए। इस पैसे को वे अपनी जरूरतों व परिस्थितियों के अनुसार खर्च कर हर व्यक्ति को काम उपलब्ध कराने के लिए भी जिम्मेवार बनें। युवा वर्ग को परंपरागत उद्यमों के साथ-साथ कृषि आधारित उद्योगों के लिए प्रोत्साहित करना भी जरूरी है। इससे गांवों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। गांव में परंपरागत उद्योगों की तरफ ध्यान देना भी बहुत आवश्यक है क्योंकि आधुनिकीकरण के कारण ये उद्योग खत्म हो रहे हैं। आज इन उद्योगों को फिर से जीवित करने की जरूरत है। ग्रामीण कारीगरों की कुशलता का आज कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है। वहां ऐसे अनेक उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं जिनमें पूंजी कम लगती है और श्रम ज्यादा। लेकिन इन पारंपरिक उद्योगों के लिए बाजार सरकार को सुनिश्चित करना होगा अन्यथा आर्थिक उदारीकरण के वर्तमान दौर में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सामने इनके माल का कोई खरीदार नहीं होगा।

दूसरी ओर शहरों के साथ गांवों का समुचित विकास भी होना चाहिए। अगर शहरों को बचाना है तो गांवों का विकास करना होगा। अन्यथा आने वाले समय में शहरों की क्या स्थिति होगी, इसका अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार पलायन की यही गति रही तो आने वाले कुछ ही वर्षों में गांव खाली हो जाएंगे तथा शहरों की स्थिति भयानक होगी। ❑

(लेखक एक स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

गांधी ग्राम योजना : ग्रामीण विकास का अभिनव प्रयोग

○ पी.आर. त्रिवेदी

'गांधी ग्राम योजना' गावों को स्वावलंबी बनाने तथा ग्राम-स्वराज्य की स्थापना की भावना से संबद्ध एक ऐसी विकासोन्मुखी योजना है जिसके उद्देश्य के प्रति यदि ग्रामीण संकल्पित हो जाए तो देश-प्रदेश का स्वरूप ही कुछ और हो सकता है। राजस्थान में हाल ही में प्रारंभ इस अनूठी योजना का क्रियान्वयन पूर्णरूपेण ग्राम समुदाय की पहल पर ग्रामीण जनसामान्य की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए किया जाना है। इस क्रम में राज्य सरकार एवं प्रशासन की भूमिका प्रशासनिक परंपरा से हटकर एक अभिनव प्रयोग के तहत उत्प्रेरक एवं सहायक मात्र की रखी गई है ताकि महात्मा गांधी के सपनों के गांवों का न केवल सर्वांगीण विकास किया जा सके बल्कि उन्हें स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर भी बनाया जा सके।

'गांधी ग्राम योजना' गावों को स्वावलंबी बनाने तथा ग्राम-स्वराज्य की स्थापना की भावना से संबद्ध एक ऐसी विकासोन्मुखी योजना है जिसके उद्देश्य के प्रति यदि ग्रामीण संकल्पित हो जाए तो देश-प्रदेश का स्वरूप ही कुछ और हो सकता है। राजस्थान में हाल ही में प्रारंभ इस अनूठी योजना द्वारा ग्रामों में स्वशासन का अनूठा लक्ष्य प्राप्त किया जाना है।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान की प्रत्येक पंचायत समिति से एक ग्राम का चयन कर संपूर्ण जन सहभागिता के आधार पर जलग्रहण विकास तथा अन्य सामाजिक/आर्थिक विकास कार्यक्रमों के समन्वित क्रियान्वयन के माध्यम से उक्त ग्राम को आदर्श रूप में विकसित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 'गांधी ग्राम योजना' प्रारंभ करने का निर्णय लिया। इस योजना के प्रदेश भर में प्रभावी एवं एकरूप संचालन के लिए श्रमदान; परिवार कल्याण; बालिका शिक्षा; चराई-बंदी, कुल्हाड़ी-बंदी, वृक्षारोपण एवं चरागाह विकास तथा उन्नत पशुपालन जैसे विकासोन्मुखी पंच सूत्रों से संबद्ध किया गया है। ये पंचसूत्र ही गांधी ग्राम के चयन एवं विकास की आधारशिला हैं तथा इन गांवों में आगामी चार वर्षों की अवधि में आवश्यकता एवं ग्राम सभा के प्रस्तावों के अनुसार ही सभी आधारभूत सुविधाओं की स्थापना किए जाने की योजना है। साथ ही यह भी प्रयास है कि राज्यभर में जितनी भी राज्य एवं केन्द्र प्रवर्तित-विकास योजनाएं संचालित है उन सभी का लाभ इन चयनित ग्रामों को प्राथमिकता के आधार पर मिलता रहे।

चयनित गांधी ग्रामों की ग्राम सभाओं को पंचसूत्रों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करना है तथा उसके लिए एकता, सहयोग, समर्पण, प्रगतिशील सामाजिक मूल्य तथा जनकल्याणकारी नेतृत्व के आधार पर ग्रामों के पुनर्निर्माण के लिए जनसमुदाय को तैयार भी करना है। साथ ही संपूर्ण ग्राम समुदाय को उपभोक्ता समूह और स्वसहायता समूह के रूप में संगठित करने का प्रयास भी करना है। गांव की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं तथा अल्पसंख्यकों को सम्यक प्रतिनिधित्व देते हुए 'जल ग्रहण विकास समिति' का गठन भी किया जा रहा है तथा ग्राम सभा द्वारा ग्राम का व्यापक सामाजिक, आर्थिक एवं भू-सर्वेक्षण भी कराया जाना है। इस सर्वेक्षण के आधार पर ही ग्राम में जलग्रहण विकास योजना एवं सामाजिक-आर्थिक विकास योजना पृथक-पृथक तैयार होनी है। जलग्रहण विकास योजना का अनुमोदन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा तथा सामाजिक, आर्थिक विकास योजना का अनुमोदन कार्यकारिणी समिति द्वारा किया जाना है।

राजस्थान में 'गांधी ग्राम योजना' के क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री एवं जिला स्तर पर जिला प्रमुख की अध्यक्षता में 'शासकीय परिषद' तथा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय एवं जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय

'गांधी ग्राम योजना' के शुभारम्भ समारोह में गुन्दोज (पाली) में उमड़ी कृषक पुरुष एवं महिलाओं की भीड़

कार्यकारिणी समितियों के नियमानुसार गठन की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। राज्य एवं जिलाशासकीय परिषदें इस योजना की वार्षिक समीक्षा के लिए जवाबदेह होगी। साथ ही नीतिगत दिशानिर्देश भी प्रदान करेगीं। जबकि राज्य एवं जिला कार्यकारिणी समितियां इस योजना के संगठन, संचालन एवं समन्वयन का कार्य करेगीं। राज्य एवं जिला शासकीय परिषदों की बैठक वर्ष में एक बार तथा राज्य एवं जिला कार्यकारिणी समितियों की बैठक प्रति त्रैमास आयोजित की जानी है। इसके अलावा आवश्यकतानुसार विशेष बैठकों के आयोजन का भी प्रावधान है। परिषदों एवं समितियों का प्रशासनिक विभाग कृषि (ग्रुप-2) माना गया है। वहीं जलग्रहण एवं भू-संरक्षण विभाग योजना का 'नोडल विभाग' है। जिला कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रत्येक पंचायत समिति में एक 'गांधी ग्राम' का चयन किया जा चुका है तथा चयन का आधार पांच सूत्रों के पालन के लिए ग्राम समुदाय की प्रतिबद्धता को रखा गया है। इसके लिए सर्वप्रथम राज्य में ऐसी ग्राम पंचायतों को चुना गया है जहां सरपंच निर्विरोध चुने गए हों। गांधी ग्रामों का चयन भी उस गांव की ग्राम सभा के प्रस्ताव के पश्चात ही किया गया है। जबकि अन्य स्थितियों में जिला कार्यकारिणी समिति द्वारा ग्राम पंचायतों से आवेदन आमंत्रित किए गए जिन्हें पंचसूत्र प्रतिबद्धता के साथ गांवों के प्रत्येक वयस्क नागरिक द्वारा माह में दो दिन स्वैच्छिक श्रमदान की शर्त के साथ प्रस्ताव देना जरूरी है। इसके अलावा पंचायत द्वारा माह में दो बार 'सार्वजनिक स्वच्छता अभियान' संचालित करना भी अनिवार्य रखा गया है।

चयनित गांवों में मरू विकास कार्यक्रम अथवा सूखा संभाव्य क्षेत्र योजना के तहत जलग्रहण परियोजनाएं इसी वित्तीय वर्ष में स्वीकृत की जानी है। इस प्रकार गांधी ग्राम में आगामी चार वर्षों की अवधि में आवश्यकता एवं ग्राम सभा के प्रस्ताव के अनुसार विद्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप-स्वास्थ्य केन्द्र, पेयजल योजना, पशु अस्पताल, सहकारी समिति, राष्ट्रीयकृत बैंक शाखा, डाकघर, सामुदायिक केन्द्र, स्टेडियम या खेल मैदान की सुविधाएं प्रदान की जानी है। गांधीग्राम के प्रगतिशील सरपंचों, जलग्रहण क्षेत्र विकास समितियों के अध्यक्षों, सचिवों, सदस्यों एवं कार्यकर्त्ताओं को देश के रालेगण सिद्धि, झाबुआ, कुरनूल आदि आदर्श गांवों का भ्रमण कराने की योजना भी है ताकि वे वहां के विकास से अभिभूत हो अपने-अपने क्षेत्रों में भी ऐसा कार्य कर सकें। इस परियोजना की समाप्ति के पश्चात श्रेष्ठतम गांधी ग्राम अध्यक्षों, सचिवों, सदस्यों का चयन कर उनके सार्वजनिक सम्मान का भी प्रावधान रखा गया है।

सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए जनजागरण में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की महत्ता के मद्देनजर गांधी ग्राम जलग्रहण समितियां स्थानीय विद्यालयों एवं लोक-कलाकारों का

प्रभावी सहयोग भी प्राप्त कर सकती है। रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय पर्व एवं समस्या समाधान शिविर आयोजित किए जाने का प्रावधान भी है। स्कूलों में समितियों के निर्णयानुसार 5-5 रुपये की आर्थिक सहायता के साथ गांधी ग्राम विद्यार्थी मंडलों का गठन कर पंच सूत्रों के प्रचार में उनकी सेवाएं ली जानी है तथा उत्साही शिक्षकों को मंडल प्रभारी बनाया जाना है। गांधी ग्राम में सामान्य रूप से स्वसहायता समूह के गठन तथा विशिष्ट रूप से महिला स्वसहायता समूह के गठन को उच्च प्राथमिकता प्रदान की जा रही है ताकि इसमें युवक एवं महिला मंडलों का सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जा सके। स्वसहायता समूहों के लिए कार्यों एवं व्यवसायों का चयन स्थान एवं परिस्थिति के मुताबिक समिति द्वारा किया जाता है और इसके लिए समूह को परियोजना से कार्यशील पूंजी भी उपलब्ध हो रही है। इसके गठन एवं परिचालन के पीछे मुख्य उद्देश्य ग्राम समुदाय को संपूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनाना है और इसमें जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जिला महिला विकास अभिकरण तथा महिला एवं बाल विकास विभाग संयुक्त रूप से अपनी भूमिकाएं अदा कर रहे हैं। संपूर्ण साक्षरता अथवा उत्तर साक्षरता कार्यक्रम से जुड़े गांधी ग्रामों को साक्षरता समिति एवं जलग्रहण समिति के पारस्परिक सहयोग एवं समन्वयन के आधार पर कार्य के लिए इस अभियान से अत्यंत प्रभावी ढंग से जोड़ा जा रहा है।

गांधी ग्राम में जलग्रहण समिति का गठन विधिवत स्वसहायता समूहों एवं उपभोक्ता समूहों के गठन के उपरांत उनके तथा पंचायत के प्रतिनिधियों को लेकर किया जाना है। साथ ही जलग्रहण विकास योजना एवं सामाजिक-आर्थिक विकास योजना के निर्माण में ग्राम समुदाय की संपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित की जानी है जिसके लिए जिलों में जिला कलेक्टर तथा उप निदेशक (जलग्रहण विकास) को जवाबदेह बनाया गया है। सामाजिक-आर्थिक विकास योजना के निर्माण के दौरान इस बात पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि विकास का तात्पर्य केवल अधिसंरचनात्मक विकास अर्थात विद्यालय, अस्पताल, सड़क आदि का निर्माण ही न हो अपितु प्रगतिशील जीवन मूल्यों के आधार पर ग्रामवासियों का सामाजिक-सांस्कृतिक एवं बौद्धिक विकास भी हो। जहां तक अधिसंरचनात्मक विकास का संबंध है उसके लिए भी ग्रामीणों की आशाओं, जनाकांक्षाओं एवं अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए प्रशासन द्वारा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध निधि के अंतर्गत आवश्यक विकास एवं निर्माण कार्य स्वीकृत किए जाने का प्रावधान है। बस इस बात का जरूर ख्याल रखा जाना है कि उस क्षेत्र के ग्रामीणों में पंचसूत्रों के पालन के प्रति रुचि हो।

अंत में कहा जा सकता है कि सरकारी क्षेत्र में नियंत्रण के तहत अब तक होने वाले ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों में वांछित उपलब्धियां अर्जित न हो पाने के कारण परंपरा से हटकर किए गए इस नए अनुप्रयोग के प्रति राज्य सरकार एवं जनता दोनों ही पूर्ण आशान्वित हैं। हालांकि पूर्व अनुभवों के अनुसार प्रत्येक जिले में एक-एक आदर्श गांव विकसित करने की राज्य सरकार की योजना बुरी तरह से विफल रही है। लेकिन वर्तमान योजना में सरकारी नुमाइंदों की जगह स्वयं ग्रामीणों के हाथों में ही कार्य एवं धन सौंपा जाना जिससे सफलता की अधिक उम्मीद है। कारण की महाराष्ट्र के कुछेक गांवों ने विकास मॉडलों के रूप में कीर्तिमान स्थापित किए हैं जो शायद राजस्थान में भी प्रेरक बन सकें। महात्मा गांधी के सपनों के अनुरूप हर गांव में स्वशासन हो और प्रत्येक गांववासी एवं गांव स्वावलंबी हो इसी उद्देश्य से प्रदेश में 'गांधी ग्राम योजना' का श्रीगणेश किया गया है। ❑

(लेखक एक स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

(पृष्ठ 25 का शेष)

संकट : ये पूर्वानुमान किस प्रकार काम करेंगे, यह लाखों का प्रश्न है जिसका उत्तर उचित परिप्रेक्ष्य में देना होगा। पूरा यूरोप इस समय मंदी के संकट से गुजर रहा है। यूरोपीय संघ का महत्वपूर्ण सदस्य जर्मनी, आजकल आर्थिक तौर से बुरे हालात में है। वृद्धि दर में कमी आई है, श्रम-बाजार में लचीलापन न होने के कारण इसके उद्योग प्रभावित हो रहे हैं। अब जरूरत इस बात की है कि निर्गम उद्यमों का आपसी विलय एवं पुनर्गठन किया जाए। विभिन्न उत्पादों की मांग निरंतर कम हो रही है और फैक्ट्रियों को नौकरियां कम करनी पड़ रही हैं। अमेरिकी और जापानी बाजारों में मंदी का असर भी यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की अनेक इकाईयों पर पड़ रहा है। अमेरिकी और एशियाई स्टॉक बाजारों में भारी गिरावट ने यूरो क्षेत्र के निवेशकों को भारी झटका दिया है। इन सब बातों के बावजूद हमें यूरो के भविष्य के बारे में निराश नहीं होना चाहिए। प्रो. डोर्नबुश, पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार, ने ठीक ही कहा है "यूरो के दामों में भारी गिरावट हुई है; यूरो के बारे में बड़े-बड़े दावों का खुलासा हो गया है। फिर भी यूरो की परिकल्पना ठीक है और एक दिन इसके आर्थिक लाभ हासिल होंगे। मगर किसी मुद्रा के सही मूल्यांकन के लिए उन नीतियों पर पैनी नजर की जरूरत है जो मुद्रा को समर्थन देती हैं। यहां पर यूरोप में बहुत कुछ किए जाने की गुंजाइश है।" इस डगमगाती शुरुआत के कारण यूरो की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की दावेदारी से बिल्कुल इंकार नहीं किया जा सकता। इकलौती मुद्रा के रूप में यूरो की शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि इसके सदस्य देशों का शेष विश्व के साथ कितना व्यापार होता है। इस लक्ष्य को पाने के लिए सदस्य देशों को अपनी कुछ आर्थिक तथा राजनैतिक प्रभुसत्ता खोनी पड़ेगी। ❑

(लेखक इ ए एफ एम विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, रायपुर में एसोसिएट प्रोफेसर हैं।)

भारत की जनांकिकीय प्रवृत्तियां विश्लेषणात्मक अध्ययन

○ शरदचन्द्र भारद्वाज
○ जयश्री भारद्वाज

'जनांकिकी' के अंतर्गत जनसंख्या की अवधारणा, सिद्धांत और पद्धति को समझने के साथ-साथ जनसंख्या की सही वस्तुस्थिति का भी अध्ययन किया जाता है। यह जनसंख्या वृद्धि के कारणों एवं परिणामों के प्रति भी एक तर्कपूर्ण वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। नई शताब्दी की पहली जनगणना के प्रारंभिक आंकड़ों के कुछ संकेत बहुत उत्साहवर्धक हैं। पहली बार जनसंख्या वृद्धि दर में 2.52 प्रतिशत की गिरावट दिखाई दी है।

जीव विज्ञान के आधार पर एक या आपस में संबंधित अनेक जाति के जीवों के एक विशेष क्षेत्र में उपस्थित समूह को जनसंख्या कहते हैं। यह एक स्व-नियंत्रित तंत्र है। मानव हर प्रकार की जलवायु एवं भौगोलिक क्षेत्रों में मिलता है तथा इसमें पूरे वर्ष प्रजनन क्षमता होती है। पृथ्वी के विभिन्न भागों में भिन्न प्रकार की सामाजिक व सांस्कृतिक गतिविधियां होने पर भी समस्त मानव जाति में कुछ मूल लक्षण समान होते हैं।

प्रारंभ में जनसंख्या संबंधी अध्ययन केवल जनगणना तक सीमित थे किंतु आधुनिक समय में जनसंख्या का गणितीय विश्लेषण किया जाने लगा है जिसे एक विषय का रूप दे दिया गया है और 'जनांकिकी' की संज्ञा दी गई है। यह शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों 'डेमो' तथा 'ग्राफी' (डेमो = जनता; ग्राफी = लिखना) से मिलकर बना है जिसका अर्थ है जनता के विषय में लिखना। इसके अंतर्गत जनसंख्या की अवधारणा, सिद्धांत और पद्धति को समझने के साथ-साथ जनसंख्या की सही वस्तुस्थिति का भी अध्ययन किया जाता है। यह जनसंख्या वृद्धि के कारणों एवं परिणामों तथा जनसंख्या से जुड़े अन्य पहलुओं यथा— स्वास्थ्य एवं बीमारियां, यौन शिक्षा, पर्यावरण, सामाजिक-आर्थिक विकास, स्त्रियों की स्थिति, गरीबी और जीवन की गुणवत्ता, आदि के प्रति भी एक तर्कपूर्ण वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है।

माल्थस का सिद्धांत—प्रो. टी.आर. माल्थस ने जनसंख्या के विषय में अपने निबंध में कहा है कि जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है जबकि खाद्यान्न मात्रा गणितीय अनुपात में बढ़ती है। जनसंख्या वृद्धि का अनिवार्य रूप से विकास पर प्रभाव माल्थस के बाद ही पड़ना शुरू हुआ। अंततः जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रादुर्भाव हुआ जिसका आर्थिक विकास से एकदम निकट का संबंध सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक दोनों ही धरातलों पर सिद्ध हो गया।

संक्रमण सिद्धांत—इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक अर्थव्यवस्था को जनसंख्या वृद्धि की चार अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। प्रथम अवस्था स्थिरता की अवस्था है जिसमें जन्म और मृत्यु दोनों की दरें अधिक होती हैं। अतः जनसंख्या वृद्धि में संतुलन बना रहता है। सामान्यतया जनसंख्या वृद्धि दर एक प्रतिशत प्रतिवर्ष से कम रहती है। इस अवस्था में ऊंची स्थिर जनसंख्या होती है। इस प्रकार की स्थिति अफ्रीकी एवं एशियाई महाद्वीपों के पिछड़े राष्ट्रों में देखने को मिलती है।

दूसरी अवस्था तीव्र वृद्धि की अवस्था है जिसमें मृत्यु दर तो घटती है पर जन्मदर बहुत कम घटती है। ज्यों-ज्यों पिछड़े देश आर्थिक विकास की ओर बढ़ने लगते हैं वैसे-वैसे वहां लोगों को अधिक सुख-सुविधाएं जैसे— अच्छा भोजन, चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त होने लगती हैं। इन सब कारणों से मृत्युदर कम हो जाती है जबकि जन्मदर में उतनी कमी नहीं आती है। परिणामतः जनसंख्या वृद्धि की दर बढ़ जाती है। अतः दूसरी अवस्था में यदि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण न हो तो 'जनसंख्या विस्फोट' की स्थिति जन्म लेती है।

तीसरी अवस्था में मृत्युदर और भी कम हो जाती है, किंतु साथ ही जन्मदर भी कम होने लगती है। इस अवस्था में संयम तथा कृत्रिम उपायों द्वारा जनसंख्या को नियंत्रित करने का अधिक प्रयत्न किया जाता है। जन्मदर और मृत्युदर में अंतर कम हो जाता है जिससे जनसंख्या विकास धीमा हो जाता है। कुल

मिलाकर दूसरी और तीसरी अवस्था में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति देखने को मिलती है।

चौथी अवस्था उस समय देखने में आती है जबकि देश का आर्थिक विकास बहुत अधिक हो जाता है और जीवन स्तर काफी ऊंचा हो जाता है। इस अवस्था में जन्म-दर की अपेक्षा मृत्यु-दर ऊंची होती है। आज यूरोप के विकसित राष्ट्रों में यह स्थिति देखने को मिलती है।

जनसंख्या विस्फोट—आजकल 'जनसंख्या विस्फोट' शब्द का प्रयोग बहुत हो रहा है। जनसंख्या की अत्यंत तीव्र गति से एकाएक वृद्धि के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हर देश में जब विकास होगा तो जन्मदर की तुलना में मृत्युदर अधिक तीव्र गति से घटेगी और उसका परिणाम यह होगा कि जनसंख्या में वृद्धि होगी। आज पैदा होने वाले बच्चे, जिन्हें अकाल शिशु मृत्यु से बचा लिया जाएगा, 20-22 वर्ष बाद स्वयं बच्चे पैदा करेंगे। यहीं से 'जनसंख्या विस्फोट' की स्थिति निर्मित होगी।

प्रारंभ से सन 1830 तक विश्व की कुल जनसंख्या केवल एक अरब थी, किंतु अगले 100 वर्षों में ही अर्थात् सन 1930 तक जनसंख्या दोगुनी हो गई। जनसंख्या वृद्धि की यह गति और तीव्र हुई और अगली एक अरब की वृद्धि केवल 30 वर्षों में ही हो गई। 1930-70 का संपूर्ण काल हम 'जनसंख्या विस्फोट' की प्रथम अवस्था का काल मानते हैं। इन चार दशकों में विश्व की जनसंख्या 375 करोड़ की सीमा पार कर गई। 1975 तक जनसंख्या बढ़कर चार अरब हो गई। विश्व की जनसंख्या में पुन: एक अरब की वृद्धि होने में केवल 12 वर्ष लगे। 11 जुलाई, 1987 को विश्व के 5 अरबवें शिशु का जन्म यूगोस्लाविया में हुआ। इस प्रकार 11 जुलाई, 1987 को विश्व की जनसंख्या 5 अरब के बिन्दु को पार कर गई। तब से ही 11 जुलाई को प्रतिवर्ष 'विश्व जनसंख्या दिवस' के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार नई सहस्त्राब्दि में प्रवेश के साथ ही पूरे विश्व की जनसंख्या 6.5 अरब पहुंच गई है। इस समय विश्व में प्रति मिनट लगभग 150 बच्चे जन्म ले रहे हैं। विश्व जनसंख्या प्रतिवर्ष 7 करोड़ 80 लाख की दर से बढ़ रही है। इस वृद्धि का 95 प्रतिशत अंश विकासशील देशों के हिस्से में है। सांख्यिकीय दृष्टि से अनुमान लगाने पर पता चला है कि सन 2015 तक यह 7.29 अरब एवं 2050 तक 9.37 अरब हो जाएगी। इस प्रकार विश्व जनसंख्या निरंतर गुणात्मक रूप से बढ़ रही है।

भारतीय संदर्भ—भारत की जनसंख्या विगत दशकों में तीव्र गति से बढ़ी है। वर्ष 1901 में जनसंख्या 23.84 करोड़ थी जो बढ़कर 1951 से 36.10 करोड़ तथा वर्तमान में (जनगणना 2001 के अनुसार) एक अरब, दो करोड़, सत्तर लाख से ऊपर पहुंच गई है। 1951 से 2001 के मध्य के पांच दशकों में जनसंख्या में भयावह बढ़ोत्तरी हुई। आज विश्व की 16.7 प्रतिशत जनसंख्या भारत भूमि से जुड़ी है, जबकि विश्व की भूमि का मात्र 2.4 प्रतिशत ही भारत के हिस्से में है। 1991-2001 के दशक में भारत की जनसंख्या में वृद्धि 21.34 प्रतिशत की हुई। इस दशक में जनसंख्या वृद्धि का आंकड़ा ब्राजील की कुल जनसंख्या के बराबर आंका गया है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश ने पाकिस्तान की जनसंख्या के आंकड़ों को भी पीछे छोड़ दिया है। भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 1.93 है, जबकि चीन में वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 0.95 रह गई है। भारत की वर्तमान जनसंख्या चीन की जनसंख्या से अब लगभग 24 करोड़ ही कम है। 1991-2001 के दशक में भारत की जनसंख्या में निरपेक्ष वृद्धि जहां 18.10 करोड़ की हुई है वहीं विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश चीन में 1999-2000 के दशक में 13.22 करोड़ की वृद्धि हुई है। दोनों राष्ट्रों में जनसंख्या वृद्धि की वर्तमान स्थिति को देखते हुए 2025-50 के मध्य कभी भी भारत की जनसंख्या चीन की जनसंख्या से अधिक हो सकती है। एक सांख्यिकीय अनुमान के अनुमान पूरे भारतवर्ष की जनसंख्या 2021 में 134.5 करोड़ एवं 2051 में 164.6 करोड़ हो जाएगी।

आज प्रतिदिन देश में 48 हजार बच्चे जन्म ले रहे हैं जिनमें से एक-तिहाई का वजन उस वजन का आधा है जो स्वस्थ बच्चे का जन्म के समय होना चाहिए। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से देखें तो आज देश में 8.17 लाख प्राइमरी स्कूल हैं, परंतु प्रति मिनट भारत में जो 33 बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके हिसाब से देखें तो हमें हर वर्ष 90 हजार प्राइमरी स्कूल चाहिए। इसी प्रकार विश्व के कुछ राष्ट्रों में जहां 50 व्यक्तियों पर एक डाक्टर है वहीं भारत में प्रति दो हजार व्यक्तियों पर एक डाक्टर है।

कुछ तथ्य

भारतीय जनसंख्या के संबंध में निम्न तथ्य उल्लेखनीय हैं—

(1) **विश्व में स्थान**—जनसंख्या दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां स्थान है। भारत के पास विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र 2.4 प्रतिशत है, परंतु विश्व जनसंख्या का छठवां हिस्सा (लगभग 16 प्रतिशत) भारत के पास है अर्थात् विश्व का प्रत्येक छठा व्यक्ति भारतीय नागरिक है। भारत की जनसंख्या संयुक्त राज्य अमेरिका एवं रूसी संघ की जनसंख्या से दो गुनी अधिक है जबकि विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 21.3 प्रतिशत भाग एवं 40 प्रतिशत आय इन राष्ट्रों के पास है। इसी प्रकार भारत की जनसंख्या लैटिन अमेरिका एवं कैरीबियन तथा मध्यपूर्व एवं उत्तर अफ्रीका की सम्मिलित जनसंख्या से भी अधिक है। वर्ष 1999 में ही इन राष्ट्रों की सम्मिलित जनसंख्या 80 करोड़ (50.9+29.1) थी। भारत की जनसंख्या जापान की 8 गुना, जर्मनी की 12 गुना तथा

आस्ट्रेलिया की 53 गुना है जबकि आस्ट्रेलिया का भू-भाग भारत से दोगुना बड़ा है। इससे सिद्ध होता है कि भारत की भूमि पर जनसंख्या दबाव अत्यधिक है।

(2) **वृद्धि दर**—वर्ष 2001 की जनगणना के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार 1991-2000 के दौरान देश की कुल जनसंख्या में 21.34 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पुरुषों में यह वृद्धि जहां 20.93 प्रतिशत रही, वहीं महिला जनसंख्या में इस दशक के दौरान 21.79 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। पिछली जनगणना (1991) में वृद्धि दर 23.86 प्रतिशत थी। इस प्रकार 1991 की जनगणना की तुलना में वृद्धि दर में 2.52 प्रतिशत की मामूली कमी आई है। 1981 में यह 24.8 प्रतिशत थी। 1981-2001 के बीच देश की जनसंख्या में वृद्धि दर में गिरावट का रुख जारी रहा। इसका कारण लोगों में छोटे परिवार की धारणा के बलवती होने से जन्मदर में आई मामूली गिरावट कहा जा सकता है। आजादी के बाद से चलाए जा रहे परिवार नियोजन और परिवार कल्याण कार्यक्रमों का प्रभाव भी अब झलकने लगा है।

(3) **जन्म दर एवं मृत्यु दर**—जनसंख्या के संबंध में जन्मदर एवं मृत्युदर के अध्ययन का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि इन दोनों के अंतर के आधार पर ही जनसंख्या की वृद्धि-दर निर्धारित होती है। ये दोनों प्रति हजार जनसंख्या पर निकाली जाती हैं। तालिका-1 में भारत की जन्म व मृत्युदर को स्पष्ट किया गया है।

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि नियोजन काल में जन्मदर वृद्धि नियंत्रित करने में कुछ सफलता अवश्य मिली है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि के कारण मृत्युदर में उल्लेखनीय कमी आई है। अत: जन्मदर में कमी लाने के प्रयासों को विशेष प्राथमिकता देनी होगी। वर्तमान में यह दर 26.1 है जो अन्य देशों की तुलना में काफी ऊंची है, जैसे—आस्ट्रेलिया में 15, जर्मनी में 10, ब्रिटेन में 13, और अमेरिका में यह 16 है।

तालिका-1

भारत में जन्मदर व मृत्युदर

(प्रति हजार)

वर्ष	जन्मदर	मृत्युदर
1950-51	39.9	27.4
1960-61	41.7	22.8
1970-71	36.9	14.9
1980-81	33.9	12.5
1990-91	29.5	9.8
1998-99	26.1	8.7

स्रोत: आर्थिक समीक्षा 2000-01

(4) **जनसंख्या घनत्व**—जनसंख्या घनत्व देश की कुल जनसंख्या में देश के कुल क्षेत्रफल का भाग देकर निकाला जाता है। जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ भारत में जनसंख्या घनत्व में भी निरंतर वृद्धि हुई है। यह तालिका-2 से स्पष्ट है:

तालिका-2

जनसंख्या घनत्व

वर्ष	जनसंख्या घनत्व (प्रतिवर्ग कि.मी.)
1951	117
1961	142
1971	177
1981	216
1991	267
2001	324

स्रोत: भारत की जनगणना 2001

तालिका से स्पष्ट है कि 1951-2001 की अवधि में प्रतिवर्ग किलोमीटर 207 लोग बढ़े, अर्थात् जनसंख्या घनत्व में 2.76 गुना वृद्धि हुई जबकि इसी अवधि में जनसंख्या में 2.84 गुना वृद्धि हुई। स्पष्ट है कि तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या के फलस्वरूप जन घनत्व लगभग उसी अनुपात से बढ़ रहा है। विश्व विकास रिपोर्ट (2000-01) के अनुसार विश्व में औसत जनघनत्व 45 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी. है। विश्व मानदंड के आधार पर भारत को विश्व के सबसे अधिक जन घनत्व वाले राष्ट्रों में रखा जा सकता है। यह बढ़ती जनसंख्या और सिकुड़ती भूमि की परिस्थिति है। उत्पादन के साधनों में भूमि का उल्लेख सबसे पहले होता है। इसलिए जनसंख्या स्थिरीकरण की नीति अपनाई जानी चाहिए ताकि बढ़ती जनसंख्या का प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक दबाव स्थापित न हो जाए।

(5) **स्त्री-पुरुष अनुपात**—इससे लिंग अनुपात भी कहा जाता है। स्त्री-पुरुष अनुपात की गणना 1000 के आधार पर की जाती है। भारत में स्त्री-पुरुष अनुपात स्त्रियों के प्रतिकूल है, अर्थात् प्रति एक हजार पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या सामान्यत: एक हजार से कम है जैसा कि संलग्न ग्राफ से स्पष्ट है।

1901 में लिंग अनुपात अनुकूल। तत्पश्चात इसमें निरंतर गिरावट आई और 1971 में यह 930 हो गया। पिछले तीन दशकों के दौरान यह 930 के इर्द-गिर्द घटता-बढ़ता रहा है। हालांकि स्त्री-पुरुष अनुपात 2001 की जनगणना में 1991 की जनगणना के 927 से बढ़कर 933 हो गया है, लेकिन पिछले दशकों में लैंगिक अनुपात में जारी गिरावट के मद्देनजर 6 अंकों की यह बढ़ोत्तरी कितनी टिकाऊ है, कहना मुश्किल है। शिशु लैंगिक अनुपात 1991 के 945 से गिरकर 2001 में 927 पर पहुंच गया। अनेक राज्यों में तो यह कमी और भयावह है। शिशु लैंगिक अनुपात में गिरावट इस बात का संकेत है कि कन्याओं के विरुद्ध भेद भाव करने वाली शक्तियों का शिकंजा समाज पर और कसता जा रहा है।

(6) **प्रत्याशित आयु**—प्रत्याशित आयु किसी देश के स्वास्थ्य स्तर पर महत्वपूर्ण सूचक है। भारत की स्थिति में निरंतर सुधार हो रहा है। लगभग 90 वर्ष पूर्व भारत की प्रत्याशित आयु 24 वर्ष थी, लेकिन इसमें धीरे-धीरे वृद्धि हो गई है और यह वर्तमान में 65 वर्ष हो गई है। इस प्रकार लगभग तीन गुनी हो गई है। इसके बढ़ने के कारण धीरे-धीरे स्वास्थ्य, जीवन स्तर, शिशु स्वास्थ्य

लिंग अनुपात की प्रवृत्तियां (स्त्रियां प्रति हजार पुरुष)

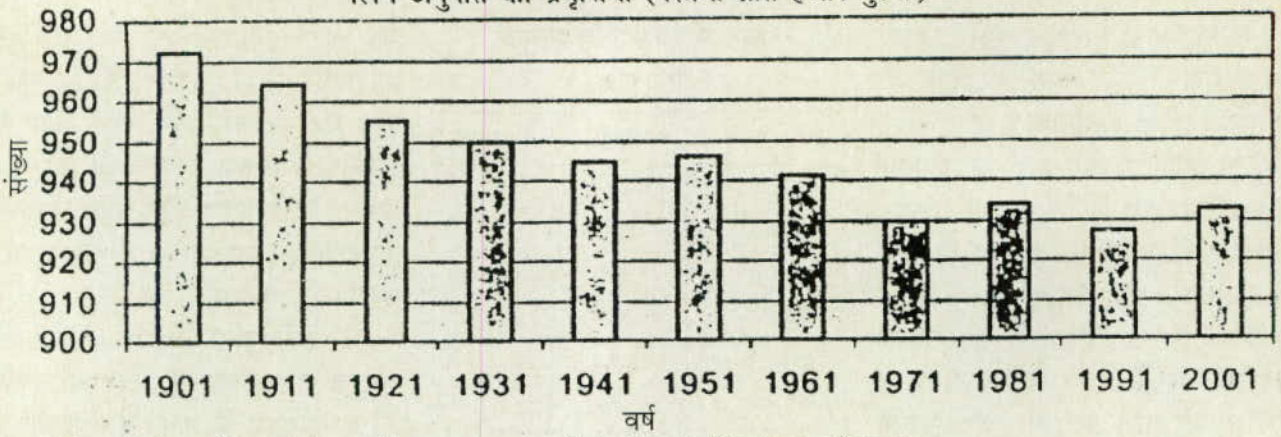

स्रोत : इंडिया मंथली इकनोमिक डाइजेस्ट, अप्रैल 2001, पृ. 9 ए.डी.बी. इंडिया रेजीडेंट मिशन, नई दिल्ली

एवं प्रसूति सेवाओं में विस्तार से बाल मृत्युदर में कमी आई है जिससे आयु प्रत्याशा में वृद्धि हो रही है। फिर भी भारत की प्रत्याशित आयु अन्य राष्ट्रों की अपेक्षा कम है, जैसे—प्रत्याशित आयु जापान में 80, स्विट्जरलैंड में 79, स्वीडन में 79, कनाडा में 79, यू.एस.ए. में 77, ब्रिटेन में 77 एवं चीन में 70 वर्ष है।

(7) **साक्षरता**—जनसंख्या के संबंध में जिन आधारों पर सूचना एकत्र की जाती है, उनमें साक्षरता काफी महत्वपूर्ण है। जनगणना की दृष्टि से एक व्यक्ति उस दशा में साक्षर माना जाता है जो किसी भाषा को समझकर उसे पढ़-लिख सकता है। भारत में साक्षरता अनुपात तालिका-3 में स्पष्ट किया गया है:

तालिका से स्पष्ट है कि 1951 में हुई जनगणनानुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत 18.33 प्रतिशत था जो 2001 में हुई जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बढ़कर 65.38 प्रतिशत हो गया है। इस प्रकार पिछले पांच दशकों में साक्षरता दर में चार गुनी वृद्धि हुई है। दूसरी ओर 1991 की तुलना में साक्षरता में 13.17 प्रतिशत की वृद्धि हुई। दूसरी गौरतलब बात यह है कि महिला साक्षरता दर 14.87 प्रतिशत बढ़ी है जो इसी अवधि में पुरुष साक्षरता दर में 11.77 प्रतिशत वृद्धि से अधिक है। इस प्रकार महिलाओं की साक्षरता में वृद्धि दर की गति पुरुषों की तुलना में 3.15 प्रतिशत अधिक है। यदि साक्षरता वृद्धि की यह गति निरंतर बनी रही तो आशा है कि भारत शीघ्र पूर्ण साक्षर राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल हो सकेगा। राज्यवार देखें तो केरल अपनी 90.92 प्रतिशत साक्षरता दर के साथ शीर्ष पर बना हुआ है, जहां महिला और पुरुष साक्षरता दर में फर्क राष्ट्रीय औसत (21.70) की तुलना में मात्र 6.34 प्रतिशत है। दूसरी ओर बिहार 47.53 प्रतिशत के साथ सबसे कम साक्षर राज्य है। यह बात उत्साहवर्धक है कि मिजोरम जैसे जनजाति राज्य में 90.7 प्रतिशत पुरुष साक्षरता और 86.1 प्रतिशत स्त्री साक्षरता रिकार्ड की गई। इस विषय में अमर्त्य सेन के विचार विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, "स्त्री शिक्षा एवं जन्मदर के बीच संबंध बिल्कुल स्पष्ट है। यह संबंध दूसरे राष्ट्रों में व्यापक स्तर पर झलकता है और कोई आश्चर्य नहीं कि भारत में भी वैसा ही दिखाई पड़े। शिक्षित स्त्रियों की बार-बार बच्चों के लालन-पालन में फंसने की अनिच्छा से जन्मदर पर प्रभाव पड़ता है। शिक्षा से सोचने-समझने की शक्ति का भी विस्तार होता है और परिवार नियोजन की जानकारी के प्रचार-प्रसार में भी सहायता मिलती है।"

तालिका-3

साक्षरता दर

वर्ष	पुरुष	महिलाएं	कुल साक्षरता
1951	27.16	8.86	18.33
1961	40.40	15.34	28.31
1971	45.55	21.79	34.45
1981	56.37	29.75	43.56
1991	64.13	39.29	52.21
2001	75.85	54.16	65.38

उपर्युक्त विवेचन के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि नई शताब्दी की पहली जनगणना के प्रारंभिक आंकड़ों के कुछ संकेत बहुत उत्साहवर्धक हैं। भारत जैसे विकासशील देश की अब तक की सबसे बड़ी समस्या संभवत: तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या रही है जिसके कारण हम हर क्षेत्र में अच्छी खासी प्रगति के बावजूद आत्मनिर्भरता के लक्ष्य से काफी पीछे हैं। इस बार के जनगणना आंकड़ों से पहली बार जनसंख्या वृद्धि दर में 2.52 प्रतिशत की गिरावट दिखाई दी है। जो इस बात का प्रतीक है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए किए जा रहे उपायों का परिणाम निकलना शुरू हो गया है। शिक्षा जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित करने का महत्वपूर्ण साधन है। हम एक बात निश्चित रूप से जानते हैं कि विकसित देशों में जनसंख्या का दबाव कम है। यह भी सही है कि इन देशों में साक्षरता दर बहुत ऊंची है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि साक्षरता, विकास और जनसंख्या में परस्पर सीधा संबंध है। ❑

(लेखकद्वय आगरा कालेज के अर्थशास्त्र विभाग में क्रमश: वरिष्ठ प्रवक्ता एवं प्रवक्ता हैं।)

स्वास्थ्य-चर्चा

पोलियो से मुक्ति अगले साल तक

○ अनन्त मित्तल

पोलियो एक ऐसा रोग है जो जानलेवा तो नहीं है मगर लोगों को विकलांग बनाकर उन्हें जिंदगी भर के लिए असामान्य बना देता है। इससे आमतौर पर एक टांग का विकास रुक जाता है और वह न सिर्फ छोटी और पतली रह जाती है बल्कि उसके कारण पोलियोग्रस्त लोगों को जिंदगी भर लंगड़ाकर या बैसाखी के सहारे चलना पड़ता है। कई बार दोनों टांगें भी इसकी चपेट में आ जाती हैं। ऐसे रोगियों का चलना-फिरना तो दूर, उठना-बैठना भी मुहाल हो जाता है। ऊपर से उम्र बढ़ने पर वे मोटापे के शिकार हो जाते हैं जिससे उनकी दिक्कतें और बढ़ जाती हैं। अक्सर बचपन में धर दबोचने वाली इस बीमारी का कारण पोलियोमलाइटिस नामक वायरस है। इस वायरस से भारत को निजात दिलाने और हजारों की तादाद में हर साल इसके शिकार होने वाले लोगों को पोलियो से बचाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से पल्स पोलियो (पोलियो उन्मूलन) कार्यक्रम चलाया गया है।

इस कार्यक्रम की प्रयोग के तौर पर शुरुआत 1994-95 में राजधानी दिल्ली से की गई। दिल्ली में पल्स पोलियो को मिले समर्थन और उसकी पहुंच से उत्साहित होकर इस कार्यक्रम को 1995-96 में पूरे भारत में लागू कर दिया गया। अब तक इस कार्यक्रम के देश भर में कई दौर हो चुके हैं और कोशिश यह रही है कि पहाड़ी, रेगिस्तानी, द्वीपीय, जंगली अथवा किसी भी दूरदराज इलाके में भी कोई बच्चा पोलियो वैक्सीन की बूंदें चखने से वंचित न रह जाए। यह कार्यक्रम अभी तीन साल और जारी रहेगा। इस कार्यक्रम की विशालता और पहुंच का अंदाजा अकेले राजधानी दिल्ली जैसे छोटे से केंद्रशासित प्रदेश में की गई तैयारियों के पैमाने से लगाया जा सकता है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डा. ए.के. वालिया के अनुसार सिर्फ दिल्ली में ही पल्स पोलियो के हरेक दौर में 25 लाख बच्चों को वैक्सीन की बूंदें चटाई जाती हैं। इस कार्यक्रम की निगरानी के लिए 7000 केंद्र बनाए जाते हैं तथा 7200 टीमें घर-घर जाकर हर बार एक ही दिन में कुल 40 लाख घरों में दस्तक देती हैं। हर टीम में दो लोग होते हैं और उनके ऊपर 1260 सुपरवाइजर लगाए जाते हैं, यानी मोटे तौर पर हर दौर में लगभग 15000 लोगों को इस कवायद पर लगना पड़ता है। हर टीम 500 से 750 घरों को सुबह से शाम तक कवर करती है।

इतने बड़े पैमाने पर किए जा रहे प्रयासों का ही यह परिणाम था कि 1998 में देशभर में पोलियो के नए मामलों की संख्या सिर्फ 1934 रह गई। उसके बाद भी पल्स पोलियो कार्यक्रम जारी रहने के कारण अगले साल यानी वर्ष 1999 में पोलियो के नए मामलों की संख्या करीब एक तिहाई घटकर 1126 रह गई थी। उसके अगले साल वर्ष 2000 में यह संख्या 265 रिकार्ड की गई और चालू वर्ष 2001 के अक्टूबर महीने तक सिर्फ 100 नए पोलियो के मामले उजागर हुए हैं। पोलियो मुक्त राज्यों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2000 में जहां 11 राज्यों में पोलियो के नए मामले पकड़ में आए थे, वहीं चालू वर्ष में ऐसे राज्यों की संख्या घटकर छह रह गई है। इनमें से भी 82 केस उत्तर प्रदेश और 13 मामले बिहार से रिपोर्ट हुए हैं। राजधानी दिल्ली में इस साल अभी तक दो नए मामले ही पकड़ में आए हैं। डा. वालिया के मुताबिक इसका कारण उत्तर प्रदेश, बिहार और दूसरे राज्यों से हर साल लगभग पांच लाख नए लोगों का दिल्ली में आकर बसना है। इसके अलावा दिल्ली की 35 से 40 प्रतिशत आबादी ऐसी है जो इन दोनों राज्यों सहित अपने मूल गांव में आती-जाती रहती है। उन्होंने बताया कि पल्स पोलियो कार्यक्रम को एकदम पुख्ता बनाने के लिए दवा पिलाने के अभियान के चार-पांच दिन बाद तक घर-घर पूछताछ की जाती है और कोशिश यह रहती है कि यदि एक भी बच्चा किसी कारण से दवा न पी पाया हो तो उसे बाद में भी दवा पिला दी जाए।

केंद्रीय परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार में भी पोलियो का वायरस अब कुछ चुनिंदा जिलों तक ही सीमित रह गया है। इस प्रकार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की सलाह पर बनाई गई पोलियो उन्मूलन रणनीति कारगर साबित हो रही है। इस वर्ष के दौरान भी 14 अक्टूबर को बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पश्चिम बंगाल एवं महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में पल्स पोलियो दिवस मनाया गया था और 2 दिसंबर और 20 जनवरी को भी पूरे देश में यह अभियान फिर से चलाया गया। परिवार कल्याण मंत्रालय को उम्मीद है कि इस रणनीति के सफल क्रियान्वयन से अगले साल 2002-2003 की सर्दियों के अंत तक देश से पोलियो का सफाया हो जाएगा। सरकार का मानना है कि इस कार्यक्रम की सफलता के

(शेष पृष्ठ 40 पर)

नए प्रकाशन

काला धन : भारत की काली अर्थव्यवस्था का अध्ययन

पुस्तक : काला धन : भारत की काली अर्थव्यवस्था का अध्ययन; लेखक : कमल नयन काबरा; प्रकाशक : हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, बैरक नं. 2 एवं 4, केवेलरी लाइन, दिल्ली-7; मूल्य: 95 रुपये; पृष्ठ संख्या : 239।

समीक्ष्य पुस्तक विचाराधीन विषय पर एक महत्वपूर्ण एवं स्तुत्य अध्ययन है जो किसी एक समाजविज्ञान के सीमित क्षेत्र से ऊपर उठकर अंतर्वैषयिक एवं बहुवैषयिक विश्लेषण एवं निदान के सुझाव प्रस्तुत करता है। प्राय: काले धन की समस्या को कर-प्रशासन से जुड़ा हुआ पहलू मानकर अर्थशास्त्र की मुख्य धारा नव-क्लासिकी सिद्धांत से उसका विश्लेषण एवं समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। इस पुस्तक में उस उपागम से आगे जाने का प्रयास है। इस प्रयास में इसके अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत विविध ऐतिहासिक एवं वर्तमान कारक आ जाते हैं मसलन—भारत में अंग्रेजी राज की विरासत, आजादी के बाद अपनाई गई आर्थिक विकास की रणनीति, संसदीय-संघात्मक राजनीतिक व्यवस्था, चुनाव-प्रणाली, इत्यादि।

विद्वान लेखक ने काले धन की समस्या के समुचित विश्लेषण के लिए व्यक्ति, वर्ग, समाज राज्य, आर्थिकी—सबकी मौजूदा एवं ऐतिहासिक प्रवृत्तियों की समीक्षा को आवश्यक समझा है। सामाजिक संदर्भ से कटा हुआ, लाभ के एकांगी नजरिए से प्रेरित आर्थिक विकास का मॉडल काले धन को जन्म देता है क्योंकि इस मूल्यहीन व्यवस्था में समाज एवं संस्कृति से विमुखता पाई जाती है। सिर्फ आर्थिक विकास किसी भी कीमत पर एकमात्र उद्देश्य बन जाता है। ऐसी आर्थिक व्यवस्था में काला धन मात्र पथभ्रष्ट अथवा आपराधिक तत्वों की क्रिया न होकर व्यवस्था की केंद्रीय विशेषता बन जाता है।

श्री काबरा ने काले धन की व्याख्या में संस्थागत अर्थशास्त्र की अवधारणाओं एवं सिद्धांतों का उपयोग किया है। बहुराष्ट्रीय एवं एकाधिकारिक कंपनियों के बढ़ते प्रभाव के संदर्भ में सूचना की पारदर्शिता को उन्होंने आवश्यक माना है। इसके अभाव में काले धन का प्रभाव क्षेत्र निरंतर बढ़ता जाता है। आज स्थिति यह हो गई कि किसी भी आर्थिक अथवा राजनीतिक क्रिया को बिना काले धन से जोड़े समझना मुश्किल है। इसी कारण विद्वान लेखक के मत से काले व वैध धन के बीच अंतर करने का प्रयास न केवल भ्रामक बल्कि हानिकारक है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था में गुणात्मक सुधार की आवश्यकता है।

श्री काबरा की मान्यता है कि अर्थव्यवस्था की विकृति का मुख्य कारण यह है कि राजनीतिक निर्णयों में सीमित स्वार्थों को प्राय: सामुदायिक दायित्वों के ऊपर रखा जाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के बावजूद यह संभव हो रहा है क्योंकि आम आदमी, निवेशक, आर्थिक इकाई के पास सूचना का अभाव रहता है। ऐसा एक नियोजित साजिश से किया जाता है। राजनीति एवं प्रशासन का आर्थिक घटकों व आपराधिक तत्वों के साथ परस्परावलंबी संबंध विकसित हो गया है। काबरा काली अर्थव्यवस्था को राज्य एवं बाजार के बीच बढ़ते कदाचारी संबंध का परिणाम मानते हैं। इन प्रवृत्तियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा प्रोत्साहित कुरुचिपूर्ण उपभोक्तावाद से विशेष बढ़ावा मिला है। इस समस्या के निदान के लिए काबरा राज्य से भी ज्यादा नागरीय शिष्ट समाज (सिविल सोसायटी) की संस्थाओं की भूमिका रेखांकित करते हैं। राज्य एवं बाजार की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी। राज्य की नैतिक निष्ठा, बाजार की सामाजिक जवाबदेही, प्रशासन एवं प्रबंधन की पारदर्शिता, सामुदायिक संस्थाओं की पहलकदमी— ये सारे तत्व मिल कर ही काले धन की समस्या को निर्मूल कर सकते हैं।

कुल मिलाकर समीक्षित पुस्तक एक ज्वलंत आर्थिक-राजनीतिक समस्या के गंभीर विवेचन एवं निदान का महत्वपूर्ण प्रयास है। पुस्तक में संदर्भ-सूची एवं पुस्तक-सूची भी बहुत उपादेय है। ग्रंथ की रचना के लिए अर्थशास्त्री कमल नयन काबरा बधाई एवं शुभकामना के पात्र हैं।

समीक्षक : महेन्द्र प्रसाद सिंह

(पृष्ठ 39 का शेष)

पीछे केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों के साथ ही स्वयंसेवी संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं डाक्टरों का भी भरपूर योगदान रहा है। इस कार्यक्रम के लिए टेलीविजन और रेडियो के माध्यम से भी जागरूकता अभियान चलाए गए हैं। डा. वालिया ने बताया कि यह वैक्सीन एकदम निरापद है और बच्चों को बुखार में भी इसकी बूंदें चटाई जा सकती हैं। उनके मुताबिक वैक्सीन की गुणवत्ता बरकरार रखने के लिए उस पर वैक्सीन मोनीटर लगा हुआ है जिससे वैक्सीन के खराब हो जाने का फौरन पता चल जाता है और उसे फेंक दिया जाता है। ❑

राजस्थान का पर्यटन परिदृश्य तथ्य और चुनौतियां

○ ओ.पी. शर्मा

राजस्थान का इतिहास तथा प्राकृतिक परिदृश्य जितना वैविध्यपूर्ण है, उतना ही सरस है इसका सांस्कृतिक वैभव। जितनी रंगीली यहां की धरती है, उतने ही रंगीले हैं यहां के परिधान। यह प्रदेश न केवल प्राकृतिक धरोहर, सांस्कृतिक संपन्नता, गौरवमय अतीत, शौर्य और बलिदान की गाथाओं के कारण, बल्कि भित्तिचित्र, वास्तुशिल्प, रंग-बिरंगे मेलों एवं उत्सवों के कारण भी देशी-विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्रबिंदु बना हुआ है।

शौर्य, साहस और सौंदर्य का अदभुत परिदृश्य प्रस्तुत करने वाले सीमांत प्रदेश 'राजस्थान' का प्रारंभ से ही भारत के सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मनोरम प्राकृतिक दृश्यावली और ऐतिहासिक तथ्यों से युक्त राजस्थान की वीर-भूमि अनेक चित्ताकर्षक पयर्टन स्थलों को अपने में समेटे हुए है। राजस्थान का इतिहास तथा प्राकृतिक परिदृश्य जितना वैविध्यपूर्ण है, उतना ही सरस है इसका सांस्कृतिक वैभव। जितनी रंगीली यहां की धरती है, उतने ही रंगीले हैं यहां के परिधान। यह प्रदेश न केवल प्राकृतिक धरोहर, सांस्कृतिक संपन्नता, गौरवमय अतीत, शौर्य और बलिदान की गाथाओं के कारण, बल्कि भित्तिचित्रों, वास्तुशिल्प, रंग-बिरंगे मेलों व उत्सवों के कारण भी देशी-विदेशी पर्यटकों के लिए स्वाभाविक आकर्षण का केंद्रबिंदु बना हुआ है। यहां के चमत्कारिक एवं भव्य किलों तथा उच्च शिल्प कला से परिपूर्ण मंदिरों को देखकर विदेशी पर्यटक आज भी चकित रह जाते हैं। राज्य में एक ओर नाथद्वारा, दिलवाड़ा, रणकपुर, राणीसती, पुष्कर, अजमेर दरगाह जैसे पवित्र तीर्थस्थलों की विस्तृत श्रृंखला है तो दूसरी ओर केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का, उदयपुर, माउंट आबू जैसे एक से बढ़कर एक नैसर्गिक और रमणीय क्षेत्र भी हैं जो अनायास पर्यटकों को आकर्षित कर लेते हैं। साथ ही जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर तथा शेखावटी की विशाल मरूभूमि भी विदेशी पर्यटकों को मंत्रमुग्ध करने की क्षमता रखती हैं। विगत दस वर्षों से स्वर्णिम बालू के स्तूपों वाला 'जैसलमेर' विश्व के पर्यटन मानचित्र पर छाया हुआ है।

राज्य का पर्यटन मुख्यत: दो भागों में विभाजित है। 'पर्यटन, कला व संस्कृति विभाग' पर्यटन स्थलों के विकास, नए स्थलों की खोज, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए प्रचार, पर्यटकों को संगीत और लोक कलाओं से परिचित कराने के लिए मेले-त्यौहारों का आयोजन, आदि कार्यों को अंजाम देता है। पर्यटकों को आवास, परिवहन एवं नौकायन सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य 'राजस्थान पर्यटन विकास निगम' द्वारा किया जाता है। वर्तमान में राज्य में प्रदेश स्तर से लेकर जिला स्तर तक पर्यटन विकास हेतु अलग-अलग विभागों में समन्वय स्थापित करके प्रादेशिक पर्यटन को गति देने वाली चार इकाईयां— राजस्थान राज्य पर्यटन सलाहकार बोर्ड, पर्यटन समन्वय समिति, जिला पर्यटन उन्नयन समिति और राजीव गांधी पर्यटन विकास मिशन भी कार्यरत हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जून, 2001 से संचालित 'राजीव गांधी पर्यटन विकास मिशन' का मूल उद्देश्य राज्य में पर्यटन व्यवसाय को जनोद्योग में परिणत करना है। इस मिशन द्वारा प्रादेशिक पर्यटन के उन्नयन हेतु हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

मेजबान और मेहमान में परस्पर अटूट विश्वास कायम करके परिवारों के बीच पर्यटकों को ठहराने की सुविधा का विस्तार कराने की दृष्टि से राज्य में 'पेईंग गेस्ट योजना' भी शुरू की गई है। इस योजना से पर्यटकों को यहां के रीति-रिवाज, जीवन-शैली और सांस्कृतिक विरासत को नजदीक से देखने का मौका मिला है। आगामी वर्षों में पर्यटन विभाग 'पेईंग गेस्ट' योजना के संचालकों को राजस्थान वित्त निगम तथा व्यापारिक बैंकों की सहायता से ऋण भी उपलब्ध कराएगा ताकि मेहमानों के लिए स्तरीय आवश्यक सुविधाएं जुटाई जा सकें। पेईंग गेस्ट योजना के संचालकों को उनकी उत्तम सेवाओं के लिए पुरस्कृत किए जाने

का भी प्रावधान है। राज्य में पर्यटन विकास को और गति देने के उद्देश्य से निजी उद्यमियों के सहयोग से 'हेरिटेज होटल योजना' को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस योजनांतर्गत प्रदेश के ऐतिहासिक महलों, किलों एवं हवेलियों को आवासीय होटलों के रूप में परिवर्तित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज संपूर्ण भारत में हेरिटेज होटलों के संबंध में राजस्थान की भूमिका अग्रणी बनी हुई है।

प्रदेश में ग्रामीण स्तर पर पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु 'आदर्श पर्यटन गांव योजना' संचालित की जा रही है। योजनांतर्गत राज्य में प्रत्येक ब्लाक स्तर पर एक आदर्श पर्यटन गांव (मॉडल टूरिस्ट विलेज-एम.टी.वी.) का चयन करके उसे पर्यटन की दृष्टि से पूर्णत: सक्षम बनाने का प्रयास किया जाता है। राज्य में ग्रामीण पर्यटन अवधारणा विकसित करने का मुख्य उद्देश्य जयपुर, उदयपुर, जोधपुर जैसे सुस्थापित पर्यटन शहरों पर पर्यटकों के बढ़ते दबाव को कम करने के साथ-साथ राज्य के ग्रामीण अंचलों में उपलब्ध प्राकृतिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं संवर्द्धन पर बल देना तथा साथ ही पर्यटन विकास के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन करना भी है। केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से क्रियान्वित इस योजना में पर्यटकों की मदद के लिए 'पर्यटन वाहिनी' का गठन किया गया है। वाहिनी से जुड़े लोग पर्यटकों के लिए गाइड और सहायक का कार्य करते हैं। योजना के प्रथम चरण के लिए चयनित गांवों में सामोद (जयपुर), चावण्ड (उदयपुर), मोलेला (कोटा), ओसियां (जोधपुर), खुड़ी (जैसलमेर), कालीबंगा (हनुमानगढ़), चौथ का बरवाड़ा (सवाईमाधोपुर), तालछापर (चूरू) आदि मुख्य हैं।

वर्ष 1982 से भारतीय रेलवे और राजस्थान पर्यटन विकास निगम के सहयोग से शाही रेलगाड़ी (पैलेस ऑन व्हील्स) का संचालन किया जा रहा है। यह गाड़ी 'पैकेज टूर' के रूप में प्रमुख पर्यटन-केंद्रों को जोड़ती है। प्रारंभ में विश्व की दस सर्वश्रेष्ठ रेल यात्राओं में आने वाली इस शाही रेलगाड़ी को अगस्त, 2001 से विश्व की प्रथम चार बेहतरीन रेलगाड़ियों के बीच मान्यता मिल चुकी है। वर्ष 2000-2001 के दौरान लगभग 2700 पर्यटकों ने रेलगाड़ी का आनंद उठाया। वर्ष के दौरान इस गाड़ी ने 5 करोड़ 77 लाख रुपये का शुद्ध लाभ कमाया जो विगत वर्ष से करीब एक करोड़ रुपये अधिक है। पांचसितारा होटल जैसी सुविधाओं से युक्त इस शाही रेलगाड़ी की सफलता से प्रेरित होकर केंद्र सरकार द्वारा देश के आठ अन्य लोकप्रिय पर्यटन क्षेत्रों में भी ऐसी ही गाड़ियां संचालित करने की योजना बनाई गई है।

उल्लेखनीय है कि 'विश्व यात्रा एवं पर्यटन परिषद' द्वारा मार्च, 2001 में 'इंडिया इनीशिएटिव प्रोग्राम' के अंतर्गत उत्तर भारत के राजस्थान तथा दक्षिण भारत के केरल राज्य का चयन पार्टनर स्टेट्स के रूप में किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा देशी-विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से जल-क्रीड़ा मनोरंजन, एयर टैक्सी सेवाएं, ऊंट उत्सव, विंटेज कार रैली, मेवाड़ कांप्लेक्स, मरू महोत्सव आदि का भी समय-समय पर आयोजन किया जाता है।

राज्य में पर्यटन विकास के लिए किए गए सार्थक प्रयासों और यहां के नित नए रंग-बिरंगे आकर्षण से पर्यटन एक जन-उद्योग के रूप में तीव्र गति से उभर रहा है तथा यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। आज राजस्थान में लगभग 80 लाख पर्यटक प्रतिवर्ष आते हैं। इनमें 74 लाख स्वदेशी तथा 6 लाख विदेशी पर्यटक शामिल हैं। विदेशों से आने वाले पर्यटकों में प्रमुख रूप से फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, इटली, स्पेन, इजराइल, आस्ट्रेलिया, स्विटजरलैंड इत्यादि देशों के पर्यटक शामिल हैं। स्वदेशी पर्यटकों में मुख्यत: गुजरात, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता एवं अन्य राज्यों के पर्यटक शामिल हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन द्वारा दो बार राजस्थान आगमन के कारण अमेरिका में राजस्थान को आशातीत प्रचार मिला है। और इसका परिणाम भी राज्य के पर्यटन उद्योग को मिलने लगा है। शाही रेलगाड़ी में इस वर्ष अमेरिकी पर्यटकों का बाहुल्य रहा है। क्लिंटन के अतिरिक्त विश्व बैंक के अध्यक्ष, मोरक्का के शाह, थाईलैंड की राजकुमारी, विश्व यात्रा एवं पर्यटन परिषद के अध्यक्ष तथा अन्य अनेक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हस्तियों ने विगत वर्ष राजस्थान का भ्रमण किया, जिससे राजस्थान का पर्यटन क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार हुआ।

उल्लेखनीय है कि 'विश्व यात्रा एवं पर्यटन परिषद' द्वारा मार्च, 2001 में 'इंडिया इनीशिएटिव प्रोग्राम' के अंतर्गत उत्तर भारत के राजस्थान तथा दक्षिण भारत के केरल राज्य का चयन पार्टनर स्टेट्स के रूप में किया गया है। परिषद की मान्यता है कि वर्ष 2010 तक पर्यटन के माध्यम से भारत में रोजगार के ढाई करोड़ नए अवसर सृजित होंगे। आने वाले दशकों में पर्यटन उद्योग पूरे भारत तथा विशेषकर राजस्थान के लिए सामाजिक एवं आर्थिक विकास तथा रोजगार सृजन में एक प्रमुख उद्योग के रूप में विकसित होगा। परिषद 'राजस्थान डिक्लेरेशन' नामक समझौता-पत्र के माध्यम से टूरिज्म सेटेलाइट एकाउंटिंग की अवधारणा के अंतर्गत राजस्थान का प्रचार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पर्यटन-संपन्न राज्य के रूप में करेगी।

पर्यटन विकास के सर्वांगीण प्रयासों से राज्य में न केवल बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित करने में मदद मिलती है, बल्कि जनसाधारण के लिए प्रत्यक्ष एवं परोक्ष

चित्र-1 : केवलादेव नेशनल पार्क में सूर्योदय, भरतपुर

चित्र-2 : गढ़ राजमहल, झालावाड़

चित्र-3 : गढ़ पैलेस, बूंदी

चित्र-1 : सिटी पैलेस, अलवर

चित्र-2 : राजस्थानी लोकनृत्य

चित्र-3 : जूना महल की शीशे की नक्काशी, डूंगरपुर

रोजगार के अवसर भी सृजित होते हैं। साथ ही राज्य में होटल, परिवहन, हस्तकला व हथकरघा आदि उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन भी मिलता है। एक सर्वेक्षण के अनुसार प्रति 8 विदेशी पर्यटकों तथा प्रति 32 स्वदेशी पर्यटकों पर क्रमश: एक-एक व्यक्ति को रोजगार मिलता है। वर्तमान में राज्य के लगभग एक लाख व्यक्ति पर्यटन रोजगार से जुड़े हैं। भारत-भ्रमण के लिए आने वाले तीन विदेशी पर्यटकों में से एक राजस्थान अवश्य जाता है। एक विदेशी पर्यटक राजस्थान में औसतन ढाई दिन ठहरता है और प्रतिदिन भोजन एवं आवास पर लगभग 800 रुपये खर्च करता है जबकि देशी पर्यटक प्रतिदिन 400 रुपये खर्च करता है। इस प्रकार राज्य में आने वाले पर्यटक यहां प्रतिवर्ष लगभग एक हजार करोड़ से अधिक रुपये खर्च करके जाते हैं फलत: पर्यटन तथा इससे संबद्ध क्षेत्रों के आर्थिक विकास को उल्लेखनीय मदद मिलती है। नि:संदेह पर्यटन ही एक ऐसा उद्योग है जो बिना प्रदूषण और कम पूंजी निवेश से राजस्थान की पिछड़ी अर्थव्यवस्था को समृद्ध और सुदृढ़ बनाने में सहायक सिद्ध हो सकता है। गौरवमयी सांस्कृतिक परंपराओं एवं लोक कलाओं से संपन्न तथा प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त राजस्थान में पर्यटन विकास की प्रबल संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में पर्यटन क्षेत्र के उत्तरोत्तर विकास हेतु अधिकाधिक धनराशि खर्च की जाती रही है। हाल ही में सरकार ने पर्यटन विभाग का 3 करोड़ रुपये का वार्षिक बजट ढाई सौ प्रतिशत बढ़ाकर वर्ष 2001-2002 के लिए कुल 10 करोड़ रुपये कर दिया है।

यद्यपि पर्यटन की दृष्टि से यह प्रदेश बहुत ही संभावनापूर्ण है परंतु पर्यटन क्षेत्र की अनेक संगठनात्मक व संरचनात्मक बाधाओं तथा चुनौतियों की विद्यमानता के कारण यह राज्य विश्व पर्यटन की तुलना में अपेक्षित प्रगति नहीं कर पा रहा है। राज्य के विशाल क्षेत्रफल को देखते हुए पर्यटकों की यात्रा के लिए जहां एक ओर रेल और सड़क परिवहन की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं है वहीं दूसरी ओर राज्य का एक भी हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के योग्य नहीं है। राज्य के अनेक पर्यटन स्थलों पर आज भी प्रशिक्षित और अनुभवी गाइडों की कमी बनी हुई है। पर्यटन स्थलों से संबंधित संपूर्ण जानकारी देने के लिए पर्यटन सूचना केंद्रों का विकास नहीं के बराबर हुआ है। पर्यटन स्थलों के मुख्यालयों पर बने 'स्वागत कक्ष' में एक ही छत के नीचे विदेशी पर्यटकों को मुद्रा विनिमय, रेल, बस एवं हवाई यात्रा के टिकट उपलब्ध करवाने, होटल और सफारी बुकिंग सुविधा देने का कार्य नहीं हो पा रहा है।

राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों के आस-पास बढ़ती गंदगी भी एक गंभीर चुनौती का रूप ले रही है। पुष्कर, उदयपुर, जयपुर, माउंट आबू, जैसलमेर आदि महत्वपूर्ण पर्यटन-स्थलों पर व्याप्त गंदगी जहां एक ओर इनके आकर्षण को कम कर रही है वहीं तरह-तरह की बीमारियों का प्रकोप बढ़ा रही है। उचित देखभाल और संरक्षण के अभाव में राज्य के अनेक प्राचीन स्मारक जर्जर तथा जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पहुंच गए हैं। राज्य में स्थापित उच्च शिल्पकला से परिपूर्ण कुछ जैन मंदिर भी पर्याप्त सुरक्षा न होने के कारण दयनीय स्थिति में पड़े हैं। राजस्थान की 'ओपन आर्ट गैलरी' तथा 'फ्रेस्कोलैंड' के नाम से विख्यात शेखावटी अंचल में स्थित हवेलियों के चित्ताकर्षक भित्तिचित्र भी उचित देख-रेख के अभाव में अपनी मौलिकता खो रहे हैं।

विद्युत आपूर्ति में अनियमितता भी राज्य के पर्यटन उद्योग की प्रमुख बाधा है। आए दिन विद्युत कटौती के कारण विदेशी पर्यटकों के लिए आधुनिक एवं उच्चस्तरीय सुविधाओं का समुचित प्रबंध नहीं हो पाता साथ ही सुविधाओं की नियमितता बनाए रखना भी मुश्किल हो जाता है।

चुनौतीपूर्ण और चौंकाने वाला तथ्य यह भी है कि पर्यटन में सिरमौर रहने वाला राजस्थान विदेशी पर्यटकों को यथासमय पर्याप्त सूचनाएं और उच्चस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाने के कारण चालू वर्ष में एक पायदान नीचे आ गया है। पहले जहां भारत आने वाला हर तीसरा पर्यटक राजस्थान आता था, वहीं अब यह स्थिति चौथे पर्यटक पर आकर टिक गई है। विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के क्षेत्र में आज राजस्थान को केरल और आंध्र प्रदेश से सर्वाधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है।

आर्थिक संसाधनों की कमी पर्यटन विकास में एक प्रमुख चुनौती बनती जा रही है। राज्य में पर्यटन विकास का बीस करोड़ रुपये का बजट वित्तीय चालू वर्ष में मात्र दो करोड़ रुपये तक सिमट कर रह गया है। फिर भी राज्य सरकार दावा करती है कि प्रदेश का आगामी बजट 'पर्यटन केंद्रित बजट' होगा। वित्तीय संकट के कारण पर्यटन विकास की विभिन्न योजनाएं फाइलों में बंद पड़ी हैं। आश्चर्यजनक और गौरतलब स्थिति यह है कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम को ठेके पर दिए जाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। विश्व के चुनिंदा स्मारकों में चयनित होने का गौरव हासिल करने वाला जैसलमेर का 'सोनार किला' अपना मौलिक स्वरूप खोता जा रहा है। लगभग एक हजार साल पुराने और सैकड़ों बुर्जों से निर्मित इस किले की नीवों में निरंतर पानी भरता जा रहा है। ये सारी प्रतिकूल पस्थितियां जैसलमेर के पर्यटन व्यवसाय के लिए एक नई चुनौती बनती जा रही हैं। प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन की अवधारणा भी सांस्कृतिक और वैचारिक प्रदूषण के रूप में एक प्रमुख चुनौती के रूप में उभर रही है। अत: प्रभावोत्पादक व्यूह-रचना और दीर्घकालीन पर्यटन नीति का निर्माण अति आवश्यक है। ❑

(लेखक एक स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

वर्ष 2001 में प्रकाशित लेखों की सूची

उद्योग और औद्योगिक विकास

1. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग: वर्तमान परिदृश्य और संभावनाएं (जनवरी-2001)
2. बीमा उद्योग में निजी कंपनियों का प्रवेश (फरवरी-2001)
3. भारत में निजी निगमित क्षेत्र (दिसंबर-2001)

वन और पर्यावरण

1. ध्वनि प्रदूषण: निकट परिदृश्य एवं समाधान (अप्रैल-2001)
2. विकास एवं पर्यावरण नीति (मई-2001)
3. प्राकृतिक आपदा नियंत्रण में मानकीकरण की भूमिका (जुलाई-2001)
4. पर्यावरण असंतुलन—एक चुनौती (जुलाई-2001)
5. पर्यावरण की पहरेदार ग्रामीण महिलाएं (अक्तूबर-2001)
6. वन्य जीवन संरक्षण का महत्व (अक्तूबर-2001)
7. खूबसूरत सुंदरवन को बचाने का प्रयास (नवंबर-2001)
8. पर्यावरण में सीसे की बढ़ती सांद्रता एवं मानव स्वास्थ्य (दिसंबर-2001)

मुद्रा, बैंकिंग और व्यापार

1. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश: एक विहंगम दृष्टि (फरवरी-2001)
2. भारतीय आभूषण निर्यात की शानदार प्रगति (फरवरी-2001)
3. आम बजट-2001-2002: आर्थिक संरचनात्मक परिवर्तन अगला पड़ाव (अप्रैल-2001)
4. रेल बजट: 2001-02: चुनौतियों के आइने में (अप्रैल-2001)
5. निर्यात-आयात नीति-2001-02; मात्रात्मक प्रतिबंध हटे (मई-2001)
6. व्यवसाय एवं जीवन की गुणवत्ता (जुलाई-2001)
7. पूंजी खाते पर रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता (सितंबर-2001)
8. विश्व व्यापार संगठन एवं श्रम मानक (सितंबर-2001)
9. बासमती के पेटेंट से जुड़े सवाल (नवंबर-2001)
10. राज्य सरकारों द्वारा राजकोषीय अनुशासन आवश्यक (दिसंबर-2001)
11. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अनर्जक अस्तियों का प्रबंधन (दिसंबर-2001)
12. भारतीय रिजर्व बैंक: नई ऋण नीति (दिसंबर-2001)

अर्थतंत्र, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास

1. राजस्थान में आर्थिक उदारीकरण (फरवरी-2001)
2. 21वीं सदी में आर्थिक विकास का मापन सकल राष्ट्रीय प्रकृति उत्पाद के रूप में हो (फरवरी-2001)
3. भारतीय अर्थव्यवस्था और सूचना प्रौद्योगिकी (मार्च-2001)
4. विभाजित बिहार का आर्थिक विकास चुनौतियां और संभावनाएं (मार्च-2001)
5. आर्थिक समीक्षा 2001-02; दशा और दर्शन (अप्रैल-2001)
6. दूसरी पीढ़ी के आर्थिक सुधार (मई-2001)
7. क्या हो प्राथमिकताएं दसवीं पंचवर्षीय योजना की? (जुलाई-2001)
8. द्वितीय चरण के आर्थिक सुधार और रक्षा क्षेत्र (जुलाई-2001)
9. आर्थिक अधिकारिता का महत्व (अगस्त-2001)
10. आर्थिक स्वतंत्रता बनाम सामाजिक स्वतंत्रता (अगस्त-2001)
11. अंतर्राज्यीय असमानताएं: अंकुश लगाना आवश्यक (सितंबर-2001)
12. उदारीकरण द्वारा भुगतान संतुलन में मजबूती (अक्तूबर-2001)
13. विनिवेश और निजीकरण (अक्तूबर-2001)
14. निजीकरण गतिशील प्रक्रिया किंतु प्रभावी नियंत्रण जरूरी (अक्तूबर-2001)
15. विकास कार्यक्रमों में केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों की भूमिका (नवंबर-2001)
16. उदारीकरण में आम आदमी की जिंदगी (दिसंबर-2001)

विज्ञान और तकनीकी

1. इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन: भारतीय परिप्रेक्ष्य (मार्च-2001)
2. सूक्ष्म पनबिजली एवं सामाजिक बदलाव (अप्रैल-2001)

3. विनाशकारी भूकंप: लाचार मानव (अप्रैल-2001)
4. जी.एस.एल.वी.: नई पीढ़ी का उपग्रह प्रक्षेपण (जून-2001)

स्वास्थ्य

1. राष्ट्रीय मुख स्वास्थ्य कार्यक्रम (फरवरी-2001)
2. संक्रामक के रूप में फैलती एलर्जी (फरवरी-2001)
3. स्वास्थ्य के मामले में अग्रणी है केरल (जून-2001)
4. एड्स का सबसे बड़ा संवाहक—यौन संक्रमण (जून-2001)
5. तंबाकू नियंत्रण—सबका सरोकार (सितंबर-2001)
6. गरीब और किशोरियों का स्वास्थ्य (अक्तूबर-2001)
7. कुपोषण के शिकंजे में कसा महिला स्वास्थ्य (नवंबर-2001)

महिला, बालिका और शिशु कल्याण

1. भारत में महिला समानता और सशक्तिकरण के प्रयास (मार्च-2001)
2. नवगठित उत्तरांचल राज्य: महिला केंद्रित विकास की आवश्यकता (मई-2001)
3. बाल श्रमिकों के जीवन के कुछ पहलू (मई-2001)
4. महिलाओं का बढ़ता वर्चस्व (मई-2001)
5. स्वयंसेवी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका (अगस्त-2001)
6. समानता के अधिकार की भावी दिशा (अगस्त-2001)
7. भू-अधिकार और स्त्री-पुरुष समानता (अगस्त-2001)
8. राष्ट्रीय महिला शक्ति-संपन्नता नीति (अगस्त-2001)
9. मीडिया और महिला सशक्तिकरण (अक्तूबर-2001)
10. ग्रामीण महिलाओं की संचार आवश्यकताओं की पूर्ति (अक्तूबर-2001)
11. बाल मजदूर—बचपन से दूर (दिसंबर-2001)

शिक्षा, व्यक्तित्व

1. अमर शहीद अशफ़ाक़ उल्ला खां (फरवरी-2001)
2. 21वीं सदी में उच्च शिक्षा की चुनौतियां (मई-2001)
3. भूमंडलीकरण एवं भारत की प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था (जुलाई-2001)
4. साक्षरता एक आवश्यक शर्त (अगस्त-2001)
5. राजस्थान में महिला साक्षरता: एक लंबी छलांग (अक्तूबर-2001)
6. महात्मा गांधी का आर्थिक दर्शन और पर्यावरण संरक्षण (अक्तूबर-2001)
7. गांधीजी की अंतर्दृष्टि विकास प्रक्रिया (अक्तूबर-2001)
8. प्रबंक कौशल का आधार-व्यक्ति और व्यवहार (नवंबर-2001)

कृषि, जल संसाधन और ग्रामीण विकास

1. राष्ट्रीय कृषि नीति (जनवरी-2001)
2. राष्ट्रीय कृषि नीति और विश्व व्यापार संगठन (जनवरी-2001)
3. खाद्य सुरक्षा, राष्ट्रीय कृषि नीति और विश्व व्यापार संगठन (जनवरी-2001)
4. कृषि में पानी का इष्टतम उपयोग (जनवरी-2001)
5. जल संभर का साझा प्रबंध (जनवरी-2001)
6. फसल बीमा और राष्ट्रीय कृषि नीति (जनवरी-2001)
7. बीज विकास और बौद्धिक संपदा अधिकार (जनवरी-2001)
8. कृषि क्षेत्र की महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाने के प्रयास (जनवरी-2001)
9. आज का नया मंत्र: कृषि क्षेत्र में विविधता (जनवरी-2001)
10. वर्षा सिंचित कृषि: अनुसंधान और विकास परिप्रेक्ष्य (जनवरी-2001)
11. गांवों की कायापलट के लिए तकनीकी हस्तांतरण (जनवरी-2001)
12. निर्यात संभावनाओं वाली फसल, 'बेबी कार्न' (फरवरी-2001)
13. प्लास्टिक की खेती और प्रदूषण (फरवरी-2001)
14. कृषि और औषधि क्षेत्र में गोबर व गोमूत्र का आर्थिक महत्व (मार्च-2001)
15. आम बजट: 2001-02: कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्रोत्साहन (अप्रैल-2001)
16. मछली और धान के संयुक्त उत्पादन की आवश्यकता (जून-2001)
17. कृषि क्षेत्र में महिलाओं के समक्ष सामाजिक चुनौतियां: एक अध्ययन (जुलाई-2001)
18. 'सवेरा'-ग्रामों के माध्यम से टिकाऊ कृषि और महिला सशक्तिकरण (सितंबर-2001)
19. ग्राम 'सुराज' भी संभव है (नवंबर-2001)
20. बिहार में अपराधीकरण और कृषि विकास (नवंबर-2001)
21. भारतीय कृषि में भू-स्वामित्व (नवंबर-2001)
22. शुरू करें ग्राम राज का मूल्यांकन (नवंबर-2001)
23. ट्रांसजनिक फसलें—कितनी सार्थक कितनी निरर्थक (दिसंबर-2001)

24. पुष्प कृषि: रोजगार एवं निर्यात की अपरिमित संभावनाएं (दिसंबर-2001)

ग्रामोद्योग और लघु उद्योग

1. मत्स्यपालन क्षेत्र की अपार संभावनाएं (जनवरी-2001)
2. लघु उद्योग: औचित्य एवं भविष्य (जून-2001)
3. लघु उद्योग विकास बैंक—वित्तीय एवं विकासात्मक भूमिका (जून-2001)

श्रम और रोजगार

1. ग्रामीण बेरोजगार—नए विकल्प (मई-2001)
2. बहुआयामी है ग्रामीण रोजगार सहायता योजना (अक्तूबर-2001)

संचार व सूचना प्रौद्योगिकी

1. साइबर अपराधों से निपटने के लिए कानून (मार्च-2001)
2. मीडिया क्षेत्र में प्रमुख पहल (मार्च-2001)
3. विकास प्रक्रिया में सूचना के अधिकार का महत्व (मई-2001)
4. डी.टी.टी. दूरदर्शन प्रसारण में एक नई शुरूआत (जून-2001)
5. साक्षरता के प्रसार में मीडिया की भूमिका (जुलाई-2001)
6. साइबर कैफे—सामुदायिक उपयोगिता के प्रतीक (सितंबर-2001)
7. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के युग में प्रिंट मीडिया (दिसंबर-2001)

आदिवासी, अल्पसंख्यक, कमजोर वर्ग व गरीबी निवारण

1. इक्कीसवीं सदी और भारत में विकलांगता (फरवरी-2001)
2. भारत में जनजातीय विकास के पांच दशक (मार्च-2001)
3. उदारीकरण और गरीबी निवारण (जून-2001)
4. जनश्री बीमा योजना: गरीबों के लिए अभिनव पहल (जुलाई-2001)
5. शहरी गरीबों को आसरा देगी वाल्मीकि-अंबेडकर आवास योजना (दिसंबर-2001)

पंचायती राज/प्रणाली

1. पंचायती राज द्वारा अधिकार संपन्नता (अगस्त-2001)

जनसंख्या एवं मानवाधिकार

1. जनगणना-21वीं सदी: एक नजर (जून-2001)
2. मानवाधिकार संरक्षण द्वारा अधिकार संपन्नता (अगस्त-2001)
3. जनसंख्या नीति: पंचायतों की भूमिका (सितंबर-2001)

संस्कृति विकास

1. भारतीय पर्यटन उद्योग: नई संभावनाएं (मार्च-2001)
2. म.प्र. में पर्यटन विकास की संभावनाएं (जून-2001)
3. हिमालय क्षेत्र में पर्यटन उद्योग (जून-2001)
4. सड़क क्षेत्र में निजी विनियोग (अक्तूबर-2001)
5. हम्पी: विश्व विरासत की अद्भुत नगरी (नवंबर-2001)
6. भारत का गौरव: कालिंजर दुर्ग (दिसंबर-2001)

अन्य

1. विकास से जुड़े यक्ष प्रश्न (मार्च-2001)
2. अहिंसा और शांति के अर्थशास्त्र की प्रतिष्ठा (अप्रैल-2001)
3. अतिनगरीकरण: एक ज्वलंत समस्या (अप्रैल-2001)
4. मालवा का सोना—सोयाबीन (अप्रैल-2001)
5. पारिवारिक न्यायालय: एक अभिनव कदम (मई-2001)
6. उत्तर-पूर्व के राज्यों का साइबर दुनिया में प्रवेश (जून-2001)
7. जैव-विविधता का संरक्षण एवं आर्थिक प्रगति (जून-2001)
8. मात्रात्मक प्रतिबंध हटे संकट बढ़े (जुलाई-2001)
9. कितने प्रभावी हैं भारत के खान सुरक्षा नियम-कानून (जुलाई-2001)
10. दर्शन, लक्ष्य और उपलब्धियां (अगस्त-2001)
11. जाग्रति और विकास की आवश्यकता (अगस्त-2001)
12. कानून और लिंगभेद न्याय (अगस्त-2001)
13. कितने प्रभावी हैं कानून? (अगस्त-2001)
14. लोक अदालत के नए आयाम (सितंबर-2001)
15. छत्तीसगढ़: देश का 26वां राज्य (सितंबर-2001)
16. राजस्थान में वानिकी विकास परियोजना ने खोले स्मृद्धि के द्वार (अक्तूबर-2001)
17. झारखंड: विकास की रणनीति (नवंबर-2001)
18. 'ओरण' का मरूक्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र से गहरा ताल्लुक (नवंबर-2001) ❑

विकास समाचार

जरूरी उत्पादों के लिए गुणवत्ता नियम और कड़े

सरकार ने शहद, वनस्पति तेलों, साधारण नमक, आयोडीनयुक्त नमक और वसा सहित कुछ अन्य उत्पादों के निर्माताओं के लिए गुणवत्ता संबंधी नियम और कड़े किए हैं।

खाद्य अपमिश्रण निरोधक (पीएफए) नियम, 1955 में किए गए संशोधनों के अनुसार शहद के मामले में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उसके बारे में विस्तृत जानकारी देनी होगी। इसी प्रकार सभी खाद्य वनस्पति तेलों में आर्जिमोन के नकारात्मक परीक्षण की रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है। इसके लिए केन्द्रीय खाद्य परीक्षणशाला अथवा सार्वजनिक शोधशाला से तेल और घी के नमूने का परीक्षण कराना होगा। खाने वाले साधारण नमक, आयोडाइज्ड नमक और अन्य नमक में अवांछित तत्व दो प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए। इनमें कैल्शियम और मैग्निशियम के कार्बोनेट्स, फोस्फेट्स, सिलीकेट्स, आदि प्रमुख हैं।

भारतीय निर्यातकों के लिए चीन में बड़ा बाजार

भारत में चीन के वाणिज्य दूत ने कहा है कि उनके देश के विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) का सदस्य बनने के बाद अब भारतीय निर्यातकों के लिए वहां बड़ा बाजार मिल सकता है।

नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास में वाणिज्य दूत दू चेंगपिंग ने भारतीय निर्यातकों के शीर्ष संगठन (फियो) द्वारा आयोजित संगोष्ठी में कहा कि चीन इस समय 200 अरब डालर का कुल आयात करता है। इसमें और वृद्धि होगी।

उन्होंने कहा कि दोनों देशों के कारोबार के आकार को देखते हुए इस समय दोनों के बीच 3.5 अरब डालर का व्यापार बहुत ही कम है।

श्री चेंगपिंग ने भारतीय उद्यमियों को सलाह दी कि वे चीनी जनता की बढ़ती क्रयशक्ति का फायदा उठाएं। उन्होंने कहा कि दोनों देश आपस में सूचना प्रौद्योगिकी, औषधि, थोक दवाएं, कृषि एवं समुद्री उत्पाद, हीरे-जवाहरात, कपड़े तथा खनिज वस्तुओं का व्यापार बढ़ा सकते हैं।

अंटार्कटिका में भारत का दूसरा स्थायी अनुसंधान केंद्र प्रस्तावित

भारत अंटार्कटिका के बर्फीले महाद्वीप में ध्रुवीय विज्ञान संबंधी अनुसंधान को आगे बढ़ाने के अलावा वहां देश दूसरा अस्थायी स्टेशन स्थापित करेगा। अंटार्कटिका में देश का पहला ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र 'मित्री' 1988-89 में स्थापित किया गया था जहां अनुसंधान के अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। यहां की संचार सुविधाएं दुनिया में उपलब्ध सर्वोत्तम सुविधाओं में से है। हालांकि मित्री स्टेशन अभी अच्छी अवस्था में है लेकिन उसने संकेत देना शुरू कर दिया है कि दिनों-दिन उसकी उम्र बढ़ रही है। भारतीय अंटार्कटिका अभियान के प्रभारी ने बताया कि अंटार्कटिका में दूसरे स्थायी एवं अत्याधुनिक साज सामान एवं सुविधाओं वाले ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र बनाने का प्रस्ताव देश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल है। अंटार्कटिका में उपयुक्त जगह की तलाश के बाद इस प्रस्ताव पर विभिन्न समितियां अध्ययन करेंगी।

बिजली वितरण नेटवर्क सुधारने के लिए 865 अरब की जरूरत

देश में बिजली के वितरण और ट्रांसमिशन घाटे को न्यूनतम स्तर तक लाने के लिए वितरण नेटवर्क को दुरुस्त बनाने के लिए 865 अरब रुपए की आवश्यकता है।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) विशेषज्ञों के मुताबिक कई क्षेत्रों में बिजली वितरण और ट्रांसमिशन घाटा 50 प्रतिशत तक पहुंच चुका है। विशेषज्ञ समिति ने अपनी एक रिपोर्ट में इस घाटे को नीचे लाने के लिए अनेक उपाय सुझाए हैं। इन उपायों में पूर्व भुगतान वाले मीटरों की व्यवस्था की शुरुआत भी एक है। विशेषज्ञों की राय में बिजली घाटे को 15 प्रतिशत तक नीचे लाया जाना चाहिए।

वितरण एवं ट्रांसमिशन समिति के विशेषज्ञों का मानना है कि विद्युत आपूर्ति प्रणाली को उन्नत बनाकर प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है। इसके लिए वर्तमान आपूर्ति प्रणाली को उच्च वोल्टेज वितरण प्रणाली में बदलना होगा। समिति ने कहा है कि विद्युत वितरण और आपूर्ति की अब जो भी नई योजनाएं बनें, वे सभी उच्च वोल्टेज वितरण प्रणाली पर आधारित होनी चाहिए तथा पुरानी सभी प्रणालियों को चरणबद्ध ढंग से नई प्रणाली में बदला जाए।

रजि. सं. डी. एल. 12036/2001 लाइसेंस संख्या यू (डी.एन.)-53/2001 डाक व्यय की पहली अदायगी किए बिना डाक में डालने के लिए लाइसेंस प्राप्त
Reg. No. D.L. 12036/2001 R & Licence No. U (D.N.)-53/2001 to post without pre-payment at RMS, Delhi.

पंजी सं. 951/57
R.N. 951/57

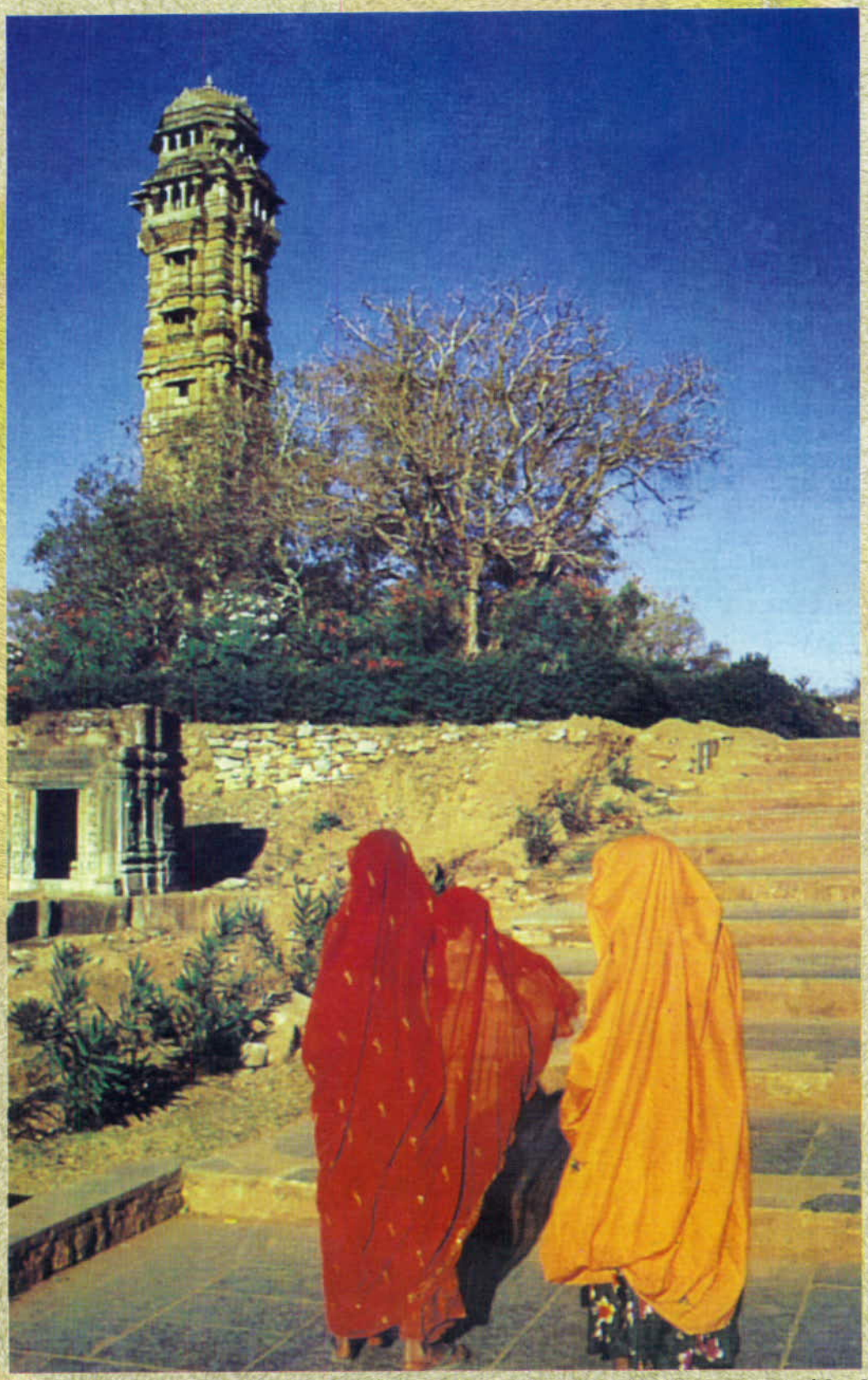

सुभाष सेतिया, संयुक्त निदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पटियाला हाऊस, नई दिल्ली-110 001
से प्रकाशित एवं मुद्रित तथा तारा आर्ट प्रेस, बी-4, हंस भवन, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110 002 में मुद्रित। दूरभाष : 3378626, 3379686
कार्यकारी संपादक : अंजनी भूषण